रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5—सितम्बर 11, 2009 (भाद्रपद 14, 1931)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5—SEPTEMBER 11, 2009 (BHADRA 14, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

मुंबई-400 051, दिनांक 10 अगस्त 2009

सं. जी एस आर

।राष्ट्रीय कृषि और ग्रमीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 कर 61) की धारा 48 (5) के अनुसरण में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का 31 मार्च 2009 का तुलनपत्र, 31 मार्च 2009 (अप्रेल 2008 - मार्च 2009) को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि लेखा तथा वर्ष की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट नीचे प्रकाशित है.

वी रामकृष्ण राव
मुख्य महा प्रबंधक एवं सचिव

खीमजी कुँवरजी एण्ड कं. (रजिस्टर्ड)

सनदी लेखाकार

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक) की 31 मार्च 2009 के संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखों और नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमे उन 12 क्षेत्रीय कार्यालयों और 1 प्रशिक्षण केंद्र की विवरणियाँ भी शामिल हैं जिनकी हमने लेखापरीक्षा की है. इन कार्यालयों / प्रशिक्षण केंद्रों का चयन हमने बैंक के परामर्श से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा जारी अधिसूचना सं.1/14/2004 - बीओए दिनांक 20 मार्च 2008 के अनुसार किया है. तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखे में उन 16 क्षेत्रीय कार्यालयों, 1 उप कार्यालय तथा 2 प्रशिक्षण केंद्रों की विवरणियाँ भी शामिल हैं जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है. लेखापरीक्षा न किए गए कार्यालयों का हिस्सा अग्रिमों में 15.56%, जमाराशियों और मीयादी मुद्रा उधारियों में 0.13%, ब्याज आय में 15.19% और ब्याज व्यय में 0.30% है. ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं. हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है.

हमने अपना लेखापरीक्षा कार्य भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है. इन मानकों की अपेक्षा रहती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और कार्य इस प्रकार करें जिसमें सामुचित रूप में यह आश्वासन प्राप्त हो जाए कि क्या दिए गए वित्तीय विवरण किसी भी महत्त्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं. वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और किए गए प्रकटीकरण के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की जाँच, परीक्षण के आधार पर करना, लेखापरीक्षा में सम्मिलित होता है. प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों और साथ ही समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी लेखापरीक्षा में शामिल होता है. हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से हमारी राय को उचित आधार प्राप्त होता है.

ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के तहत हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमने वे सभी सूचनाएँ और व्याख्याएँ प्राप्त कीं जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थीं और वे संतोषजनक पाई गईं;

ख. बैंक के जिन लेन-देनों की जानकारी हमें प्राप्त हुई, हमारी राय में, वे सभी बैंक की शक्तियों के अंतर्गत थे.

ग. बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयो और प्रशिक्षण केंद्रों से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से पर्याप्त पाया गया है;

घ. तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखे को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अध्याय IV की अनुसूची 'अ' और अनुसूची 'आ' के अनुसार तैयार किया गया है;

ङ. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें प्रस्तुत की गई व्याख्याओं तथा बैंक की लेखा बहियों के अनुसार :

i. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों और उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र, सभी आवश्यक विवरणों से युक्त, पूर्ण और स्पष्ट तुलन-पत्र है तथा उसे भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही ढंग से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च 2009 को बैंक के कार्यों की सही और स्पष्ट स्थिति की जानकारी मिल सके; और

ii. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों और उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि लेखा, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है और;

iii. नकदी प्रवाह विवरण उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह को सही और उचित रूप से दर्शाता है.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17 जून 2009

खीमाजी कुँवरजी एण्ड कं.
की ओर से और उनके लिए
सनदी लेखाकार

हसमुख बी. डेढिया
साझेदार एफ-033494

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
तुलन पत्र - 31 मार्च 2009 की स्थिति

(रुपए)

क्रम सं.	निधियाँ और देयताएँ	अनुसूची	31.03.2009 को	31.03.2008 को
1.	पूँजी (नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 4 के अंतर्गत)		2000,00,00,000	2000,00,00,000
2.	आरक्षित निधि और अन्य आरक्षित निधियाँ	1	9535,20,60,005	8602,84,75,385
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधि	2	15571,00,00,000	15159,00,00,000
4.	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों से सृजित निधियाँ	3	154,81,78,661	170,38,44,460
5.	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ	4	5111,01,92,515	3967,49,29,810
6.	अन्य निधियाँ	5	2101,80,68,588	1518,00,64,973
7.	जमाराशियाँ	6	52127,12,34,628	30698,81,85,462
8.	बॉण्ड और डिबेंचर	7	23703,63,05,906	28700,12,30,600
9.	उधार	8	3592,94,14,312	4800,26,56,118
10.	चालू देयताएँ और प्रावधान	9	4278,56,76,956	3089,53,14,729
	कुल		**118176,11,31,571**	**98706,47,01,537**
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएँ (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		634,56,79,356	605,58,18,093

(रुपए)

क्रम सं.	संपत्ति और आस्तियाँ	अनुसूची	31.03.2009 को	31.03.2008 को
1.	रोकड़ और बैंक शेष	10	13975,21,04,689	10314,24,14,644
2.	निवेश	11	2994,68,29,886	2582,05,89,335
3.	अग्रिम	12	98852,67,05,981	82872,42,54,280
4.	अचल आस्तियाँ	13	247,17,14,222	257,28,88,784
5.	अन्य आस्तियाँ	14	2106,37,76,793	2680,45,54,494
	कुल		**118176,11,31,571**	**98706,47,01,537**
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएँ (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		634,56,79,356	605,58,18,093
	वायदा और आकस्मिक देयताएँ	17		
	लेखा के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लेखा का अभिन्न अंग हैं.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
खीमजी वुँवरजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

हसमुख बी.डेढिया
साझेदार
मुंबई
दिनांक : 17 जून 2009

एस.अकबर
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
मुंबई : 17 जून 2009

उमेश चंद्र सरंगी अध्यक्ष	डॉ. के.जी.करमाकर प्रबंध निदेशक	टी. नंदकुमार निदेशक	उषा थोरात निदेशक

वी रामकृष्ण राव
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रुपए)

क्रम सं.	आय	अनुसूची	2008-09	2007-08
1.	ऋण और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज (अनुसूची 18 के नोट बी-2 एवं 3 देखें)		5693,02,22,426	4518,08,36,893
2.	निवेश परिचालनों/जमाराशियों से आय		1214,81,25,586	903,34,71,377
3.	डिस्काउन्ट एवं कमीशन		92,55,15,672	51,71,40,176
4.	अन्य प्राप्तियाँ (अनुसूची 18 का नोट बी - 4 देखें)		50,29,52,260	35,95,18,391
	कुल 'अ'		**7050,68,15,944**	**5509,09,66,807**

क्रम सं.	व्यय	अनुसूची	2008-09	2007-08
1.	ब्याज और वित्तीय प्रभार	15	4255,90,25,220	3137,48,84,464
2.	स्थापना और अन्य व्यय	16 ए	693,38,57,487	495,96,97,851
3.	प्रावधान	16 बी	92,49,80,587	105,91,02,349
4.	मूल्यह्रास (अनुसूची 18 का नोट बी-16 देखें)		21,36,41,786	21,63,06,861
	जोड़ 'आ'		**5063,15,05,080**	**3760,99,91,525**
5.	आयकर पूर्व लाभ (अ - आ)		**1987,53,10,864**	**1748,09,75,282**
6.	(क) आयकर हेतु प्रावधान		674,00,00,000	560,00,00,000
	(ख) आस्थगित कर - आस्ति (समायोजन) (अनुसूची 18 का नोट बी-12 देखें)		(-) 80,20,00,000	(-) 41,45,00,000
	(ग) अनुलाभ कर के लिए प्रावधान		3,60,00,000	3,40,00,000
7.	आयकर के बाद लाभ		**1390,13,10,864**	**1226,14,75,282**
	लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं.

लाभ और हानि विनियोजन खाता

(रुपए)

क्रम सं.	विनियोजन / आहरण		2008-09	2007-08
1.	वर्ष का लाभ नीचे लाया गया			
	जोड़ें : लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय के समक्ष निधियों के आहरण		1390,13,10,864	1226,14,75,282
	क) सहकारिता विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)		3,81,14,043	3,06,99,557
	ख) अनुसंधान और विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)		8,76,10,683	7,48,95,872
	ग) वाटरशेड विकास निधि (अनुसूची 5 देखें)		24,91,45,824	11,90,51,701
	घ) सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (अनुसूची 5 देखें)	9,92,70,242	7,38,32,004	
	ङ) कृषि नवोन्मेष एवं संवर्धन निधि (अनुसूची 1 देखें)		73,40,088	45,05,634
2.	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		1438,27,91,744	1256,45,63,050
	घटाएँ : निम्नलिखित में अंतरित किया गया :			
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ		340,00,00,000	320,00,00,000
	ख) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		400,00,00,000	400,00,00,000
	ग) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि		10,00,00,000	10,00,00,000
	घ) सहकारी विकास निधि		3,81,14,043	53,06,99,557
	ङ) अनुसंधान और विकास निधि		8,76,10,683	7,48,95,872
	च) निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि		42,00,00,000	25,76,45,000
	छ) वित्तीय समावेशन निधि		18,50,00,000	5,00,00,000
	ज) वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि		32,50,00,000	5,00,00,000
	झ) वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि		31,61,42,310	25,00,00,000
	ञ) कृषि नवोन्मेष संवर्धन निधि		46,55,57,504	0
	ट) आरक्षित निधि		504,53,67,204	405,11,22,621
	कुल		**1438,27,91,744**	**1256,45,63,050**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा लेखों के भाग के रूप में टिप्पणी हेतु अनुसूची 18 देखें.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
खीमजी कुंवरजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

हसमुख बी. डेढिया
सहभागीदार
मुंबई
दिनांक : जून 17, 2009

एस. अकबर
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
मुंबई : जून 17, 2009

उमेश चंद्र सारंगी	डॉ. के.जी. करमाकर	टी. नंदकुमार	उषा थोरात
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक	निदेशक	निदेशक

वी रामकृष्ण राव
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - आरक्षित निधि और अन्य आरक्षित निधियाँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2008 को प्रारंभिक शेष	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2009 को शेष
1.	आरक्षित निधि	4718,80,35,657	504,53,67,204	0	5223,34,02,861
2.	अनुसंधान और विकास निधि	50,00,00,000	8,76,10,683	8,76,10,683	50,00,00,000
3.	आरक्षित पूँजी	74,80,53,208	0	0	74,80,53,208
4.	निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि	73,00,00,000	42,00,00,000	0	115,00,00,000
5.	सहकारिता विकास निधि	125,00,00,000	3,81,14,043	3,81,14,043	125,00,00,000
6.	मार्जिन राशि हेतु सुलभ ऋण सहायता निधि	10,00,00,000	0	0	10,00,00,000
7.	कृषि और ग्रामीण उद्यम उद्भवन निधि	5,00,00,000	0	0	5,00,00,000
8.	विदेशी मुद्रा जोखिम निधि	147,06,03,936	0	0	147,06,03,936
9.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(I) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि	3395,00,00,000	340,00,00,000	0	3735,00,00,000
10.	कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि	4,17,82,584	46,55,57,504	73,40,088	50,00,00,000
	कुल	8602,84,75,385	945,66,49,434	13,30,64,814	9535,20,60,005
	गत वर्ष	7802,41,16,398	811,45,63,050	11,02,04,063	8602,84,75,385

अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.2008 को	बैंक का अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2009 को शेष
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	13615,00,00,000	1,00,00,000	400,00,00,000	14016,00,00,000
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1544,00,00,000	1,00,00,000	10,00,00,000	1555,00,00,000
	कुल	15159,00,00,000	2,00,00,000	410,00,00,000	15571,00,00,000
	गत वर्ष	14747,00,00,000	2,00,00,000	410,00,00,000	15159,00,00,000

अनुसूची 3 - अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान से सृजित निधियाँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2008 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त / समायोजित अनुदान	निधि में जमा ब्याज	वर्ष में व्यय / संवितरण / समायोजन	31.03.2009 को शेष
1.	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	54,71,00,174	90,77,000	0	0	55,61,77,174
2.	ग्रामीण नवोन्मेष निधि (अनुसूची 18 नोट बी-9 देखें)	109,73,98,549	0	5,05,40,943	25,50,49,494	89,28,89,998
3.	ग्रामीण संवर्धन निधि (अनुसूची 18 नोट बी-8 देखें)	5,49,05,183	1,76,25,141	0	0	7,25,30,324
4.	आदिवासी कार्यक्रम हेतु केएफडब्ल्यू - नाबार्ड V निधि	44,40,554	5,09,07,803	0	2,87,67,192	2,65,81,165
	कुल	170,38,44,460	7,76,09,944	5,05,40,943	28,38,16,686	154,81,78,661
	गत वर्ष	182,63,92,591	6,16,75,699	6,21,16,899	24,63,40,729	170,38,44,460

अनुसूची 4 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ

(₹ लाख)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2008 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	निधि में जमा ब्याज	व्यय के समक्ष समायोजित	31.03.2009 को शेष
अ.						
1.	केएफडब्ल्यू - नाबार्ड - IX आदिवासी विकास कार्यक्रम (अनुसूची 18 का नोट बी-9 देखें)	11,45,998	6,47,96,054	4,42,023	6,23,98,314	39,85,661
2.	केएफडब्ल्यू - नाबार्ड इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - चरण II - महाराष्ट्र (अनुसूची 18 का नोट बी-9 देखें)	0	16,37,34,736	2,28,182	14,38,42,327	2,01,20,591
3.	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश (अनुसूची 18 का नोट बी-9 देखें)	52,84,458	3,42,22,265	1,76,130	3,59,98,229	36,84,644
4.	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - गुजरात (अनुसूची 18 का नोट बी-9 देखें)	74,39,581	1,00,80,108	2,43,625	1,23,15,630	54,47,684
5.	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राजस्थान (अनुसूची 18 का नोट बी-9 देखें)	42,37,753	70,40,297	3,25,906	73,89,813	42,14,143
6.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर केएफडब्ल्यू अम्ब्रेला कार्यक्रम (अनुसूची 18 का नोट बी-9 देखें)	9,55,12,324	45,00,000	9,91,638	3,04,99,000	7,15,04,962
7.	नाबार्ड-एसडीसी मानव और संस्थागत विकास परियोजना के तहत अचल संपत्ति हेतु नाबार्ड अनुदान	7,92,569	0	0	42,503	6,60,066
8.	जीटीजेड - नाबार्ड - ग्रामीण वित्तीय कार्यक्रम - वित्तीय घटक	0	2,39,35,333	0	2,39,35,333	0
9.	विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पूर्वोत्तर परिषद निधि	4,98,357	60,00,000	0	72,35,053	(-) 7,36,696
10	केएफडब्ल्यू नाबार्ड सेवा बैंक ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का पूँजीकरण	0	2,96,39,708	0	2,96,39,708	0
आ.						
1.	शीत गृह परियोजनाओं के लिए पूँजी निवेश अनुदान - एनएचबी	20,82,710	14,81,22,000	0	14,03,14,800	98,89,910
2.	शीतगृहों के लिए पूँजी सब्सिडी - एनएचएम	4,26,890	21,09,52,600	0	20,85,95,400	27,84,090
3.	शीतगृहों के लिए पूँजी सब्सिडी टीएम - पूर्वोत्तर	0	3,64,42,626	0	2,10,00,000	1,54,42,626
4.	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण युक्त पूँजी अनुदान	7,08,39,480	1,31,36,000	0	7,75,85,128	63,90,352
5.	ग्रामीण गोदामों के लिए पूँजी निवेश सब्सिडी	4,94,51,650	78,00,00,000	0	59,17,74,198	23,76,77,452
6.	फसल उत्पादन के लिए ऑन फार्म जल प्रबंध	89,62,638	0	0	87,70,820	1,91,818
7.	मिलियन उथले नलकूप कार्यक्रम - बिहार	228,95,48,442	0	0	(-) 2,71,81,447	231,67,29,889
8.	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 का नोट बी - 9 देखें)	3,74,98,385	0	17,28,923	1,69,54,000	2,22,73,308
9.	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार (अनुसूची 18 का नोट बी - 9 देखें)	4,01,40,212	0	19,82,468	1,49,45,000	2,71,77,680
10.	जैविक खेती संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	3,52,31,798	3,68,33,000	0	2,57,52,960	4,63,11,838
11.	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	7,93,35,452	14,41,93,344	0	3,72,33,304	18,62,95,492
12.	पूँजी निवेश अनुदान योजना - बागबानी विकास - बिहार	14,41,93,344	0	0	14,41,93,344	0
13.	वर्षा जल संग्रहण योजना	57,93,313	0	0	(-) 24,88,031	82,81,344
14.	कच्छ सूखा रोकथाम परियोजना	68,90,555	0	0	4,43,336	64,47,219

अनुसूची 4 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2008 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	निधि में जमा ब्याज	व्यय के समक्ष समायोजित	31.03.2009 को शेष
15.	डेअरी और पोल्ट्री वेंचर पूँजी निधि	24,06,52,774	35,00,00,000	0	34,96,79,705	24,09,73,069
16.	कृषि विपणन, आधारभूत सुविधा, ग्रेडिंग और मानकीकरण हेतु पूँजी अनुदान	53,21,990	77,05,09,000	0	61,43,30,770	16,15,00,220
17.	विदर्भ पैकेज	63,26,230	0	0	63,26,230	0
18.	लाइवलीहूड एडवान्समेंट बिजनेस स्कूल - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 का नोट बी- 9 देखें)	70,68,766	0	4,57,349	0	75,26,115
19.	लाइवलीहूड एडवान्समेंट बिजनेस स्कूल - रायबरेली, उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 का नोट बी- 9 देखें)	1,01,03,957	0	6,53,726	0	1,07,57,683
20.	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर - उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 का नोट बी- 9 देखें)	86,44,952	0	4,70,663	82,00,000	9,15,615
21.	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बायफ-रायबरेली - उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 का नोट बी- 9 देखें)	2,24,91,402	0	12,22,446	2,15,25,000	21,88,848
22.	पूँजी अनुदान योजना - कृषि क्लिनिक, कृषि व्यवसाय केंद्र	2,31,46,360	0	0	1,60,54,665	70,91,695
23.	कठोर चट्टान वाले क्षेत्र में भूजल का कृत्रिम रिचार्ज	1536,75,00,000	0	0	143,34,08,400	1393,40,91,600
24	आरआईडीएफ -सीएसएमआई के अंतर्गत आरक्षित सब्सिडी	0 69,47,300	0	0	69,47,300	
25.	ऋण माफी और ऋण राहत योजना - 2008	0	17500,00,00,000	0	16611,01,23,675	888,98,76,325
26.	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	0	138,53,76,000	0	116,18,47,080	22,35,28,920
इ.	**अल्पावधि सहकारी ऋण ढाँचे के लिए पुनरुत्थान पैकेज**					
1.	विशेष लेखापरीक्षा की लागत	26,09,93,479	(-) 3,50,00,000	0	6,78,13,854	15,81,79,625
2.	ऋण सहकारी समितियों को पुन:पूँजीकरण सहायता	2048,32,12,766	3838,76,00,000	0	3567,41,93,693	2319,66,19,073
3.	तकनीकी सहायता	14,96,75,184	40,00,00,000	0	13,33,71,772	41,63,03,412
4.	मानव संसाधन विकास	14,09,11,818	50,00,00,000	0	12,72,87,260	51,36,24,558
5.	कार्यान्वयन लागत	6,26,64,323	35,00,00,000	0	26,73,69,939	14,52,94,384
ई.	**दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना**	0	20,00,00,000	0	0	20,00,00,000
	कुल	**3967,49,29,810**	**21902,90,60,391**	**89,23,079**	**20760,27,20,765**	**5111,01,92,515**
	गत वर्ष	**711,81,48,778**	**4923,66,29,181**	**81,57,993**	**1668,80,06,142**	**3967,49,29,810**

उ		31.03.2009 को	31.03.2008 को
1.	कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के तहत क्षेत्रा बैंकों/रास बैंकों/राभूवि बैंकों को अनुदान	2695,37,95,937	2695,37,95,937
2.	घटाएँ : कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के तहत क्षेत्रा बैंकों/रास बैंकों/राभूवि बैंकों को जारी अनुदान	2695,37,95,937	2695,37,95,937
	कुल	0	0

अनुसूची 5 - अन्य निधियाँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2008 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	जमा ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय / संवितरण	लाभ-हानि विनियोजन में अंतरित	31.03.2009 को शेष
1.	आरसीपीएफ विकास निधि (अनुसूची 18 का नोट बी-9 देखें)	613,68,48,645	527,52,11,636	0	33,83,13,420	24,91,45,824	24,91,45,824	1125,20,82,053
2.	सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (अनुसूची 18 का नोट बी-9 देखें)	126,60,86,662	20,00,00,000	0	6,04,41,953	5,80,32,101	9,92,70,242	133,92,26,272
3.	ब्याज विभेदक निधि - (फोरेक्स जोखिम)	117,67,59,671	14,05,00,274	0	0	0	0	131,72,59,945
4.	ब्याज विभेदक निधि-(तावा) (अनुसूची 18 का नोट बी-1 देखें)	11,41,518	13,930	0	0	0	0	11,55,448
5	आदिवासी सहायता निधि	1,93,60,592	1,45,94,702	0	0	0	0	3,39,55,294
6.	ट्राइबल विकास निधि	602,98,67,885	5,00,000	0	0	28,05,33,698	0	574,98,34,187
7	वित्तीय समावेशन निधि (अनुसूची 18 का नोट बी-9 देखें)	15,00,00,000	0	18,50,00,000	94,71,129	36,14,703	0	34,08,56,426
8.	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (अनुसूची 18 का नोट बी-9 देखें)	15,00,00,000	0	32,50,00,000	96,43,865	9,44,899	0	48,36,98,966
9.	कृषक प्रौद्योगिकी अंतरण निधि	25,00,00,000	0	31,61,42,310	0	6,61,42,310	0	50,00,00,000
	कुल	1518,00,64,973	563,08,20,542	82,61,42,310	41,78,70,367	68,84,13,538	34,84,16,066	2101,80,68,588
	गत वर्ष	1112,28,92,249	385,67,09,519	35,00,00,000	42,67,77,994	38,34,31,085	19,28,83,704	1518,00,64,973

अनुसूची 6 - जमाराशियाँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
1.	केन्द्र सरकार से	0	0
2.	राज्य सरकार से	0	0
3.	अन्य से		
	(क) चाय/रबर/कॉफी जमाराशियाँ	60,45,95,645	106,08,44,199
	(ख) मीयादी जमाराशियाँ	421,63,02,000	0
	(ग) वाणिज्यिक बैंक (आरआईडीफ के अंतर्गत)	47022,75,11,983	30592,73,41,263
	(घ) अल्पावधि मीयादी सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	4622,28,25,000	0
	कुल	52127,12,34,628	30698,81,85,462

अनुसूची 7 - बॉण्ड और डिबेंचर

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
1	एसएलआर बॉण्ड	277,98,11,000	394,21,11,000
2.	करमुक्त बॉण्ड	0	535,15,00,000
3.	प्राथमिकता क्षेत्र कर योग्य बॉण्ड	0	325,00,00,000
4	गैर प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड	13156,50,00,000	20877,50,00,000
5.	पूँजी अभिलाभ बॉण्ड	690,93,90,000	4777,45,10,000
6.	भविष्य निर्माण बॉण्ड	4554,22,17,906	1787,45,72,600
7.	नाबार्ड रूरल बॉण्ड	23,98,87,000	3,35,37,000
	कुल	23703,63,05,906	28700,12,30,600

अनुसूची 8 - उधार

क्रम सं.	विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
1.	केंद्र सरकार से	353,80,83,226	370,20,89,182
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक से	0	0
3.	अन्य से :		
	(क) भारत मे		
	(i) जमा राशि प्रमाणपत्र	1816,15,33,900	1421,92,03,300
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	160,61,86,000	0
	(iii) मीयादी उधार	244,07,00,000	0
	(iv) वाणिज्यिक बैंकों से	500,00,00,000	2500,00,00,000
	(ख) भारत से बाहर		
	(i) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियो से	498,29,11,186	508,13,63,636
	कुल	**3592,94,14,312**	**4800,26,56,118**

अनुसूची 9 -चालू देयताएँ और प्रावधान

(रुपये)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
1.	उपचित ब्याज /डिस्काउन्ट	2012,53,59,327	1674,07,05,305
2.	विविध लेनदार	596,61,60,450	67,63,27,343
3.	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 का नोट बी-17 देखें)	261,52,90,025	232,66,17,081
4.	पेंशन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 का नोट बी-17 देखें)	637,35,36,151	466,91,98,168
5.	साधारण अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 का नोट बी-17 देखें)	24,52,09,592	19,30,26,212
6.	भा.रि.बैंक के पास बॉण्डों पर दावा न किया ब्याज	6,54,086	11,56,586
7.	बॉण्डो पर दावा न किया ब्याज	9,36,66,167	6,29,04,755
8.	मीयादी जमा राशियों पर दावा न किया ब्याज	27,913	0
9.	परिपक्व बॉण्ड लेकिन दावा न किया ब्याज (अनुसूची 18 का नोट बी-11 देखें)	69,11,50,000	81,87,70,000
10.	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		
	(क) निवेश लेखा के मूल्य में क्षरण-सरकारी प्रतिभूतियाँ (अनुसूची 18 का नोट बी-7 देखें)	0	35,73,98,880
	(ख) सरकारी प्रतिभूतियो का परिशोधन-एचटीएम	72,72,63,808	54,54,47,856
	(ग) मानक आस्तियों के लिए	493,07,00,000	419,37,00,000
	(घ) निवेशों के मूल्य में ह्रास	2,12,28,000	1,66,08,000
	(ङ) पुनः संरचित ऋणों के ब्याज घटक की छोड दी गई राशि	4,54,00,000	13,16,00,000
	(च) अन्य आस्तियों और प्राप्य हेतु प्रावधान	35,48,250	37,97,358
	(छ) आयकर हेतु प्रावधान	94,64,83,187	15,80,57,185
	कुल	**4278,56,76,956**	**3089,53,14,729**

अनुसूची 10 -रोकड़ और बैंक शेष

(रुपये)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
1.	हाथ में शेष रोकड़	21,579	21,531
2.	के पास जमा शेष :		
	(क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास	169,67,65,931	3795,85,77,121
	(ख) अन्य		
	(I) भारत में		
	(i) भारत मे अन्य बैंकों में		
	(क) चालू खाते में	420,21,61,811	107,56,48,175
	(ख) बैंकों मे जमा राशियाँ	13067,10,00,000	5789,00,00,000
	(ii) मार्गस्थ प्रेषण	185,25,16,092	157,59,35,668
	(iii) संपार्श्विक उधार और ऋण उत्तर दायित्व	132,96,39,276	464,22,32,149
	(II) भारत से बाहर	0	0
	कुल	**13975,21,04,689**	**10314,24,14,644**

अनुसूची 11 -निवेश

(रुपये)

क्रम सं.	विवरण		31.03.2009 को	31.03.2008 को
1.	सरकारी प्रतिभूतियाँ			
	(क) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ (अनुसूची 18 का नोट बी -6 देखें)		1565,21,24,186	1422,29,02,151
	[अंकित मूल्य रु.1530,30,50,000 (रु.1380,30,50,000)]			
	[बाजार मूल्य रु.1602,95,63,114 (रु.1406,58,19,973)]			
	(ख) राजकोष बिल [अंकित मूल्य रु.168,50,00,000 (रु.278,77,75,000)]		156,51,75,000	260,41,87,184
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		0	0
3.	निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :			
	(क) कृषि विकास वित्त कंपनी लि.			
	i) नाबार्ड वित्तीय सेवा लि.	रु. 5,20,00,000		
	[52,00,000 - रु.10/- प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]			
	ii) एबीएफएस (आंध्र प्रदेश)	रु. 5,20,00,000		
	[52,00,000 - रु.10/- प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]			
	iii) एबीएफएस (तमिलनाडु)	रु. 5,20,00,000	15,60,00,000	15,60,00,000
	[52,00,000 - रु.10/- प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]			
	(ख) एएफसी लि.		1,00,00,000	1,00,00,000
	[1,000 - रु.10,000/- प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]			
	(ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लि.		48,00,00,000	48,00,00,000
	[1,60,00,000 - रु.10/- प्रति शेयर (अंकित मूल्य) के इक्विटी शेयर]			
	(घ) भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.		60,00,00,000	60,00,00,000
	[6,00,00,000 - रु.10/- प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]			
	(ङ) नैशकॉन-स		5,00,00,000	5,00,00,000
	[50,00,000 - रु.10/- प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]			
	(च) एनसीडेक्स लि.		4,50,00,000	4,50,00,000
	[45,00,000 - रु.10/- प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]			
	(छ) मल्टी कमोडीटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.		1,25,00,000	1,25,00,000
	[12,50,00,000 - रु.10/- प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]			
4.	अन्य			
	(क) लिक्विड म्युच्युअल फंडो की इकाइयाँ		1000,00,00,000	760,00,00,000
	[अनुसूची 18 का नोट बी -24 देखें]			
	(ख) एपीआईडीसी - वेंचर केपिटल लि. बीवीएफ			
	[50,00,000 (50,00,000) - रु.1000/- राशि की (800) ए श्रेणी की इकाइयाँ		5,00,00,000	4,00,00,000
	(ग) वाणिज्यिक पत्र		142,60,30,700	0
	[अंकित मूल्य रु.150,00,00,000 (रु. शून्य)]			
	कुल		2994,68,29,886	2582,05,89,335

अनुसूची 12 - अग्रिम

(रुपये)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
1.	पुनर्वित्त ऋण		
	(क) उत्पादन और विपणन ऋण	16896,23,31,000	17381,49,72,000
	(ख) उत्पादन हेतु परिवर्तन ऋण	20,06,77,000	118,20,43,000
	(ग) मध्यावधि निवेश ऋण-गैर परियोजना ऋण	4,80,000	9,60,000
	(घ) चल निधि सहायता	2690,91,89,000	1939,88,56,605
	(ङ) अन्य निवेश ऋण :		
	i) मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण		
	[अनुसूची 18 नोट बी -15 देखें)	33334,81,37,417	32401,00,02,436
	ii) दीर्घावधि गैर परियोजना ऋण	251,92,69,717	290,14,34,014
2.	सीधे ऋण		
	(क) आरआईडीएफ के अंतर्गत ऋण	45616,21,10,206	30648,59,05,219
	(ख) अन्य ऋण		
	i) सहकारिता विकास निधि	3,27,78,368	3,51,05,490
	ii) सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि	29,74,13,365	16,41,99,746
	iii) वाटरशेड विकास निधि	14,72,11,100	6,64,64,900
	iv) अन्यान्य विकास निधि	23,52,000	3,68,000
	ग) राष्ट्र वित्त पोषण ऋण (प्रावधान को छोड़कर)	94,47,56,808	66,39,42,630
	कुल	98852,67,05,981	82872,42,54,280

अनुसूची 13 - अचल आस्तियाँ

(रुपये)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
1.	भूमि (पूर्ण स्वामित्ववाली और पट्टाकृत) (अनुसूची 18 नोट बी -15 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	144,16,62,113	118,43,09,971
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	34,73,754	25,73,52,142
	अंत: शेष (लागत पर)	144,51,35,867	144,16,62,113
	घटाएँ : लीज प्रिमिया का परिशोधन	32,37,09,461	30,07,14,152
	बही मूल्य	112,14,26,406	114,09,47,961
2.	परिसर (अनुसूची 18 नोट बी -15 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	256,05,62,671	244,58,60,686
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	1,96,46,744	11,47,01,985
	अंत: शेष (लागत पर)	258,02,09,415	256,05,62,671
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	135,58,29,200	125,56,08,556
	बही मूल्य	122,43,80,215	130,49,54,115
3.	फर्नीचर और फिक्सचर्स		
	प्रारंभिक शेष	54,85,48,549	56,90,90,253
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	1,57,37,977	1,24,47,228
	उप-जोड़	56,42,86,526	58,15,37,481
	घटाएँ : बिक्री हुई/बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	15,65,752	3,29,88,932
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	56,27,20,774	54,85,48,549
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	52,71,25,392	50,01,79,543
	बही मूल्य	3,55,95,382	4,83,69,006
4.	कम्प्यूटर इंस्टालेशन और अन्य कार्यालय उपकरण		
	प्रारंभिक शेष	61,87,59,611	63,23,32,978
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	6,26,97,833	3,62,81,283
	उप-जोड़	68,14,57,444	66,86,14,261
	घटाएँ : बिक्री हुई/बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	2,00,55,046	4,98,54,650
	अंत: शेष (लागत पर)	66,14,02,398	61,87,59,611
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	59,23,72,621	55,82,35,788
	बही मूल्य	6,90,29,777	6,05,23,823
5.	वाहन		
	प्रारंभिक शेष	4,19,68,259	3,92,01,244
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	1,63,83,824	51,79,072
	उप-जोड़	5,83,52,083	4,43,80,316
	घटाएँ : बिक्री हुई/बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	1,07,49,021	24,12,057
	अंत: शेष (लागत पर)	4,76,03,062	4,19,68,259
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	2,63,20,620	2,38,74,380
	बही मूल्य	2,12,82,442	1,80,93,879
	कुल	247,17,14,222	257,28,88,784

अनुसूची 14 - अन्य आस्तियाँ

(रुपये)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
1.	उपचित ब्याज	1501,44,94,051	2173,58,69,541
2.	भूस्वामियों के पास जमाराशि	1,23,85,912	1,00,90,952
3.	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	2,28,58,811	2,16,00,208
4.	स्टाफ को आवास ऋण	103,55,76,565	98,42,58,611
5.	स्टाफ को अन्य अग्रिम	64,33,12,331	56,24,05,783
6.	भूस्वामियों को अग्रिम	1,54,000	2,73,433
7.	चालू पूँजीगत कार्य (स्टाफ क्वार्टरों और कार्यालय परिसरों की खरीद)	9,84,29,348	4,96,86,759
8.	विविध अग्रिम	26,19,12,331	28,44,91,070
9.	अग्रिम कर (आयकर हेतु प्रावधान को छोड़कर)	0	0
10.	आस्थगित कर आस्तियाँ (अनुसूची 18 का नोट बी-12 देखें)	384,99,00,000	304,79,00,000
11.	भारत सरकार/अंतर राष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली-योग्य व्यय	4,37,219	1,64,48,340
12.	प्राप्य डिस्काउंट	12,43,16,225	9,15,29,797
	कुल	2106,37,76,793	2680,45,54,494

अनुसूची 15 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(रुपए)

क्रम सं.		विवरण	2008-09	2007-08
1.		ब्याज प्रदत्त		
	क)	केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण पर	25,76,35,682	27,02,49,958
	ख)	भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त उधारों पर	5,99,45,694	0
	ग)	बाण्डों (अनुसूची 18 के नोट बी-4 देखें) पर	1581,54,51,596	1361,55,15,697
	घ)	राज्य सरकारों से प्राप्त विशेष ऋण जमाराशियों पर	0	6.690
	ङ)	चाय / कॉफी / रबड़ जमाराशियों पर	3,24,31,169	4,76,68,588
	च)	मीयादी मुद्रा उधारियों पर	38,26,30,457	0
	छ)	मीयादी जमाराशियों पर	8,95,97,323	0
	ज)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधारियों पर	27,70,71,578	24,32,59,546
	झ)	वाणिज्यिक पत्र (अनुसूची 18 का नोट बी-4 देखें) पर	7,18,81,566	0
	ञ)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि (अनुसूची 18 का नोट बी-4 देखें) पर	27,69,81,135	0
	ट)	आरआईडीएफ के तहत जमाराशियों पर	2157,00,88,384	1400,62,85,028
	ठ)	पशुधन विकास कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश और बिहार) पर	37,11,391	14,90,600
	ड)	वाटर विकास निधि पर	33,83,13,420	34,73,68,791
	ढ)	वित्तीय समावेशन निधि पर	94,71,129	0
	ण)	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि पर	96,43,865	0
	प)	सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि पर	6,04,41,953	7,94,09,203
	फ)	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश	1,76,130	2,17,699
	ब)	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राजस्थान	3,25,906	1,67,216
	भ)	केएफडब्ल्यू - नाबार्ड इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - चरण III - महाराष्ट्र	2,28,182	12,31,130
	म)	केएफडब्ल्यू - नाबार्ड - IX आदिवासी विकास कार्यक्रम पर	4,42,023	2,11,824
	य)	इंडो जर्मन वाटर विकास कार्यक्रम - गुजरात	2,43,625	1,09,631
	र)	भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कारपोरेट उधारियों पर	130,08,45,106	187,90,01,244
	ल)	ग्रामीण नवप्रवर्तन निधि पर	5,05,40,943	6,21,16,899
	व)	लाइवलीहुड एडवान्समेंट बिजनेस स्कूल आरएफ परियोजना - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश पर	4,57,349	4,95,616
	श)	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधिमूलक बायफ परियोजना पर - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश पर	4,70,663	17,64,718
	ष)	लाइवलीहुड एडवान्समेंट बिजनेस स्कूल आरएफ परियोजना - रायबरेली, उत्तर प्रदेश पर	6,53,726	8,81,983
	स)	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधिमूलक बायफ परियोजना पर - रायबरेली, उत्तर प्रदेश पर	12,22,446	15,76,950
	ह)	अन्य जमाराशियाँ / उधारियों पर	12,83,178	0
	क्ष)	जमाराशियों के प्रमाणपत्र पर डिस्काउंट पर	175,19,07,902	61,49,39,574
	त्र)	आदिवासी विकास निधि - वाडी (पश्चिम बंगाल) पर	0	29,824
2.		संपार्श्वीकृत उधार और ऋण दायित्वों पर डिस्काउंट पर	3,17,86,414	3,91,67,660
3.		स्वैप प्रभारों पर	3,14,00,171	3,28,30,183
4.		बाण्डों और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, दलाली, कमीशन और निर्गम व्यय पर	13,17,45,114	12,64,14,035
5.		रेपो ब्याज व्यय पर	0	24,74,177
		कुल	4255,90,25,220	3137,48,84,464

अनुसूची 16 ए - स्थापना और अन्य व्यय

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	2008-09	2007-08
1.	वेतन और भत्ते	251,39,90,425	233,08,89,082
2.	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों के लिए प्रावधान / में अंशदान	266,79,98,747	123,39,40,370
3.	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों के संबंध में यात्रा और अन्य भत्ते	34,35,966	16,47,887
4.	निदेशकों और समिति के सदस्यों के शुल्क	1,49,375	1,58,250
5.	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	19,14,09,388	19,11,04,599
6.	यात्रा व्यय	23,59,04,413	19,68,77,252
7.	मुद्रण और लेखन सामग्री	2,52,26,434	2,76,11,644
8.	डाक, टेलिग्राम और टेलिफोन	6,58,96,399	6,42,32,097
9.	मरम्मत	5,85,61,031	3,89,31,822
10.	लेखापरीक्षकों के शुल्क (तत्कालीन लेखापरीक्षकों को रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. 2,03,136) का भुगतान किया गया)	7,11,496	7,11,466
11.	विधिक प्रभार	11,55,909	15,81,688
12.	विविध व्यय	50,27,83,251	41,63,64,138
13.	विविध आस्तियों पर व्यय	55,30,410	67,10,778
14.	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय (क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों के स्थापना व्ययों से संबंधित रु.5,52,86,037 (रु.4,77,77,782) सहित)	25,00,60,356	19,77,01,338
15.	के तहत संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय		
	(i) सहकारिता विकास निधि	3,81,14,043	3,06,99,557
	(ii) सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि	9,92,70,242	7,38,32,004
	(iii) बाटरशेड विकास निधि	24,91,45,824	11,90,51,701
	(iv) कृषि नवप्रवर्तन और संवर्धन निधि	73,40,088	46,08,634
16.	संपत्ति कर	1,71,73,690	2,30,43,544
	कुल	693,38,57,487	495,96,97,851

अनुसूची 16 बी - प्रावधान

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	2008-09	2007-08
	प्रावधान :		
1.	सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन	18,18,15,952	18,18,15,952
2.	मानक आस्तियाँ	73,70,00,000	62,52,00,000
3.	अनर्जक आस्तियाँ	8,88,11,531	2,22,76,786
4.	सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश में मूल्यह्रास (अनुसूची 18 का नोट बी-7 देखें)	0	35,73,98,880
5.	निवेश खाते के मूल्य में मूल्यह्रास - इक्विटी	46,20,000	(-) 36,12,000
6.	पुनःसंरचित खातों के ब्याज घटक में छोड़ी गई राशि	(-) 8,62,00,000	(-) 12,35,00,000
7.	अन्य आस्तियाँ / प्राप्य राशियाँ	(-) 10,66,896	(-) 4,77,269
	कुल	92,49,80,587	105,91,02,349

अनुसूची 17 - वचनबद्धताएँ और आकस्मिक देयताएँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
1.	निष्पादन के लिए शेष पूँजीगत संविदाओं के कारण वचनबद्धताएँ	16,80,39,000	4,51,19,000
	उप जोड़ "अ"	16,80,39,000	4,51,19,000
2.	आकस्मिक देयताएँ		
	परिसरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त भुगतानों हेतु विवादास्पद दावे	3,36,60,000	9,11,29,000
	उप जोड़ "आ"	3,36,60,000	9,11,29,000
	कुल (अ + आ)	20,16,99,000	13,62,48,000

अनुसूची 18

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और लेखे के भाग के रूप में नोट

अ. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखे तैयार करने का आधार

1.1 लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्त्वपूर्ण पहलुओं; इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और भारतीय रिज़र्व (भारिं) बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है. उन मामलों को छोड़कर जहाँ अन्यथा उल्लिखित हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/बैंक) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियाँ पिछले वर्ष की नीतियों से संगति रखती हैं.

1.2 सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसरण में वित्तीय स्टेटमेंट तैयार करने के क्रम में यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन कई ऐसी बातें मान कर चले और कई ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए निष्कर्षों और कामकाज की स्थिति को प्रभावित करते हैं; इनके कुछ उदाहरण हैं - अचल आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि, कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभों के कारण उत्पन्न देयता, संभावित हानियों के लिए प्रावधान, आदि. वास्तविक निष्कर्ष ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. ये भिन्नताएँ ऐसे निष्कर्षों के परिणाम के वर्ष में सामने आती हैं.

2. आय और व्यय

2.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित मदों को छोड़कर आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :

क. अनर्जक आस्तियों पर ब्याज का निर्धारण भारिं बैंक के अनुसार किया गया है.

ख. ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.

ग. कृषि और ग्रामीण उद्यम उद्भवन निधि, सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि, वाटरशेड विकास निधि और सहकारिता विकास निधि से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.

घ. एकल व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई के स्तर पर रु.10,000 तक के व्यय.

2.2 बॉंड के निर्गम से संबंधित व्ययों को बॉंड के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है.

2.3 निवेश पर लाभांश का हिसाब लाभांश प्राप्ति के अधिकार के स्थापित होने के समय किया गया है.

3. अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास

3.1 अचल आस्तियों का मूल्य अधिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया गया है. आस्तियों की लागत में उसके अधिग्रहण और उसे स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़ा और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल है. विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूँजीकृत किया गया है जब उससे, विद्यमान आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ जाता है.

3.2 रु.5,000 प्रति इकाई से अनधिक मूल्य की आस्तियों के क्रय पर हुए व्यय को लाभ हानि लेखा में प्रभारित किया गया है.

3.3 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टाधारिता वाली भूमि शामिल है.

3.4 परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है जहाँ अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं है.

3.5 पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यह्रास अवलिखित मूल्य के आधार पर 10% वार्षिक की दर से प्रभारित किया गया है.

3.6 पट्टाधारिता वाली भूमि और उसपर स्थित परिसर पर मूल्यह्रास अवलिखित मूल्य के आधार पर 5% की दर, या पट्टाधारिता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रीमियम/ लागत के परिशोधन से प्राप्त राशि में से जो भी अधिक हो, उस पर प्रभारित किया गया है.

3.7 अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आस्तियों की प्रबंधन द्वारा संपुष्ट अनुमानित उपयोगिता अवधि में निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया गया है.

आस्तियों का प्रकार	मूल्यह्रास की दर
फर्नीचर और फिक्सचर	20%
कम्प्यूटर इस्टालेशन्स	32%
कार्यालय उपकरण	20%
गाड़ियाँ	20%

मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है, चाहे क्रय किसी भी तारीख को किया गया हो. वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है.

4. अमूर्त आस्तियाँ और परिशोधन

लेखा मानक 26 'अमूर्त आस्तियाँ' में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार अमूर्त आस्तियों को मान्यता दी गई है/ परिशोधित किया गया है.

5. निवेश

5.1 भारि बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)', 'बिक्री के लिए उपलब्ध(एएफएस)' और 'परिपक्वता के लिए धारित(एचएमटी)' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. इनमें से प्रत्येक श्रेणी में निवेशों को (i) सरकारी प्रतिभूतियों, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, (iii) शेयर और (iv) अन्य उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है.

5.2 जो प्रतिभूतियाँ मुख्यतः क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित हैं उन्हें एचएफटी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और जो प्रतिभूतियाँ इन दोनों में से किसी श्रेणी में नहीं आतीं उन्हें एएफएस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

5.3 एचटीएम श्रेणी के निवेशों को लागत पर रखा गया है और यदि निवेश के मूल्य में कोई मूल्यह्रास/ कमी/ परिशोधन हुआ है तो उसे चालू देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया गया है.

5.4 एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थओं में निवेश के मूल्य में अस्थायी से भिन्न ह्रास के लिए जहाँ भी आवश्यक था, प्रावधान किया गया है.

5.5 एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री पर हुए लाभ को लाभ हानि लेखा में दर्शाया गया है और फिर पूँजी आरक्षित निधि खाते में अंतरित कर दिया गया है. एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री पर हुई हानि को लाभ हानि लेखा में दर्शाया गया है.

5.6 एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत निवेशों को अलग-अलग स्क्रिप के लिए निर्धारित अंतरालों पर निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित दर पर बाज़ार के साथ समायोजित किया गया. जहाँ एएफएस श्रेणी के निवेशों के लिए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई था, लिया गया, वहीं एचएफटी श्रेणी के निवेशों के लिए मूल्यह्रास/ मूल्यवृद्धि को मान्यता दी गई.

5.7 खजाना बिलों का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है.

5.8 जिन कंपनियों में निवेश किया गया है यदि उनके अद्यतन लेखा परीक्षित आँकड़े उपलब्ध हैं तो उनके कोट न किए गए शेयरों का मूल्य कंपनियों के अलग-अलग शेयरों के मूल्य के आधार पर किया गया है. अन्यथा भारि बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार प्रति शेयर रु.1/- मानकर लगाया गया है.

5.9 अधिग्रहण के समय भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन आदि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है.

5.10 ऋण निवेश पर विभक्त अवधि के ब्याज को राजस्व मद माना गया है.

5.11 विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूति के अंतरण को, अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ वही मूल्य/ बाज़ार मूल्य में से जो भी कम हो, उसपर हिसाब में लिया गया है और अंतरण के बाद यदि कोई मूल्यह्रास है तो उसके लिए प्रावधान किया गया है.

6. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान

6.1 अग्रिमों का वर्गीकरण भारि बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारि बैंक द्वारा प्रावधानन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है.

6.2 अग्रिमों की पुनः संरचना/ पुनःअनुसूचीकरण के मामले में, पुनः संरचना/ पुनःअनुसूचीकरण के समय, मूल करार के अनुसार भविष्यगत ब्याज के वर्तमान मूल्य और संशोधित करार के अनुसार भविष्यगत ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है.

6.3 अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया गया है.

7. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में लिए गए जिन उधारों के लिए हेज़िंग करार किया गया है उन्हें रिपोर्ट करने की प्रत्येक तारीख को बाज़ार के साथ समायोजित किया गया और इसके परिणामस्वरूप यदि कोई लाभ हुआ तो उसकी उपेक्षा कर दी गई और यदि कोई हानि हुई तो उसके लिए प्रावधान किया गया. रिपोर्ट करने की तारीख को प्रचलित विदेशी मुद्रा विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों के समक्ष देयता का उल्लेख तुलन पत्र में कॉण्ट्रा प्रविष्टि के रूप में किया गया है.

7.2 मुद्रा स्वैप करार के निरसन या नविकरण की स्थिति में हुए लाभ को करार के अंतिम निपटान के बाद हिसाब में लिया गया है; लेकिन तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार ऐसे लेनदेनों पर हुई हानि बाज़ार दरों पर दी गई है.

8. सेवानिवृत्ति लाभ

8.1 बैंक की भविष्य निधि योजना का प्रबंधन भारि बैंक करता है. इस निधि में वास्तविक आधार पर अंशदान किया जाता है.

8.2 भारि बैंक से संस्थांतरित कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के मामले में ग्रैच्यूटी के लिए बीमांकित मूल्यन के आधार पर प्रावधान किया गया है. भारि बैंक से संस्थातरित कर्मचारियों के संबंध में भारि बैंक से प्राप्य ग्रैच्यूटी की राशि को नकदी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

8.3 पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर किया गया है.

8.4 पेंशन का विकल्प देने वाले कर्मचारियों के की भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान (पेंशन निधि के भाग) को भारि बैंक में रखा गया है.

8.5 साधारण छुट्टी के नकदीकरण के लिए बीमांकिक मूल्यन के आधार पर प्रावधान किया गया है.

9. आय पर कर

9.1 चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण कर-योग्य आय और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप परिगणित कर जमाओं और निर्धारणों / अपीलों के संभावित परिणाम पर आधारित है.

9.2 आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर यानी वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के आधार पर की गई है और कर की दरों और तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अधिनियमित कानूनों या स्थानापन्न रूप से अधिनियमित कानूनों का उपयोग करते हुए उनकी राशि निर्धारित की गई है.

9.3 खपाई न जा सकी / व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित का आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहाँ लगभग यह निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित आस्तियों की वसूली की जा सकेगी.

9.4 अन्य आस्थगित कर आस्तियों की पहचान कर उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जिस सीमा तक तर्कसंगत रूप से पर्याप्ततः यह निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके समक्ष इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों को वसूली की जा सकेगी.

9.5 अनुषंगी लाभ कर और संपत्ति कर, संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार दिए गए हैं.

10. खंड (सेंग्मेंट) रिपोर्टिंग

10.1 खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित खंड को आवंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल हैं.

10.2 जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित / खंड को आवंटन-योग्य हैं. उनके खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है. ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उनको 'अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय' में शामिल किया गया है.

10.3 जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता. उसे 'अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय' में शामिल किया गया है.

10.4 खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं. आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियाँ और देयताएँ वे हैं जो संपूर्ण बैंक से संबंधित हैं किंतु जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता.

11. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

11.1 प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की धारिता राशि की क्षतिग्रस्तता के लिए जाँच की जाती है.

क) यदि क्षतिग्रस्तताजन्य कोई हानि हुई हो तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान का निर्धारण किया जा सके; अथवा

ख) पिछली अवधि में मान्य की गई क्षतिग्रस्तताजन्य हानि का प्रत्यावर्तन यदि कोई हो, का निर्धारण किया जा सके.

11.2 क्षतिग्रस्तताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो.

12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

12.1 निम्नलिखित स्थितियों में केवल पर्याप्त स्तर के प्राक्कलन का उपयोग कर आँकी गई देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है :

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक का कोई वर्तमान दायित्व है.

ख) दायित्वों के निपटान हेतु संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना है.

ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

12.2 व्यय के संबंध में जिस संभावित प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान की आवश्यकता है, उसे तभी मान्य किया गया है जब यह लगभग निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

12.3 आकस्मिक देयता को प्रकट किया गया है, जब

क) वर्तमान कोई दायित्व का परिणाम पिछली घटना से हो, जब इसकी संभावना नहीं हो कि दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों के बर्हिगमन की आवश्यकता पड़ेगी,

ख) किसी वर्तमान दायित्व का वास्तविक अनुमान संभव नहीं हो, और

ग) कोई संभावित दायित्व पिछली घटनाओं का परिणाम हो और संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता हो.

12.4 आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है.

12.5 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की गई है.

आ. लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. तावा कमान क्षेत्र विकास परियोजना करार के अनुसार बैंक को दिए गए ऋणों पर भारत सरकार द्वारा प्रभारणीय 6.5% (6.5%) ब्याज को 4.5% (4.5%) की सीमा तक विभेदक ब्याज निधि में जमा करके, हिसाब में लिया गया, जिसका उपयोग कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए किया गया है और शेष 2% का भुगतान सरकार को किया गया है.

2. ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त हुए ब्याज की राशि रु. शून्य (रु.37.36 करोड़) है जो चलनिधि सहायता के अंतर्गत राज्य सहकारी (रास) बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षेग्रा) बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त ब्याज सहायता राशि है. यह योजना बंद हो चुकी है.

3. ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज में रु. 10.70 करोड़ (शून्य) शामिल है, जो रबी 2008-09 के लिए रास बैंकों / क्षेग्रा बैंकों को चलनिधि सहायता हेतु भारत सरकार से प्राप्त ब्याज सहायता की राशि है.

4. भारत सरकार से प्राप्त / प्राप्य सहायता रु. 874.44 (रु.879.74 करोड़) नाबार्ड द्वारा लिए गए उधार की लागत और उसके पुनर्वित्त की दर के बीच का अंतर है और उसे ब्याज में से तथा वित्तीय प्रभारों में से घटाया गया है.

5. भारत सरकार से प्राप्त / प्राप्य अन्य प्राप्तियों में रु. 32.02 करोड़ (रु. 28.87 करोड़) शामिल है जो रास बैंकों /क्षेग्रा बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों के वित्तपोषण हेतु पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए प्रशासनिक प्रभारों के रूप में भारत सरकार से प्राप्त हुआ है.

6. सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों में व्यवसाय खंडों के लिए क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के पास संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है :

(रु.करोड़)

विवरण	अंकित मूल्य		बही मूल्य	
व्यवसाय खंड हेतु गिरवी प्रतिभूतियाँ	10.00	(10.00)	9.25	(11.19)
व्यवसाय घटक हेतु गिरवी (संपार्श्विकृत उधारी और ऋण दायित्व)	1,212.00	(1212.00)	1,220.97	(1256.67)

7. 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार सहायक संस्थाओं में किए गए निवेशों को छोड़कर 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत किए गए निवेश 22.90% हैं जबकि 31 मार्च 2008 को निवेश 43.43% थे. भारि बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने रु.शून्य (रु.480.65 करोड़ बही मूल्य रु.432.30 करोड़) की राशि को 'परिपक्वता के लिए धारित' से 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में अंतरित कर दिया है. परिणामस्वरूप अंतरित किए गए निवेश के मूल्य में रु.शून्य (रु.35.74 करोड़) की हुई कमी के लिए वर्ष के अंत में प्रावधान किया गया है.

8. स्विस विकास सहयोग एजेंसी के साथ निष्पादित सहमति ज्ञापन के अनुसार ग्रामीण नवोन्मेष निधि (आरआईएफ) से की गई ऋणों की चुकौती सेवा प्रभार और अन्य प्राप्तियों को ग्रामीण संवर्धन निधि (आरपीएफ) में जमा किया जा रहा है.

9. आरआईएफ, वाटरशेड विकास निधि, केएफडब्ल्यू नाबार्ड आईजीडब्ल्यूडीपी - (आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान), केएफडब्ल्यू नाबार्ड IX आदिवासी विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय संसाधन प्रबंध पर केएफडब्ल्यू अम्ब्रेला कार्यक्रम की जिस धनराशि का उपयोग नहीं किया गया, उस पर संबंधित करारों के आधार पर 6.00% की दर से ब्याज की गणना कर ब्याज की राशि संबंधित निधि में जमा कर दी गई. सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि, पशुधन विकास कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश और बिहार), एलएवी की परिक्रामी निधि (सुल्तानपुर और रायबरेली) और एमएपीए-बायफ (सुल्तानपुर और रायबरेली) की जिस राशि का उपयोग नहीं किया गया उस पर संबंधित करारों के आधार पर 6.47% वार्षिक दर से ब्याज संबंधित निधियों में जमा कर किया गया है.

10. 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार, भारि बैंक के पास रखी भविष्य निधि खाते की शेष राशि की पुष्टि बैंक को प्राप्त नहीं हुई है. यह पुष्टि प्राप्त होने तक बैंक की बहियों के अनुसार भारि बैंक के पास भविष्य निधि की शेष राशि को ध्यान में रखते हुए पेंशन के लिए प्रावधान किया गया है.

11. परिपक्व किंतु अ-दावाकृत बॉण्डों के कारण बकाया भुगतान योग्य शेष राशि रु.69.12 करोड़ (रु.81.88 करोड़) में रु.1.53 करोड़ (रु.1.53 करोड़) के बैंक द्वारा जारी एसएलआर बॉण्ड भी शामिल हैं. पहले इन बॉण्डों की सर्विसिंग/ प्रबंध भारि बैंक द्वारा किया जाता था. 01 अक्तूबर 2003 से इन बॉण्डों की सर्विसिंग का कार्य बैंक ने अपने हाथ में ले लिया.

12. वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 22 'आय पर करों का लेखांकन' के अनुसरण में 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार निवल आस्थगित कर आस्ति रु.384.99 करोड़ और 31 मार्च 2008 को निवल आस्थगित कर आस्ति रु.304.79 करोड़ के बीच के अंतर रु. 80.20 करोड़ को लाभ और हानि खाते में मान्य किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(रु.करोड़)

क्र.सं.	आस्थगित कर आस्तियाँ	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008
1.	बहियों में सेवा निवृत्ति लाभों के लिए किया गया प्रावधान जो भुगतान के आधार पर कर के प्रयोजन से अनुमन्य है	344.80	267.84
2.	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	23.71	24.59
3.	सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन	16.48	12.36
	कुल	384.99	304.79

13. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित विशेष प्रारक्षित निधि के लिए आयकर का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि बैंक ने इस प्रारक्षित निधि से आहरण न करने का निर्णय लिया है.

14. 'भूमि' और 'परिसर' के अंतर्गत कार्यालय परिसरों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए रु.34.77 करोड़ (रु.35.94 करोड़) की कुल राशि का भुगतान शामिल है जिनके संबंध में स्वामित्व का हस्तांतरण होना शेष है.

15. विभिन्न राज्य भूमि विकास बैंकों/राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों में बैंक ने अभिदान किया है. इन्हें 'अग्रिम-अन्य निवेश ऋण - मध्यावधि-दीर्घावधि परियोजना ऋण' के अंतर्गत शामिल किया गया है. आबंटन पत्रों/ डिबेंचर रसीदों के मूल्य की जो राशि अभी प्राप्त होनी बाकी है, वह अब तक कुल रु.195.33 करोड़ (रु.14.42 करोड़) है.

16. एसडीसी-एचआईडी परियोजना के तहत खरीदी गई आस्तियों पर एसडीसी के हिस्से का मूल्यह्रास रु.42,503 (रु.1,27,677) घटाकर लाभ एवं हानि खाते में मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है.

17. आईसीएआई द्वारा जारी एस15 (संशोधित) 'कर्मचारी लाभ' के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन निम्नानुसार है :

17.1 परिभाषित लाभ योजनाएँ

बैंक की कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में पेंशन, ग्रैच्यूटी और छुट्टी नकदीकरण शामिल हैं और ये परिभाषित लाभ योजनाएँ हैं. दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित इकाई लागत पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यन पर आधारित है जिसके अंतर्गत सेवा की प्रत्येक अवधि से कर्मचारी के लाभ की पात्रता में अतिरिक्त इकाई की वृद्धि होती है और अंतिम दायित्व के निर्माण में प्रत्येक इकाई की गणना अलग से की जाती है.

क. परिभाषित लाभ दायित्वों के अथ और इति शेषों का समाधान

(रु.करोड़)

विवरण	पेंशन	ग्रैच्यूटी	छुट्टी नकदीकरण
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ का मूल्य	705.11 (632.97)	232.66 (195.05)	92.18 (72.88)
चालू सेवा लागत	20.90 (18.67)	17.26 (14.08)	9.10 (5.64)
ब्याज लागत	56.41 (50.64)	18.62 (15.60)	7.37 (5.83)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	127.38 (17.34)	-9.84 (12.12)	10.64 (15.66)
अदा किए गए लाभ	-17.79 (-14.51)	-8.17 (-4.19)	-3.78 (-7.83)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ का मूल्य	892.01 (705.11)	250.53* (232.66)	115.51 (92.18)

* 01 जनवरी 2006 को या उसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अदा की जाने वाली रु.11 करोड़ की वृद्धिशील ग्रैच्यूटी की राशि को छोड़कर.

ख. 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र में दर्शाई गई राशि :

(रु.करोड़)

विवरण	पेंशन (अंशतः निधि प्रदत्त)	ग्रैच्यूटी (निधि रहित)	छुट्टी नकदीकरण (निधि प्रदत्त)
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	892.01 (705.11)	250.53 (232.66)	115.51 (92.18)
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का सही मूल्य	254.66 (238.19) @	0.00 (0.00)	90.99 (72.88) $
वर्ष के अंत में तुलन-पत्र में मान्य दायित्व	637.35 (466.92)	250.53 (232.66)	24.52 (19.30)

@ भारि बैंक के पास उपलब्ध, पेंशन का विकल्प देने वालों के लिए भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की राशि.

$ छुट्टी नकदीकरण दायित्व के समक्ष बीमा कंपनियों में निवेश की गई राशि.

ग. वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में मान्य किए गए खर्च :

(रु.करोड़)

विवरण	पेंशन	ग्रैच्यूटी	छुट्टी नकदीकरण
चालू सेवा लागत	20.90 (18.67)	17.26 (14.08)	9.10 (5.64)
ब्याज लागत	56.41 (50.64)	18.62 (15.60)	7.37 (5.83)
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	127.38 (17.34)	-9.84 (12.12)	11.21 (15.66)
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	- -	0.00 (0.00)	-2.69 (0.00)
लाभ-हानि विवरण मान्य में व्यय	188.06 (68.10)	26.04 (41.80)	24.99^ (27.13)

^ योजनागत आस्तियों पर आय रु.3.11 करोड़ (रु. शून्य) को छोड़कर

घ. बीमांकिक अनुमान :

विवरण	पेंशन	ग्रैच्यूटी	छुट्टी नकदीकरण
मृत्यु दर संबंधी तालिका (एलआईसी)	1994-96 (अंतिम)	1994-96 (अंतिम)	1994-96 (अंतिम)
रियायती दर (प्रति वर्ष)	7.5%	7.5%	7.5%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	4%	7%	7%
आहरण दर	1%	1%	1%

17.2 वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान खाते की रफीति, वरिष्ठता, प्रोन्नति और रोज़गार के बाज़ार में आपूर्ति तथा माँग सहित अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकित मूल्यन पर आधारित है.

17.3 ऊपर उल्लिखित दायित्वों में सहयोगी संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किए गए कर्मचारियों से संबंधित दायित्व शामिल हैं.

17.4 पेंशन, योजनागत आस्तियों के सही मूल्य,योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ और लाभ और हानि खाते में मान्य किए गए खर्च को छोड़कर उपर्युक्त सूचना बीमांकिकी-प्रमाणित है.

17.5 परिभाषित अंशदान योजना

बैंक भविष्य निधि में प्रति माह पेंशन का विकल्प देने वाले का पेंशन का विकल्प न देने वाले कर्मचारियों के लिए मूल वेतन की परिभाषित 10% राशि का अंशदान करता है. पेंशन का विकल्प देने वालों के लिए किया गया अंशदान पेंशन योजना की योजनागत आस्तियों का भाग है. . वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में प्रभारित की गई अंशदान की कुल राशि रु.12.29 करोड़ (रु.12.74 करोड़) है.

18. बैंक के विचार से आस्तियों में कोई महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्तता नहीं है अतः लेखांकन मानक-28 के तहत कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है.

19. एएस-29 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ' के तहत आवश्यक आकस्मिक देयताओं में हुआ परिवर्तन इस प्रकार है :

(रु.करोड़)

विवरण	2008-09	2007-08
अथ शेष	9.11	58.78
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.01	0.00
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	5.75	49.67
इति शेष	3.37	9.11

20. लाभ-हानि खाते में शामिल की गई पूर्व अवधि मदें इस प्रकार हैं :

(रु.करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2008-09	2007-08
1	मूल्यह्रास	0.032	0.000
2	अन्य व्यय	0.041	0.000
3	लाभांश आय	0.000	0.625
	जोड़	0.073	0.625

21. 31 मार्च 2009 को बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत के समक्ष 25.85% (26.61%) था.

22. जिन ग्रेड सी अधिकारियों ने अपनी उम्र के 45 वर्ष और बैंक में अपनी सेवा के 22 वर्ष पूरे कर लिए थे उनके लिए वर्ष के दौरान बैंक ने वैकल्पिक शीघ्र सेवानिवृत्ति योजना (ओईआरएस) लागू की. चालू वर्ष रु.15.03 करोड़ का प्रावधान किया गया और उसे 'वेतन और भते' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया.

23. स्टाफ ऋणों पर एनपीए

(रु.करोड़)

विवरण	2008-09	2007-08
अथ शेष	0.10	0.11
वर्ष के दौरान बढ़ी हुई राशि	0.00	0.00
वर्ष के दौरान प्रतिलिखित	0.03	0.01
इति शेष	0.07	0.10

24. म्युच्युअल फंडों में निवेश :

(रु. करोड़)

क्र.सं.	म्युच्युअल फंड	वित्तीय वर्ष 2008-09		वित्तीय वर्ष 2007-08	
		बही मूल्य	बाज़ार मूल्य	बही मूल्य	बाज़ार मूल्य
1	बिड़ला सन लाइफ	100.00	100.04	60.00	60.02
2	टाटा	50.00	50.02	60.00	60.01
3	कोटक महिंद्रा	50.00	50.02	60.00	60.02
4	यूटीआइ	75.00	75.03	60.00	60.02
5	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	100.00	100.02	60.00	60.02
6	एचडीएफसी	75.00	75.02	60.00	60.01
7	कैनरा रोबेको	50.00	50.00	40.00	40.01
8	एसबीआई	50.00	50.01	60.00	60.02
9	रिलायन्स	50.00	50.01	60.00	60.02
10	आईएनजी	50.00	50.11	60.00	60.01
11	फ्रैंकलिन टेंपलटन	50.00	50.01	60.00	60.02
12	एलआईसी	100.00	100.05	60.00	60.02
13	रेलिगेयर	50.00	49.93	0.00	0.00
14	आईडीएफसी	50.00	50.01	0.00	0.00
15	इक्यूश	50.00	50.02	0.00	0.00
16	बड़ौदा पॉयनियर	50.00	50.01	0.00	0.00
17	प्रिंसिपल	0.00	0.00	60.00	60.01
जोड़		1000.00	1000.31	760.00	760.21

25. बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कोई बकाया भुगतान योग्य राशि नहीं है.

26. जहाँ भी आवश्यक था, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित/ पुनःव्यवस्थित किया गया है.

27. कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं.

28. भारि बैंक के दिनांक 01 जुलाई 2008 के परिपत्र सं. आरबीआई/ 2008-09/ 63 (डीबीओडी. एफआईडी. एफआईसी. 2/01.02.00/ 2008-09 के अनुसरण में प्रकट की गई अतिरिक्त सूचनाएँ निम्नानुसार हैं.

28.1 पूँजी

(क) जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर)

(प्रतिशत)

विवरण	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008
सीआरएआर	25.85	26.61
मूल सीआरएआर	24.45	25.34
अनुपूरक सीआरएआर	1.40	1.27

(ख) सबॉर्डिनेटेड ऋण

(रु. करोड़)

विवरण	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008
टीयर I पूँजी के रूप में उठाए गए और बकाया सबॉर्डिनेटेड ऋण की राशि	शून्य	शून्य

(ग) जोखिम भारित आस्तियाँ

(रु. करोड़)

विवरण	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008
तुलनपत्र में शामिल की गई मदें	43,436.86	38,880.81
तुलनपत्र में शामिल न की गई मदें	27.61	36.47

(घ) तुलन पत्र की तारीख को पूँजी अंशदान की पद्धति

(रु. करोड़)

अंशदानकर्ता	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक	1,450	1,450
भारत सरकार	550	550
कुल	2,000	2,000

28.2 आस्तियों की गुणवत्ता और ऋण संकेंद्रण

(ङ) निवल एनपीए स्थिति :

विवरण	31 मार्च 2009	31 मार्च 2008
निवल ऋणों और अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए का प्रतिशत	0.0306648	0.0232661

(च) आस्तियों का वर्गीकरण

(रु. करोड़)

वर्गीकरण	2008-09		2007-08	
	राशि	(%)	राशि	(%)
मानक	98822.36	99.960	82,853.14	99.977
उप-मानक	6.86	0.007	2.40	0.003
संदिग्ध	23.45	0.024	16.88	0.020
हानि	0.00	0.000	0.00	0.000
कुल	98852.67	100.00	82872.42	100.00

(छ) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान

(रु. करोड़)

निम्नलिखित के लिए प्रावधान	2008-09	2007-08
मानक आस्तियाँ	73.70	62.52
अनर्जक आस्तियाँ	8.88	2.23
निवेश (निवल)	(35.28)	35.38
आयकर (अनुलाभ कर सहित)	677.60	563.40
जोड़	724.90	663.53

(ज) निवल एनपीए में परिवर्तन

(रु. करोड़)

विवरण	2008-09	2007-08
(अ) वर्ष के प्रारंभ में निवल एनपीए	19.28	22.96
(आ) जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	11.03	7.16
(इ) उप-जोड़ (अ + आ)	30.31	30.12
(ई) घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी	0.00	10.84
(उ) वर्ष की समाप्ति पर निवल एनपीए (इ - ई)	30.31	19.28

(झ) पूँजी निधियों और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोज़र

(रु. करोड़)

श्रेणी	2008-09 ऋण एक्सपोज़र		2007-08 ऋण एक्सपोज़र	
	पूँजी निधियों के % के रूप में	कुल आस्तियों के % के रूप में	पूँजी निधियों के % के रूप में	कुल आस्तियों के % के रूप में
I सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	106.32	10.15	43.25	4.56
II सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	लागू नहीं		लागू नहीं	
III वर्ष के दस सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	333.06	31.81	270.19	28.48
IV दस सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	333.06	31.81	270.19	28.48
	लागू नहीं		लागू नहीं	

(ञ) पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोज़र: लागू नहीं

28.3 चलनिधि

(ट) रुपए में आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता का स्वरूप

(ठ) विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता का स्वरूप

(रु.करोड़)

क्र. सं.	मद	1 वर्ष से कम या 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	जोड़ #
1.	रुपए में आस्तियां	48326.90 (43,339.36)	28354.64 (21,629.83)	23204.68 (17,758.77)	14243.36 (11,714.26)	3551.34 (3,843.23)	117680.92 (98,285.44)
2.	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	0.00(0.00)	0.00(0.00)	0.00(0.00)	0.00(0.00)	0.00(0.00)	0.00(0.00)
	कुल आस्तियाँ	48326.90 (43,339.36)	28354.64 (21,629.83)	23204.68 (17,758.77)	14243.36 (11,714.26)	3551.34 (3,843.23)	117680.92 (98,285.44)
3	रुपए में देयताएँ	16553.97 (19,155.78)	22015.52 (15,913.71)	24003.42 (17,067.14)	17404.61 (11,389.93)	37205.11 (34,250.74)	117182.63 (97,777.30)
4.	विदेशी मुद्रा देयताएँ	9.94 (9.96)	64.33 (64.32)	108.68 (108.68)	108.69 (108.69)	206.64 (216.50)	498.29 (508.14)
	कुल देयताएँ	16563.91 (19,165.74)	22079.85 (15,978.03)	24112.10 (17,175.82)	17513.3 (11,498.62)	37411.75 (34,467.24)	117680.92 (98,285.44)

\# *# भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार मानक आस्तियों, अनर्जक आस्तियों और निवेश के मूल्य में हुए ह्रास के लिए किए गए कुल प्रावधान रु. 495.19 करोड़ (रु. 421.03 करोड़) को घटाकर.*

28.4 परिचालन परिणाम

	विवरण	2008-09	2007-08
(ड)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.47	6.13
(ढ)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.13	0.08
(ण)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.06	1.97
(त)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%)	1.30	1.38
(थ)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु.करोड़ में)	0.28	0.25

28.5 प्रावधानों में परिवर्तन

(क) अनर्जक आस्तियों (ऋण आस्तियों) के लिए प्रावधान

(रु.करोड़)

विवरण	2008-09	2007-08
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	5.52	3.18
जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	8.88	2.34
घटाएँ : अपलिखित और प्रतिलिखित अतिरिक्त प्रावधान	0.00	0.00
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष	14.40	5.52

(ख) निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान

(रु.करोड़)

	विवरण		2008-09
अ	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष		37.40 (2.02)
आ	जोड़ें		
	(i) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.63 (35.80)	
	(ii) वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित खाते से विनियोजन, यदि हो	0.00 (0.00)	
इ	उप जोड़ (अ+आ i+आ ii)		38.03 (37.82)
ई	घटाएँ		
	(i) अपलिखित, प्रति लिखित अतिरिक्त प्रावधान	35.91 (0.42)	
	(ii) वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि में अंतरण, यदि हो	0.00(0.00)	
			35.91 (0.42)
उ	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष (इ - ई)		2.12 (37.40)

28.6 पुनःसंरचित खाते

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, रु.51.63 करोड़ (रु.15.13 करोड़) तक की राशि के बकाया वाले छह ऋण खातों का पुनःअनुसूचीकरण किया गया. इनमें से रु. 26.47 करोड़ (रु.9.44 करोड़) के बकाया वाले दो ऋण खाते मानक आस्तियों के रूप में और रु. 25.16 करोड़ (रु.5.69 करोड़) के बकाया वाले चार ऋण खाते संदिग्ध आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं. पुनःअनुसूचीकरण के मामलों में ब्याज की राशि छोड़ने का कोई मामला नहीं बना है.

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान पुनःसंरचित ऋणों पर छोड़ दिए गए ब्याज की राशि रु.31.08 करोड़ है. छोड़े गए ब्याज की समीक्षा तुलन-पत्र की प्रत्येक तारीख को की जाती है और आवश्यक प्रावधान किया जाता है या पहले किए गए प्रावधान को रिवर्स किया जाता है. तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रु.8.62 करोड़ (रु.12.35 करोड़) की राशि प्रतिलिखित की गई.

28.7 वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियाँ : शून्य (शून्य)

28.8 वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप : शून्य (शून्य)

28.9 ब्याज दर व्युत्पाद : शून्य (शून्य)

28.10 गैर सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश : शून्य (शून्य)

28.11 कॉर्पोरेट ऋण पुनःसंरचना (सीडीआर) : शून्य (शून्य)

28.12 व्युत्पादों में किए गए निवेश से संबंधित जोखिम के बारे में प्रकटन

बैंक व्युत्पादों का व्यापार नहीं करता, तथापि, बैंक ने केएफडब्लू जर्मनी से 10 वर्ष की अवधि के लिए 55.99 मिलियन यूरो के उधारों और उस पर लगे ब्याज तथा पूरी ऋण अवधि के लिए 40 मिलियन यूरो और उस पर लगे ब्याज के लिए हेजिंग की है. विदेशी मुद्रा उधारों की हेजिंग करने के परिणामस्वरूप उसे स्वैप करार के अनुसार संविदाकृत मूल्य पर दर्शाया गया है. बैंक का विदेशी मुद्रा में कोई निर्बंध एक्सपोजर नहीं है.

वर्ष के अंत में विनिमय दर के अनुसार हेज संविदा की बकाया मूल राशि रु.634.57 करोड़ रही और लेखा बहियों में बकाया मूल देयता का मूल्य संविदाकृत मूल्य अर्थात् रु.498.29 करोड़ रहा. इस संबंध में राशि के रूप में प्रकटन इस प्रकार है :

(रु. करोड़)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद
1.	व्युत्पाद (नोशनल मूल राशि)		
	क) हेजिंग के लिए	498.29 (508.14)	लागू नहीं
	ख) व्यापार के लिए	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	बाजार समायोजित पोजिशन [1]		
	क) आस्तियाँ (+)	136.28 (97.44)	लागू नहीं
	ख) देयताएँ (-)	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	ऋण एक्सपोजर [2]	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	ब्याज दर में एक प्रतिशतता परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV01)	लागू नहीं	लागू नहीं
	क) हेजिंग व्युत्पादों पर	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख) व्यापार व्युत्पादों पर	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	वर्ष के दौरान 100*PV01 का उच्चतम और न्यूनतम स्तर	लागू नहीं	लागू नहीं
	क) हेजिंग पर	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख) व्यापार पर	लागू नहीं	लागू नहीं

28.13 वर्ष के दौरान एक्सपोजर के ऐसे मामले जब वित्तीय संस्था ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण किया : शून्य (शून्य)

28.14 संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

चूँकि बैंक, लेखांकन मानक-18 'संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन' के अनुसार सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम है इसलिए सरकार नियंत्रित अन्य उद्यमों के साथ इसके लेन-देनों का विवरण नहीं दिया गया है.

संबंधित पक्षों की सूची

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री उमेश चंद्र सरंगी - अध्यक्ष
2. डॉ.के.जी.करमाकर - प्रबंध निदेशक

(रु.करोड़)

पाठी का नाम	संबंध की प्रकृति	संबंध की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेन-देन की राशि	बकाया राशि
डॉ.एई.एस.पी.थोरात	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक भूतपूर्व अध्यक्ष	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.00 (0.07)	
श्री उमेश चंद्र सरंगी	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अध्यक्ष	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.14 (0.02)	
डॉ.के.जी.करगाकर	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक प्रबंध निदेशक	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.22 (0.08)	

संबंधित पक्षों के संदर्भ में वर्ष के दौरान कोई भी राशि अपलिखित / प्रतिलिखित नहीं की गई और न कोई प्रावधन किया गया.
संबंधित पक्षों के साथ संबंध की पहचान प्रबंधन द्वारा की गई है और लेखापरीक्षकों ने उस पर भरोसा किया है.

28.15 निवेशों के संदर्भ में निर्गमकर्ताओं की श्रेणियाँ

(रु. करोड़)

क्र.सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से निवेश	धारित अवश्रेणी निवेश प्रतिभूतियाँ	धारित अनरेटेड प्रतिभूतियाँ	अनलिस्टेड प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	60.00 (60.00)	60.00 (60.00)	-	-	60.00 (60.00)
2.	वित्तीय संस्थाएँ	48.00 (48.00)	48.00 (48.00)	-	-	48.00 (48.00)
3.	बैंक	-	-	-	-	-
4.	निजी कॉर्पोरेट्स	-	-	-	-	-
5.	सहायक संस्थाएँ/ संयुक्त उद्यम	20.60 (20.60)	20.60 (20.60)	-	20.60 (20.60)	20.60 (20.60)
6.	म्युच्युअल फंड सहित अन्य (प्रावधानों को घटाकर)	1152.23 (769.09)	11.75 (0.00)	0.00 (0.00)	11.75 (0.00)	1152.23 (769.09)
7.	मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान	2.12 (1.66)	-	-	-	2.12 (1.66)
	कुल	**1282.95 (899.35)**	**140.35 (128.60)**	**0.00 (0.00)**	**32.35 (20.60)**	**1282.95 (899.35)**

28.16 अनर्जक निवेश :

28.17 रेपो संबंधी लेन-देन पर प्रकटन

(रु. करोड़)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन का औसत बकाया	31 मार्च 2009 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	0.00 (206.42)	0.00 (206.42)	0.00 (0.56)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	275.00 (0.00)	275.00 (0.00)	0.75 (0.00)	0.00 (0.00)

28.18 व्यवसाय खंड के संबंध में सूचना

क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि :

बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नवत् हैं :

i) **प्रत्यक्ष वित्तपोषण** : ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास हेतु राज्य सरकारों को दिया गया ऋण, सह वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेन्सियों/गैर-सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिया गया ऋण इस खंड में शामिल है.

ii) **पुनर्वित्त** : इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों, भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि को उनके द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को संवितरित ऋणों हेतु प्रदत्त पुनर्वित्त शामिल है.

iii) **ट्रेजरी** : इसमें ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि के अंतर्गत निधियों का निवेश शामिल है.

iv) **अनाबंटित** : इस खंड में स्टाफ को दिए गए ऋणों और अन्य विविध प्राप्तियों से आय और बैंक की विकासात्मक भूमिका के लिए किए गए व्यय और सामान्य प्रशासनिक व्ययों को शामिल किया गया है.

ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड के संबंध में सूचना

(रु. करोड़)

	प्रत्यक्ष वित्त	पुनर्वित्त	ट्रेजरी	अनाबंटित	जोड़
राजस्व	2337.37 (1536.94)	3389.92 (3007.63)	1307.36 (955.06)	16.03 (9.46)	**7050.68 (5509.09)**
परिणाम	118.46 (79.66)	1181.87 (1224.76)	1283.21 (894.18)	-596.01 (-450.51)	**1987.53 (1748.09)**
आस्तियाँ	45798.54 (30822.03)	54265.45 (54058.31)	16434.04 (8950.55)	1678.08 (4875.58)	**118176.11 (98706.47)**
देयताएँ	47695.61 (31176.46)	51039.60 (50951.52)	192.86 (167.66)	19248.04 (16410.63)	**118176.11 (98706.47)**
अन्य मदे : परिशोधन और मूल्यह्रास	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	18.18 (18.16)	21.36 (21.63)	**39.54 (39.81)**
गैर-नकदी व्यय (उपर्युक्त को छोड़कर)	9.07 (23.19)	64.65 (29.09)	0.46 (35.36)	47.76 (64.23)	**121.94 (151.89)**

(ग) चूँकि बैंक का परिचालन भारत के भीतर ही होता है, इसलिए रिपोर्ट करने लायक कोई द्वितीयक खंड नहीं है.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
खीमजी कुँवरजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

हसमुख बी. डेढ़िया
साझेदार
मुंबई
दिनांक : 17 जून 2009

एस. अकबर
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
मुंबई : 17 जून 2009

उमेश चंद्र सरंगी
अध्यक्ष

डॉ. के. जी. करमाकर
प्रबंध निदेशक

टी. नंदकुमार
निदेशक

उषा थोरात
निदेशक

वी रामकृष्ण राव
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रुपए)

विवरण		2008-09	2007-08
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
लाभ हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		1987,53,10,864	1748,09,75,282
समायोजन:			
मूल्य ह्रास के लिए		21,36,41,786	21,63,06,861
प्रावधान और परिशोधन के लिए		18,53,69,056	53,51,25,563
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		8,88,11,531	2,22,76,786
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		73,70,00,000	62,52,00,000
पुनर्संरचनाकृत ऋणों के लिए ब्याज उत्सर्ग हेतु प्रावधान		(-) 8,62,00,000	(-) 12,35,00,000
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ / हानि		(-) 7,61,670	2,05,11,318
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज (ब्याज अंतराल निधि में जुड़ाव / समायोजन सहित)		61,78,34,663	64,16,48,347
अन्य व्यय		0	0
निवेश से आय (डिस्काउंट से होने वाली आय सहित)		( ) 1307,36,41,258	(-) 955,06,11,552
विभिन्न निधियों से आय		(-)20857,49,50,989	(-)1731,84,53,498
परिचालन आस्तियों में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		**(-) 20001,75,86,017**	**(-) 745,05,20,893**
निवल परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में समायोजन:			
चालू आस्तियाँ		(-) 6610,57,48,689	402,13,61,457
चालू देयताएँ		1110,19,36,226	710,03,19,377
बॉण्डों में वृद्धि / कमी		(-) 4996,49,24,694	(-) 191,77,45,150
उधार में वृद्धि / कमी		(-) 1207,32,41,806	1628,56,71,289
जमा में वृद्धि / कमी		21428,30,49,166	10461,96,05,956
ऋण और अग्रिम में वृद्धि (स्टाफ को आवास ऋण और अन्य अग्रिमों सहित)		(-) 16067,34,69,946	(-) 13429,94,33,700
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी		**(-) 26344,99,85,760**	**(-) 1164,07,41,664**
आयकर का भुगतान		(-) 598,75,73,999	(-) 459,78,97,070
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(अ)**	**(-) 26943,75,59,759**	**(-) 1623,86,38,734**
(ख) **निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
निवेश से आय (डिस्काउंट से होने वाली आय सहित)		1307,36,41,258	955,06,11,552
अचल आस्ति में वृद्धि / कमी		(-) 11,17,05,555	(-) 42,28,33,123
निवेश में वृद्धि / कमी		(-) 431,26,76,503	(-) 559,22,13,016
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई / से सृजित निवल नकदी	**(आ)**	**864,92,59,200**	**353,55,65,413**
(ग) **गतिविधियों के वित्तपोषण से नकदी प्रवाह**			
प्राप्त अनुदान / अंशदान		22461,69,90,603	5303,10,94,480
गतिविधियों के वित्तपोषण से निवल नकदी का सृजन	**(इ)**	**22461,69,90,603**	**5303,10,94,480**
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ) + (आ) + (इ)		(-) 3617,13,09,956	4032,80,21,159
अवधि के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		4525,24,14,644	492,43,93,485
अवधि की समाप्ति पर नकदी और नकदी समकक्ष		**908,11,04,689**	**4525,24,14,644**

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रुपए)

1. अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल हैं :	2008-09	2007-08
हस्ते रोकड़	21,579	21,531
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	169,67,65,931	3795,85,77,121
भारत स्थित अन्य बैंकों के पास शेष	420,21,61,811	107,56,48,175
मार्गस्थ प्रेषण	185,25,16,092	157,59,35,668
संपार्श्वीकृत उधारियाँ और उधार देने की देयताएँ	132,96,39,276	464,22,32,149
जोड़	**908,11,04,689**	**4525,24,14,644**

2. जहाँ भी आवश्यकता पड़ी है, वहाँ पिछले वर्ष के आँकड़ों को फिर से समूहित / व्यवस्थित किया गया है ताकि वे चालू वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप हों.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
खीमजी कुँवरजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

हरामुख वी. डेढिया
साझेदार
मुंबई
दिनांक : 17 जून 2009

एस. अकबर
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
मुंबई : 17 जून 2009

उमेश चंद्र सरंगी	डॉ. के.जी. कर्माकर	टी. नंदकुमार	उषा थोरात
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक	निदेशक	निदेशक

वी रामकृष्ण राव
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

खीमजी कुँवरजी एण्ड कंपनी (रजिस्टर्ड)

सनदी लेखाकार

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

1. हमने 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक) और उसकी सहायक संस्थाओं के संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण की जाँच की है ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं. हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है.

2. हमने अपना लेखापरीक्षा कार्य भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है. इन मानकों की अपेक्षा रहती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और कार्य इस प्रकार करें जिसमें समुचित रूप में यह आश्वासन प्राप्त हो जाए कि क्या दिए गए वित्तीय विवरणों को सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टि से तैयार किया गया है, चयनित/ वित्तीय रिपोर्टिंग खाके के अनुरूप हैं और किसी भी महत्त्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं. वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और किए गए प्रकटीकरण के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की जाँच, परीक्षण के आधार पर करना भी लेखापरीक्षा में सम्मिलित होता है. प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों और साथ ही समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी लेखापरीक्षा मे शामिल होता है. हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से हमारी राय को उचित आधार प्राप्त होता है.

3. हमने सहायक संस्थाओं की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा नहीं की है. इन सहायक संस्थाओं से संबंधित कुल आस्तियाँ और राजस्व क्रमशः रु.53.83 और रु.14.79 करोड़ हैं. चूँकि सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की गई है इसलिए उनकी शेष राशियों में किसी प्रकार का समायोजन करने से संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव पड़ेगा जिसके प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है. इन वित्तीय विवरणों को संबंधित सहकारी कंपनियों के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित कर हमें प्रस्तुत किया गया है, हमारा विचार, जहाँ तक इसका संबंध सहायक संस्थाओं के मामले में समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल राशियों का संबंध है, पूर्णतः इन प्रमाणित विवरणों पर आधारित है.

4. हम रिपोर्ट देते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों को इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21 समेकित वित्तीय विवरणों की अपेक्षा के अनुरूप और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल बैंक और उसकी सहायक संस्थाओं के अलग से लेखापरीक्षित/प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है.

5. हम रिपोर्ट देते हैं कि हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के आधार पर और बैंक एवं इसकी सहायक संस्थाओं के अलग से लेखापरीक्षित/ प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर, तथा उक्त पैरा 3 में हमारी टिप्पणियों की शर्त पर, हमारा मत है कि उक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत मे सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं :

   क) समेकित तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च 2009 को बैंक का कार्य व्यापार ;

   ख) समेकित लाभ और हानि के मामले में, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के परिचालनों के समेकित परिणाम; और

   ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के समेकित नकदी प्रवाह.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17 जून 2009

खीमजी कुँवरजी एण्ड कं.
की ओर से और उनके लिए
सनदी लेखाकार

हसमुख बी.डेढिया
साझेदार (एफ-033494)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित तुलन पत्र - 31 मार्च 2009 की स्थिति

(रुपये)

विवरण	31.03.2009 की स्थिति	31.03.2008 की स्थिति
निधियाँ और देयताएँ		
पूँजी	2000,00,00 000	2000,00,00,000
प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ	9551,33,61,533	8614,18,37,839
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ	15571,00,00,000	15159,00,00,000
अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों से सृजित निधियाँ	154,81,78,661	170,38,44,460
उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ	5111,01,92,515	3967,49,29,810
अन्य निधियाँ	2101,80,66,588	1518,00,64,973
माइनॉरिटी इंटरेस्ट	12,73,59,475	11,96,69,848
जमाराशियाँ	52127,12,34,628	30698,81,85,462
बॉण्ड और डिबेंचर	23702,62,34,997	30122,04,33,900
उधार	3592,94,14,312	3378,34,52,818
चालू देयताएँ और प्रावधान	4281,43,94,987	3092,22,07,877
कुल निधियाँ और देयताएँ	118206,84,39,686	98732,46,26,967
संपत्ति और आस्तियाँ		
रोकड़ और बैंक शेष	14018,72,65,778	10352,51,52,981
निवेश	2974,08,29,886	2561,45,89,335
अग्रिम	98858,23,52,501	82878,81,34,744
अचल आस्तियाँ	247,31,45,985	257,42,30,724
अन्य आस्तियाँ	2108,48,45,536	2682,25,19,203
कुल संपत्ति और आस्तियाँ	118206,84,39,686	98732,46,26,987

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
खीमजी कुँवरजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

हसमुख बी.डेढिया
साझेदार
मुंबई
दिनांक : 17 जून 2009

एस.अकबर
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
मुंबई : 17 जून 2009

उमेश चंद्र सरंगी अध्यक्ष	डॉ.के.जी.करमाकर प्रबंध निदेशक	टी. नंदकुमार निदेशक	उषा थोरात निदेशक

वी रामकृष्ण राव
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(रुपए)

विवरण	2008-09	2007-08
आय:		
ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	5694,13,82,207	4518,31,32,065
निवेश परिचालनों से आय	1218,59,65,570	906,66,95,489
प्राप्त डिस्काउन्ट		92,55,15,672
		51,71,40,175
अन्य प्राप्तियाँ	60,18,62,544	44,91,27,953
कुल आय	**7065,47,25,993**	**5521,60,95,682**
व्यय :		
ब्याज और वित्तीय प्रभार	4255,90,43,429	3152,66,04,735
स्थापना और अन्य खर्चे	698,69,20,566	486,19,42,059
मूल्यह्रास	21,39,95,163	21,65,89,205
प्रावधान	93,04,17,887	105,68,36,154
बट्टे खाते में डाले गए प्राथमिक खर्चे	-	3,83,633
कुल व्यय	**5069,03,77,045**	**3766,25,55,786**
आयकर से पूर्व लाभ	**1996,43,48,948**	**1755,35,39,896**
आयकर के लिए प्रावधान	676,66,13,885	562,41,27,188
अनुषंगी लाभ कर हेतु प्रावधान	3,66,35,726	3,45,27,535
आस्थगित कर आस्ति समायोजन	(-) 80,28,25,064	(-) 41,42,86,923
पिछले वर्षों में आयकर हेतु अल्प / (अधिक) प्रावधान	9,397	1,43,06,538
कर पश्चात लाभ	**1396,39,15,004**	**1229,48,65,558**
सहायक संस्थाओं में लाभ/ हानि का हिस्सा जोकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कारण है	80,65,434	(-)18,93,517
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**1395,58,49,570**	**1229,67,59,075**
विनियोजन :		
यथोक्त लाभ	1395,58,49,570	1229,67,59,075
जोड़ें : लाभ और हानि खाते में नामे डाले गए व्यय के समक्ष विभिन्न निधियों से आहरण	48,14,80,880	30,30,87,768
लाभ-हानि लेखे में नामे किया गया		
विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल लाभ	**1443,73,30,450**	**1259,98,46,843**
निम्नलिखित में अंतरित किया गया		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	340,00,00,000	320,00,00,000
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	400,00,00,000	400,00,00,000
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	10,00,00,000	10,00,00,000
सहकारिता विकास निधि	3,81,14,043	53,06,99,557
अनुसंधान और विकास निधि	8,76,10,683	7,48,95,872
निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	42,00,00,000	25,78,45,000
वित्तीय समावेशन निधि	18,50,00,000	5,00,00,000
वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि	32,50,00,000	5,00,00,000
कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि	46,55,57,504	0
किसान प्रौद्योगिकी अंतरण निधि	31,61,42,310	25,00,00,000
प्रारक्षित निधि	509,99,05,910	408,64,06,414
जोड़	**1443,73,30,450**	**1259,98,46,843**

समेकित लेखों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. समेकन स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार के अनुसार किया गया है.

2. नाबार्ड कंसल्टेन्सी सर्विसेस (प्रा.) लि. को छोड़कर सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण लेखा परीक्षित नहीं हैं.

3. सहायक संस्थाओं के ब्यौरे :

सहायक संस्था का नाम	देश जहाँ निगमित है	स्वामित्व में हिस्सा
एग्री डेवलपमैंट फायनान्स (तमिलनाडु) लि.	भारत	52.10
एग्री बिज़नेस फायनान्स (एपी) लि.	भारत	47.82*
नाबार्ड फायनैंसियल सर्विसेस लि.	भारत	82.47
नाबार्ड कंसल्टेन्सी प्रा.लि.	भारत	100.00

* नाबार्ड, एग्री बिजनेस फाइनान्स (आंध्र प्रदेश) लि. के निदेशक बोर्ड पर नियंत्रण रखता है और इसलिए इसे सहायक संस्था माना गया है.

4. 'समेकित वित्तीय विवरणी' में लेखा मानक प्रणाली - (एएस) - 21 के अनुसार कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के अंतर-समूह शेष राशियों और अंतर-समूह लेन-देनों को पूर्णतः विलोपित करने के बाद व्ययों को जोड़ते हुए इनकी वित्तीय विवरणियों को समेकित किया गया है.

5. एग्री डेवलपमेंट फाइनान्स (तमिलनाडु) लि. और एग्री बिज़नेस फाइनान्स (आ.प्र.) लि. ने अचल आस्तियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास का प्रावधान डब्ल्यूडीवी के अनुसार किया है जब नाबार्ड फाइनान्स सर्विसेस लि. ने अचल आस्तियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया है. इस प्रकार नाबार्ड द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में मूल्यह्रास हेतु अपनाई गई लेखांकन नीति सहायक संस्थाओं द्वारा मूल्यह्रास के लिए अपनाई गई लेखांकन नीति से भिन्न है. अतः समेकित वित्तीय विवरण में शामिल कुल रु.21.40 करोड़ (21.66 करोड़) के मूल्यह्रास में से 0.17% (0.13%) राशि कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास मूल्य पद्धति / सीधी कटौती प्रणाली के आधार आकलित मूल्यह्रास है.

6. नैबकॉन्स द्वारा विदेशी नियत कार्यों पर आय की गणना 'प्राप्ति' आधार पर की गई है. प्राप्त ऐसी फीस की राशि को नहीं गिना गया है.

7. समेकित वित्तीय विवरण में एएस-17 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नलिखित है :

(रु.करोड़)

	प्रत्यक्ष वित्त	पुनर्वित्त	कोषागार	अनाबंटित	कुल
राजस्व	2340.89 (1539.27)	3389.92 (3007.63)	1307.36 (955.06)	27.30 (19.65)	7065.47 (5521.61)
परिणाम	120.78 (81.02)	1181.87 (1224.76)	1283.21 (894.18)	-589.43 (-444.61)	1996.43 (1755.35)
आस्तियाँ	45814.35 (30837.30)	54265.45 (54058.31)	16434.04 (8950.55)	1693.00 (4886.31)	118206.84 (98732.46)
देयताएँ	47711.41 (31191.72)	51039.60 (50951.52)	192.86 (167.87)	19262.97 (16421.36)	118206.84 (98732.46)
अन्य मदें : परिशोधन और मूल्यह्रास	0.02(0.03)	0.00(0.00)	18.18(18.18)	21.37(21.03)	39.58(39.84)
गैर नकदी व्यय (उक्त के अलावा)	9.62(25.26)	64.66(29.09)	0.46(35.38)	47.75(64.27)	122.49(154.00)

नोट : बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं हेतु कोई रिपोर्ट योग्य द्वितीयक खंड नहीं है.

8. जहाँ भी आवश्यकता पड़ी है, वहाँ पिछले वर्ष के आँकड़ों को फिर से समूहित / व्यवस्थित किया गया है.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
खीमजी कुँवरजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

हसमुख बी.डेढिया
साझेदार
मुंबई
दिनांक : 17 जून 2009

एस.अकबर
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
मुंबई : 17 जून 2009

उमेश चंद्र सरंगी
अध्यक्ष

डॉ.के.जी.करमाकर
प्रबंध निदेशक

टी. नंदकुमार
निदेशक

उषा थोरात
निदेशक

वी रामकृष्ण राव
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(रुपए)

विवरण		2008-09	2007-08
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		1996,43,48,948	1755,85,39,896
मूल्य ह्रास		21,39,95,164	21,65,89,206
प्रावधान और परिशोधन		18,53,69,056	53,51,25,563
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		9,42,07,091	2,22,76,786
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		73,70,00,000	62,52,00,000
पुनर्संरचनाकृत ऋणों के लिए ब्याज उत्सर्ग हेतु प्रावधान		(-) 8,62,00,000	(-) 12,35,00,000
		61,78,34,663	64,16,48,347
अन्य व्यय		0	3,83,633
निवेश से आय		(-)1307,40,79,660	(-)903,34,71,377
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि		(-) 7,61,799	2,05,11,318
विविध निधियों से व्यय		(-) 20857,49,50,989	(-) 1731,84,53,498
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालनगत लाभ		(-)19992,32,37,526	(-) 686,01,50,126
निवल परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में समायोजन :			
चालू आस्तियाँ		(-) 6610,56,33,642	398,47,17,891
चालू देयताएँ		1109,81,36,716	708,28,46,611
बाण्डों से प्राप्ति		(-) 4990,49,24,694	(-)191,77,45,150
उधार में वृद्धि / कमी		(-)1207,32,41,806	1628,56,71,289
जमाराशियों में वृद्धि / कमी		21424,95,42,087	10461,02,50,436
ऋण और अग्रिमों में वृद्धि / कमी		(-)16067,23,06,900	(-)13425,10,46,317
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी		**(-) 26339,16,65,765**	**(-) 1106,54,55,366**
आयकर का भुगतान		(-) 601,39,55,521	(-) 463,77,13,257
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(अ)**	**(-) 26940,56,21,286**	**(-) 1570,31,68,623**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
अदा किया गया लाभांश		(-) 29,24,875	(-) 32,93,101
निवेश से आय		1307,40,79,660	903,34,71,377
अचल आस्ति की बिक्री पर लाभ / हानि		(-) 11,21,48,627	(-) 42,28,66,375
निवेश से लाभ / हानि		(-) 432,27,47,422	(-) 559,22,13,016
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई निवल नकदी	**(आ)**	**863,62,58,736**	**301,50,98,885**
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
प्राप्त अनुदान / अंशदान		22461,69,90,603	5303,10,94,480
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी	**(इ)**	**22461,69,90,603**	**5303,10,94,480**
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि	**(अ)+(आ)+(इ)**	**(-) 3615,23,71,947**	**4034,30,24,742**
अवधि के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		4527,11,51,488	492,81,26,746
अवधि की समाप्ति पर नकदी और नकदी समकक्ष		**911,87,79,541**	**4527,11,51,488**

अवधि की समाप्ति पर नकद और नकदी तुल्य राशियों में शामिल हैं :	2008-09	2007-08
हाथ में रोकड़	27,285	27,338
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	173,44,35,078	3797,73,08,158
भारत में अन्य बैंकों में शेष	420,21,61,810	107,56,48,175
मार्गस्थ प्रेषण	185,25,16,092	157,59,35,668
संपार्श्विकृत उधार और ऋण वितरण उत्तरदायित्व	132,96,39,276	464,22,32,149
जोड़	**911,87,79,541**	**4527,11,51,488**

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
खीमजी कुँवरजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

हसमुख बी.डेढिया
साझेदार
मुंबई
दिनांक : 17 जून 2009

एस.अकबर
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
मुंबई : 17 जून 2009

उमेश चंद्र सरंगी	डॉ.के.जी.करमाकर	टी. नंदकुमार	उषा थोरात
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक	निदेशक	निदेशक

वी रामकृष्ण राव
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

नान्देड (महाराष्ट्र)

महाराष्ट्र ग्रामीण बँक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2009.

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का निदेशक मंडल बैंक आफ महाराष्ट्र, जो प्रायोजक बैंक है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात: **महाराष्ट्र ग्रामीण बँक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2009.**

अशोक अन्नासो मगदुम
अध्यक्ष

अध्याय-I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

(i) ये विनियम महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2009 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

(iii) वे बैंक के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी पर लागू होंगे:

परन्तु यह कि वे, इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय या निदेशक मंडल द्वारा विशिष्ट रूप से या सामान्य रूप से यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक -

(क) दैनिक मजदूरी पर अस्थायी रूप से नियोजित किसी व्यक्ति पर अथवा संविदा के आधार पर लगे हुए ऐसे व्यक्ति पर,

(ख) प्रायोजक बैंक या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य संगठन से प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो-

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "नियत दिन" से सितंबर, 1987 का पहला दिन अभिप्रेत है।

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" से विनियम 5(1) में निर्धारित प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(घ) "क्षेत्र प्रबंधक" से तत्समय क्षेत्र कार्यालय का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है।

(ङ) "बैंक" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(च) "निदेशक मंडल" से बैंक का निदेश्क मंडल अभिप्रेत है।

(छ) "शाखा प्रबन्धक" से तत्समय शाखा का प्रभार धारण करनेवाला अधिकारी अभिप्रेत है।

(ज) "कैलेण्डर वर्ष" से किसी वर्ष की पहली जनवरी से प्रारंभ होकर उस वर्ष के 31 दिसंबर को समाप्त होनेवाली अवधि अभिप्रेत है।

(झ) "सक्षम प्राधिकारी" से अधिकारियों के मामले में अध्यक्ष और कर्मचारियों के मामले में अध्यक्ष द्वारा पदनामित अधिकारी अभिप्रेत है।

(ञ) "ड्यूटी" में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) परिवीक्षाधीन (व्यक्ति) के रूप में सेवा;

(ख) वह अवधि, जिसके दौरान अधिकारी या कर्मचारी कार्य ग्रहण समय पर है;

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश पर व्यतीत की गई अवधि; और

(घ) सेवा के दौरान प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि।

(ट) "परिलब्धियों" से संवेतन और भत्तों का, यदि कोई हो, जोड़ अभिप्रेत है।

(ठ) "कर्मचारी" से विनियम 3(क) (2) और (3) में विनिर्दिष्ट पदों में से किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसे कर्मचारी भी शामिल है, जिनकी सेवाएं अस्थायी रूप से अन्य संगठनों को उधार दी जाती है।

(ड) "परिवार" से अधिकारी या कर्मचारी की पत्नी/का पति (यदि पति/पत्नी भी बैंक का/की अधिकारी या कर्मचारी नहीं है) और अधिकारी या कर्मचारी की ऐसी संतान, माता-पिता, भाई और बहनें, जो पूर्णतः अधिकारी या कर्मचारी पर आश्रित हैं, अभिप्रेत हैं, किंतु इसके अंतर्गत विधिक रूप से पृथक पति/पत्नी शामिल नहीं है।

(ढ) "अधिकारी" से विनियम 3 (क) (1) में विनिर्दिष्ट पदों में से किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ण) "वेतन" से अवरोध वेतनवृद्धियों और परिलब्धियों के किसी भाग सहित, जिसे इन विनियमों के अंतर्गत विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत किया जाए, किसी वेतनमान में अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रतिमाह प्राप्त किया जाने वाला मूल वेतन अभिप्रेत है।

(त) "संवेतन" से वेतन और महंगाई भत्ते का जोड़ अभिप्रेत है।

(थ) "प्रायोजक बैंक" से बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभिप्रेत है और

(द) "वरिष्ठ प्रबंधक" से प्रधान कार्यालय में किसी विभाग का प्रभार धारण करनेवाला अधिकारी, जिसका रैंक स्केल-II के अधिकारी से कम न हो, अभिप्रेत है।

अध्याय-II

अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण, नियुक्ति, परिवीक्षा और सेवा की समाप्ति

3. अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण :

(क) बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(1) समूह-क अधिकारी संवर्ग

(i) स्केल - I

(ii) स्केल - II

(iii) स्केल - III

किसी वेतनमान के संबंध में पदनाम इस प्रकार होगा:

(i) अधिकारी

(ii) शाखा प्रबंधक

(iii) क्षेत्र प्रबंधक

(iv) वरिष्ठ प्रबंधक

और ऐसे अन्य वेतनमान और पदनाम, जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) समूह-ख-लिपिकीय संवर्ग

लिपिकीय संवर्ग अर्थात् लिपिक-सह-खजांची, लिपिक-सह-टंकक, आशुलिपिक और ऐसी अन्य श्रेणियां, जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) समूह-ग-अधीनस्थ संवर्ग

अधीनस्थ स्टॉफ अर्थात संदेशवाहक, संदेशवाहक-सह-सफाई कर्मचारी, ड्रायवर, ड्रायवर-सह-संदेशवाहक, अंशकालिक संदेश-वाहक-सह-सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और ऐसी अन्य श्रेणियां, जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ख) इस विनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए अधिकारियों या कर्मचारियों के सभी संवर्गों या श्रेणियों का हर समय बैंक में कार्यरत होना अपेक्षित है।

4. अस्थायी कर्मचारी

इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अध्यक्ष ऐसे सामान्य या विशिष्ट अनुदेशों के अध्यधीन, जो समय-समय पर निदेशक मण्डल द्वारा जारी किए जाएं, किसी विशिष्ट जरूरत या परिस्थिति से निपटने के लिए किसी व्यक्ति को लिपिकीय संवर्ग और/या अधीनस्थ संवर्ग में वर्ष में 60 दिन से अनधिक की अवधि के लिए तदर्थ और/या अस्थायी आधार पर नियोजित कर सकता है:

परन्तु यह कि तदर्थ और/या अस्थायी आधार पर ऐसी नियुक्तियां प्रायोजक बैंक के परामर्श से की जाएंगी।

5. बैंक की सेवा में नियुक्ति

(1) अधिकारियों के संबंध में अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा। कर्मचारियों के संबंध में महाप्रबन्धक नियुक्ति प्राधिकारी होगा :

परन्तु यह कि यदि महाप्रबन्धक के पद पर कोई पदधारी न हो, तो कर्मचारियों के संबंध में भी अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

(2) बैंक में सभी नियुक्तियां विनियम 4 में यथा उपबंधित के सिवाय अधिनियम की धारा 29 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएंगी।

(3) बैंक की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को बैंक द्वारा यथा निर्धारित या मान्यताप्राप्त चिकित्सा प्राधिकारी से स्वस्थता (फिटनेस) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(4) **(i) अनर्हता** - ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसकी पत्नी/पति जीवित हो,

अथवा

(ख) जिसने पत्नी/पति के जीवित होते हुए भी, किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह करने का करार किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और यह कि ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।

(ii) घोषणा

बैंक की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अनुसूची-II के अनुसार अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।

6. वेतनमान और भत्ते

विनियम 3 में उल्लिखित किसी भी समूह में किसी भी पद पर नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी का वेतनमान, भत्ते और वेतन वृद्धियां उस प्रकार की होंगी, जो अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर विनिर्धारित की जाएं।

7. सेवा का प्रारम्भ

बैंक में नियुक्त किसी भी व्यक्ति की सेवा, उसे दिए गए नियुक्ति के प्रस्ताव के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार किसी भी पद पर ड्यूटी के लिए उसके रिपोर्ट करने के कार्य दिवस से आरम्भ होगी :

परन्तु यह कि यदि वह ऐसे कार्य दिवस के अपराह्नमें कार्यग्रहण करता है, तो वह उस दिन का वेतन और भत्ते प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

8. परिवीक्षा

(i) स्केल-I में सीधे नियुक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ii) अधिकारी संवर्ग के स्केल-I में किसी पद पर पदोन्नत कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः महीने से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(iii) उच्चतर स्केल में पदोन्नत अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः महिने से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(iv) (क) लिपिकीय या अधीनस्थ संवर्ग में सीधे नियुक्त कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः महिने से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) अधीनस्थ संवर्ग का कर्मचारी लिपिकीय संवर्ग में किसी पद पर पदोन्नत किए जाने पर छः महिने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(v) किसी अधिकारी या कर्मचारी के मामले में परिवीक्षा की अवधि, उसके द्वारा ली गई असाधारण छुट्टी की मात्रा तक या नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उस अवधि के दौरान उसका कार्यनिष्पादन असंतोषजनक होने पर अनुज्ञेय सीमाओं के अन्दर बढ़ाई जा सकेगी।

9. स्थायीकरण

(i) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, किसी अधिकारी या कर्मचारी ने अपनी परिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो, तो उस अधिकारी या कर्मचारी को बैंक की सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा।

(ii) यदि परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, सहित परिवीक्षा की अवधि के दौरान, नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि अधिकारी या कर्मचारी उक्त पद पर स्थायीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो:

(क) सीधे नियुक्त किए गए अधिकारी या कर्मचारी के मामले में, उसकी सेवाएं एक महीने का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक महीने का वेतन देकर समाप्त की जा सकती हैं।

(ख) बैंक की सेवा से पदोन्नत किए गए किसी अधिकारी या कर्मचारी के मामले में, उसे उसी पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिससे उसे पदोन्नत किया गया था।

10. नोटिस द्वारा सेवा की समाप्ति

(1) (क) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नौकरी छोड़ने या आगे जारी न रखने या त्यागपत्र देने के अपने इरादे के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में पूर्व नोटिस दिए बिना बैंक में अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकेगा।

(ख) नोटिस की अपेक्षित अवधि इस प्रकार होगी :-

(i) किसी अधिकारी के मामले में तीन महीने, और

(ii) किसी कर्मचारी के मामले में एक महीना ।

(ग) किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उप-विनियम (1) (ख) के भंग के मामले में, उसे बैंक को क्षतिपूर्ति के रूप में, उससे अपेक्षित नोटिस की अवधि के उसके वेतन के बराबर रकम का भुगतान करना होगा।

(2) उप-विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई अधिकारी या कर्मचारी, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां लम्बित हैं, नियुक्ति प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना बैंक की सेवा छोड़ नहीं सकेगा अथवा त्यागपत्र नहीं दे सकेगा और अनुशासनिक कार्यवाहियों से पूर्व या उसके दौरान ऐसे अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र का कोई भी नोटिस तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए।

स्पष्टीकरण

यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया हो या उसे यह कारण बताने का कोई नोटिस जारी किया गया हो कि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां क्यों न शुरू की जाएं, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने तक इस विनियम के प्रयोजन के लिए उस अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों को लंबित माना जाएगा।

11. अधिवार्षिता और सेवा-निवृत्ति

1. (1) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा-निवृत्त होगा।

परन्तु यह कि अध्यक्ष, इसमें इसके पश्चात् उप-विनियम (2) में यथा उपबंधित विशेष समीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए जाने पर, अपने विवेकानुसार किसी अधिकारी या कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद या बैंक में 30 वर्ष की कुल सेवा पूरी होने के बाद, जो भी पहले हो, किसी भी समय सेवा-निवृत्त कर सकता है:

परन्तु यह भी कि इस उप-विनियम के तहत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को तब तक सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि अधिकारी के मामले में कम से कम तीन महीने पहले और कर्मचारी के मामले में एक महीने पहले उसे। लिखित में नोटिस न दे दिया जाए या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को उसके बदले अधिकारी के मामले में तीन महीने के बराबर और कर्मचारी के मामले में एक महीने के बराबर धनराशि न दे दी जाए:

परन्तु यह भी कि उप-विनियम (2) में किए गए प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष के आदेश से असंतुष्ट अधिकारी या कर्मचारी आदेश दिए जाने के एक महीने के भीतर अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध बोर्ड को लिखित अभ्यावेदन दे सकता है और ऐसा अभ्यावेदन मिलने पर बोर्ड तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगा। जहां बोर्ड यह निर्णय लेता है कि अध्यक्ष द्वारा दिया गया आदेश न्यायोचित नहीं है उस मामले में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी इस तरह से बहाल कर दिया जाएगा, जैसे कि अध्यक्ष ने कोई आदेश ही न दिया हो

(2) अध्यक्ष बोर्ड के कम से कम तीन सदस्यों वाली एक ऐसी विशेष पुनरीक्षा समिती का गठन करेगा, जो यह पुनरीक्षा करेगी कि उप-विनियम (1) के अनुसार किसी अधिकारी या कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर दिया जाना चाहिए या नहीं। यह समिति प्रत्येक ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के मामले की समय-समय पर पुनरीक्षा करेगी और अध्यक्ष को सिफारिश करेगी।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिए वह अधिकारी या कर्मचारी, जिसकी जन्म-तिथि महीने की पहली तारीख हो, अधिवार्षिता की आयु पूरी होनेवाले महीने के पिछले महीने के आखिरी दिन सेवानिवृत्त होगा। जो अधिकारी या कर्मचारी कैलेण्डर माह के दौरान पहले दिन को छोड़कर किसी अन्य दिन अधिवार्षिता की आयु पूरी करता है, वह उस महीने के अन्तिम दिन सेवानिवृत्त होगा।

अध्याय - 3

सेवा-रिकार्ड, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं प्रत्यावर्तन

12. सेवा-रिकार्ड

बैंक द्वारा प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के संबंध में बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए स्थान या स्थानों पर सेवा-रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र में रखा जाएगा और उसमें निर्धारित जानकारी निहित होगी।

13. वरिष्ठता

(i) बैंक उप-विनियम (3), (4), (5) और (6) के उपबंधों तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों एवं मार्गनिर्देशों के अध्यधीन अधिकारी या कर्मचारी के प्रत्येक संवर्ग के लिए पृथक वरिष्ठता सूचियां तथा संवर्ग के अन्तर्गत संवर्ग-वार सूचियां रखेगा।

(ii) इन वरिष्ठता सूचियों की बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अन्तरालों पर पुनरीक्षा की जाएगी एवं उन्हें अद्यतन किया जाएगा तथा इन्हें अधिकारियों या कर्मचारियों, जैसा भी मामला हो, के बीच परिचालित किया जाएगा।

(iii) (क) किसी संवर्ग या वेतनमान में पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी की वरिष्ठता की गणना उस संवर्ग या वेतनमान में उसकी नियुक्ति की तारीख के सन्दर्भ में की जाएगी।

(ख) जहां उस संवर्ग या वेतनमान में समान सेवा विस्तार वाले दो या अधिक पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी हों, वहां उनकी परस्पर वरिष्ठता की गणना उनकी इसके ठीक पहले के संवर्ग या वेतनमान में उनकी वरिष्ठता के सन्दर्भ में की जाएगी।

(ग) जहां ऐसे पूर्ववर्ती संवर्ग या वेतनमान में समान सेवा विस्तार वाले दो या अधिक पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी हों, वहां उनकी वरिष्ठता उससे ठीक पहले के संवर्ग या वेतनमान, जैसा भी मामला हो, के सन्दर्भ में निर्धारित की जाएगी।

(iv) जो भूतपूर्व क्षेत्र अधिकारी या शाखा प्रबन्धक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली के दिनांक 29 अप्रैल, 1980 के पत्र संख्या एफ 2/17/79- आर.आर.बी. द्वारा परिचालित संशोधित वेतनमानों को बैंक द्वारा अपनाए जाने की तारीख को बैंक की सेवा में थे, शाखा प्रबन्धकों की तुलना में उनकी वरिष्ठता की गणना इस तरह की जाएगी कि सभी भूतपूर्व क्षेत्र अधिकारी और/या लेखाकार तत्कालीन मौजूद शाखा प्रबन्धकों की तुलना में कनिष्ठ रैंक में होंगे, बशर्ते कि सरकार के दिनांक 22 फरवरी, 1991 के पत्र संख्या 11-3/902-आर.आर.बी. (i) से ठीक पहले मौजूद संवर्ग या वेतनमान के अन्तर्गत आनेवाले अधिकारियों या कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता वही रहे।

(v) किसी संवर्ग या वेतनमान में किसी बैच में सीधे भर्ती हुए अधिकारियों या कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता की गणना उनके चयन के समय उनको आबंटित रैंक के सन्दर्भ में की जाएगी। बशर्ते कि यदि सामान्य या आरक्षित श्रेणियों के तहत भर्ती किए गए अधिकारी या कर्मचारी बैंक को आबंटित किए जाते हैं तो एक ही तारीख को कार्यभार ग्रहण करनेवाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता आरक्षित श्रेणी के लिए आनुमानिक अंक जोड़े बिना ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

14. पदोन्नति

सभी पदोन्नतियां बैंक के स्वनिर्णय से की जाएंगी और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी पद या संवर्ग में पदोन्नति के लिए अधिकार पूर्वक दावा नहीं कर सकता है :

परन्तु यह कि बैंक में अधिकारियों या कर्मचारियों की पदोन्नतियां केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

15. प्रत्यावर्तन

कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जिसे अपेक्षाकृत उच्च संवर्ग या वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो या जहां उच्च संवर्ग या वेतनमान में स्थायीकरण किसी विशिष्ट अवधि या अन्यथा परिवीक्षा में रहने के अध्यधीन हो, वहां उसे बिना नोटिस दिए स्थानापन्न रूप से कार्य करने या परिवीक्षा से किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

अध्याय-4

आचरण, अनुशासन एवं अपील

16. किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा की गुंजाइश

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक का पूर्णकालिक अधिकारी या कर्मचारी होगा और उसकी सेवाएं बैंक को प्रदान की जाएंगी तथा वह बैंक को उसके कारोबार में उस व्यक्ति या व्यक्तियों, जिनके न्याय-निर्णय, निगरानी या नियंत्रण में उसे रखा गया हो, के निर्देशानुसार क्षमता और स्थान पर सहायता देगा।

17. विनियमों एवं आदेशों के अनुपालन का दायित्व

बैंक का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी इन विनियमों के अनुसार कार्य करेगा और उनका अनुपालन करेगा तथा उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर दिए गए सभी अदेशों एवं निर्देशों का भी अनुपालन करेगा, जिनके न्याय-निर्णय, निगरानी या नियंत्रण में उसे रखा गया हो।

18. गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अपने ग्राहकों के बैंक संबंधी कार्यों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी गोपनीय प्रकृति की सूचना को जनता के किसी व्यक्ति या बैंक के किसी कर्मचारी पर तब तक प्रकट नहीं करेगा, जब तक वह न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न हो या जब तक उसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपना कर्तव्य पूरा करने हेतु ऐसा करने के लिए न कहा जाए। इसे सूचित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी अनुसूची सं.1 में यह घोषणा करेगा।

19. बैंक-हित को बढ़ाने का दायित्व

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक की सेवा ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक करेगा और बैंक का हित बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा तथा सरकारी अधिकारियों, बैंक के ग्राहकों के साथ लेन-देन करते समय शिष्टाचार दिखाएगा एवं उन पर ध्यान देगा।

20. प्रेस, रेडियो आदि का योगदान

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस या रेडियो या दूरदर्शन आदि के लिए कोई भी लेख नहीं देगा और ऐसी मंजूरी के बिना ऐसे किसी दस्तावेज या जानकारी को सार्वजनिक या प्रकाशित नहीं करेगा, जो उनकी सरकारी क्षमता में उसके अधिकार में हो।

21. अधिकारी या कर्मचारी द्वारा बाहर के रोजगार या व्यवसाय या पारिवारिक व्यवसाय बढ़ाने में भाग न लेना

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी बाहरी क्रियाकलाप, रोजगार या कार्यालय, चाहे वह वेतनभोगी हो या अवैतनिक, को स्वीकार, उसके लिए अनुरोध या मांग नहीं करेगा:

परन्तु कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसी मंजूरी के बिना किसी सामाजिक या धर्मदाय स्वरूप का अवैतनिक कार्य अथवा साहित्यिक, कलात्मक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक प्रकृति का आकस्मिक कार्य इस शर्त के अधीन रहते हुए कर सकता है कि उससे उसके कार्यालयीन कार्यों में कोई बाधा न पहुंचे।

परन्तु यह भी कि उस कार्य को वह हाथ में नहीं लेगा या उसे करना बन्द कर देगा यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैसा करने का निर्देश दिया जाए।

स्पष्टीकरण

(i) अधिकारी या कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य यदि किसी व्यापार या किसी कारोबार में लगा है या किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी का स्वामी है या उसका प्रबंध करता है तो वह इसकी सूचना बैंक को देगा।

(ii) किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी के जो उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में या प्रबंध के अधीन हो, व्यापार में सहायता के लिए प्रचार करने के कार्य को इस उप विनियम का उल्लंघन माना जाएगा।

(iii) कोई अधिकारी या कर्मचारी बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना और अपने अधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के सिवाय, किसी ऐसे बैंक या अन्य कंपनी के, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित है, अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी सरकारी समिती के रजिस्ट्रीकरण प्रवर्तन या प्रबंध में भाग नहीं लेगा।

परन्तु कोई अधिकारी या कर्मचारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी सहकारी समिती के, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या परोपकारी समिती के रजिस्ट्रीकरण, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

(iv) कोई अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी सार्वजनिक संस्था या प्राइवेट व्यक्ति से उसके लिए अपने द्वारा किए गए किसी काम के बदले कोई फीस स्वीकार नहीं करेगा।

22. अधिकारी या कर्मचारी का अनुमति लिए बिना डयूटी से अनुपस्थित नहीं होना या उपस्थिति में देर न करना

(1) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना डयूटी से अनुपस्थित नही होगा और न ही वह बीमारी या दुर्घटना के मामले में समुचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किए बिना अनुपस्थित रहेगा।

(2) कोई अधिकारी या कर्मचारी, जो बिना छुट्टी के डयुटी से अनुपस्थित रहता है या मंजूर की गई छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहता है तो वह ऐसी अनुपस्थिति या अधिक समय तक छुट्टी पर रहने की अवधि के लिए कोई वेतन एवं भत्ते लेने का हकदार नहीं होगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अधिकारी या कर्मचारी ऐसी परिस्थितियों में अनुपस्थित या अधिक छुट्टी में रहा जो उसके नियंत्रण से बाहर थी तो वह ऐसी अनुपस्थिति या अधिक छुट्टी को अनदेखी कर सकता है और निदेश दे सकता है कि ऐसी अनुपस्थिति या अधिक छुट्टी को स्वीकार्य छुट्टी द्वारा नियमित किया जाए।

23. स्टेशन से बाहर रहना

यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अन्य मामलों में शाखा प्रभारी या प्रभारी अधिकारी या शाखा प्रबन्धक का कार्यभार लेता है तो वह अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के बिना रात भर मुख्यालय से बाहर नहीं रह सकता।

24. उपहार और दहेज स्वीकार करने से मनाही

(i) कोई अधिकारी या कर्मचारी न तो स्वयं बैंक के किसी ग्राहक से या अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी से कोई उपहार स्वीकार करेगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य या अपनी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को उपहार स्वीकार करने की अनुमति देगा।

(ii) कोई अधिकारी या कर्मचारी :-

(1) दहेज नहीं देगा या नहीं लेगा या दहेज लेने के लिए नहीं उकसाएगा; या

(2) दुल्हन या दूल्हे के माता-पिता या संरक्षक से, जैसा भी मामला हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दहेज नहीं मांगेगा।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के लिए "दहेज" का वही अर्थ है, जो दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) में है।

25. स्टाकों, शेयरों आदि में सट्टेबाजी

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी संस्था के स्टाकों, शेयरों, प्रतिभूतियों या किसी किस्म की वस्तुओं में सट्टेबाजी नहीं करेगा।

परन्तु यह विनियम किसी रूप में किसी अधिकारी या कर्मचारी को अपने तरीके से अपनी निधियों का प्रमाणिक निवेश करने से रोकने वाला नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण

किसी संस्था के स्टाकों, शेयरों या प्रतिभूतियों या किसी किस्म की वस्तु की जल्दी-जल्दी क्रय या विक्रय करना इस विनियम के प्रयोजन के लिए सट्टेबाजी माना जाएगा।

26. कर्ज लेने और देने तथा निवेशों पर प्रतिबन्ध

(1) कोई अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से :-

(i) किसी दलाल या साहूकार या बैंक के किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी या किसी ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के संघ, फर्म कंपनी या संस्था से, चाहे वह निगमित हो या न हो, जिसके साथ बैंक का लेन-देन का व्यवहार हो, कर्ज नहीं लेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य को कर्ज लेने की अनुमति नहीं देगा या अन्यथा स्वयं को या अपने किसी परिवारजन को किसी आर्थिक बाध्यता में नहीं डालेगा।

(ii) किसी बिक्री के मामले में डिलीवरी या स्क्रिप्स की खरीदारी के मामले में पूरी कीमत चुकाने के लिए धन के बिना स्टाकों, शेयरों या किसी भी तरह की प्रतिभूतियों की खरीद - फरोख्त नहीं करेगा।

(iii) किसी घुड़दौड के समय ऋण नहीं लेगा।

(iv) बैंक के किसी संघटक को निजी हैसियत में कर्ज नहीं देगा या विनियम पत्रों, सरकारी ऋण पत्र या किन्हीं अन्य प्रत्याभूतियों की खरीद-फरोख्त में ऐसे संघटक से कोई व्यक्तिगत लेन-देन का व्यवहार नहीं रखेगा; और

(v) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपनी निजी हैसियत से किसी अन्य व्यक्ति की आर्थिक बाध्यताओं की गारंटी नहीं देगा या उस हैसियत में किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं होगा।

परन्तु कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी रिश्तेदार या निजी मित्र से बिना ब्याज की कम रकम वाला बिल्कुल अस्थायी

कर्ज ले सकता है या उन्हें दे सकता है, या किसी वास्तविक व्यापारी के पास उधारखाता खोल सकता है या अपने किसी निजी कर्मचारी को वेतन अग्रिम दे सकता है।

परन्तु कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी ऐसी सहकारी उधार सोसायटी से ऋण प्राप्त कर सकता है, जिसका वह सदस्य हो या, जिस सहकारी उधार सोसाइटी का वह सदस्य हो, उससे किसी अन्य सदस्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए जमानत दे सकता है।

(2) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने निजी कार्यों को इस तरह से व्यवस्थित करेगा कि वह दिवालिएपन या आदतन ऋणग्रस्तता से बच सके। ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जो ऋणग्रस्त हो, सक्षम प्राधिकारी को 30 जून एवं 31 दिसम्बर को अपनी छमाही स्थिति का विवरण हस्ताक्षर करके देगा और विवरण में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उपायों का उल्लेख करेगा। ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जो इस नियम के तहत झूठा विवरण देता है या जो निर्धारित विवरण नहीं दे पाता या जो उचित समय - सीमा के अन्दर अपना ऋण चुकाने में असमर्थ रहता है या बचाव के लिए दिवालिएपन से सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन करता है, उसे बर्खास्त किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण 1 :- इस नियम के प्रयोजन से किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को ऋणी समझा जाएगा अगर उसकी कुल देयताएं पुरी तरह से सुरक्षित देयताओं को छोड़कर, बारह माह के मूल वेतनसे अधिक है।

स्पष्टीकरण 2 :- किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को पर्याप्त समय के भीतर अपने ऋण परिसमाप्त करने में असमर्थ समझा जाएगा अगर उसके निजी संसाधनों एवं अपरिहार्य चालू खर्चों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वह दो वर्षों की अवधि के भीतर ऋण से मुक्त नहीं होगा।

27. चल, अचल और बहुमूल्य सम्पत्ति

(1) प्रत्येक अधिकारी अपनी पहली नियुक्ति पर निम्नलिखित के संबंध में पूरा ब्यौरा देते हुए अपनी आस्तियों एवं देयताओं से संबंधित एक विवरणी प्रस्तुत करेगा:-

(क) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके द्वारा अपने नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे या बंधक के रूप में धारित अचल सम्पति;

(ख) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या उपर्युक्त रूप से उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित या धारित शेयर डिबेन्चर और नकदी, जिसके अंतर्गत बैंक में जमा धन भी है;

(ग) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त और उपर्युक्त रूप में उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित या धारित अन्य चल सम्पति; तथा

(घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए कर्ज और उठाए गए अन्य दायित्व। परन्तु उस अधिकारी के मामले में, जो उस तारीख को जब ये विनियम लागू हों, बैंक में सेवारत हो, वह इन विनियमों के लागू होने के तीन महीने के भीतर इस विनियम की शर्तों के अनरूप विवरणी प्रस्तुत करेगा। यह विवरणी अधिकारी की आस्तियों और देयताओं की उस तारीख की स्थिति के बारे में होगी जब से ये विनियम लागू हों।

(2) प्रत्येक अधिकारी प्रति वर्ष उस वर्ष के 30 अप्रैल से पहले उस वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी चल, अचल सम्पति की एक विवरणी बैंक को प्रस्तुत करेगा।

(3) कोई अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना अपने नाम में या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में कोई अचल सम्पत्ति पट्टे, बंधक, क्रय, विक्रय, उपहार या किसी अन्य रूप में न तो अर्जित करेगा और न उसका निपटान करेगा।

परन्तु अधिकारी या कर्मचारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी यदि ऐसा कोई लेन-देन :-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाए जिसके साथ अधिकारी के आधिकारिक संबंध हो;

(ख) किसी नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी के माध्यम से करने के बजाए अन्यथा किया जाए।

(4) प्रत्येक अधिकारी उस चल सम्पति से संबंधित प्रत्येक लेन - देन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा, जो उसके अपने नाम में या उसके किसी परिवारजन के नाम से उसके पास हो या उसके स्वामित्व में हो, यदि उस सम्पत्ति का मूल्य 10,000 रु. से अधिक हो।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी तब अवश्य प्राप्त करनी होगी यदि ऐसा कोई लेन - देन:

(क) ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका अधिकारी के साथ आधिकारिक व्यवहार हो, या

(ख) किसी नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी के माध्यम से न होकर अन्यथा हो।

(5) पूर्वगामी उपविनियम में दिए गए किसी तथ्य के बावजूद सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से उस चल या अचल सम्पति का, जो उसके पास हो या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी परिवार - जन द्वारा धारित हो या अर्जित की गई हो, उक्त आदेश में निदेश के अनुसार और आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ब्यौरेवार सम्पूर्ण

विवरण पेश करने की मांग कर सकता है। यदि बैंक द्वारा कहा गया हो तो उस विवरण में उन स्रोतों के ब्यौरे भी जिनसे यह सम्पत्ति अर्जित की गई हो, शामिल करने होंगे।

28. विवाह संबंधी पाबंदी

(1) (i) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हो, न तो विवाह करेगा और नही विवाह करने की संविदा करेगा; और

(ii) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से न तो विवाह करेगा और न ही विवाह करने की संविदा करेगा:

परन्तु किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को खण्ड (1) या खण्ड (2)में उल्लिखित कोई ऐसा विवाह करने या विवाह संविदा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुमति दे सकता है बशर्ते उसका यह समाधान हो जाए कि:

(क) ऐसे अधिकारी अथवा कर्मचारी और विवाह के दूसरे पक्षकार को लागू स्वीय विधि (पर्सनल ला) के अधीन ऐसे विवाह के लिए अनुमति दी जा सकती है; और

(ख) ऐसा करने के लिए अन्य आधार है।

(2) यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी ने किसी ऐसे व्यक्ति से जो भारतीय नागरिक नहीं है, विवाह किया है या करता है तो वह इस तथ्य की सूचना बैंक को तुरन्त देगा।

29. कर्ज अथवा दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार अधिकारी अथवा कर्मचारी

(1) अधिकारी अथवा कर्मचारी जिसे कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में कर्ज के लिए अथवा किसी दंडनीय आरोप के लिए गिरफ्तार किया जाता है अथवा नजरबंद किया जाता है, सक्षम अधिकारी द्वारा यथा निदेशित, उसकी गिरफ्तारी की तारीख से अथवा जैसा मामला हो, उसे नजरबंद करने की तारीख से ऐसी तारीख तक अथवा ऐसी अवधि के दौरान, जैसा सक्षम प्राधिकारी ने निदेश दिया हो, निलंबित अथवा निलंबनाधीन माना जाएगा।

बशर्ते कि उस अवधि के संबंध में जिसके लिए उसे ऐसा माना जाता है, उसे विनियम 45 में यथा विनिर्दिष्ट निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

(2) किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को उप-विनियम (1) के अंतर्गत किया गया कोई भुगतान उसके वेतन एवं भत्तों के समायोजन के अध्यधीन होगा जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार तथा इस निर्णय के संबंध में कि क्या ऐसी अवधि की गणना ड्यूटी की अवधि अथवा छुट्टी के रूप में मानी जाए, के अनुसार किया जाएगा।

पूरा वेतन तथा भत्ते अनुमत्य होंगे बशर्ते कि अधिकारी अथवा कर्मचारी को:

(क) ऐसी अवधि के दौरान ड्यूटी पर होना माना जाता है तथा

(ख) सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है अथवा सक्षम प्राधिकारी को अपने नजरबंदी से रिहाई के मामले में अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा अपनी नजरबंदी अपास्त करवाने में संतुष्ट कर देता है कि वह अनुचित आचरण का दोषी नहीं पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप उसे नजरबंद किया गया था।

(3) (क) अधिकारी अथवा कर्मचारी निलम्बन अथवा विनियम 38 में उल्लिखित अन्य किसी शास्ति का जिम्मेदार होगा अगर वह कर्ज के लिए जेल जाता है अथवा कोई ऐसा अपराध करता है जो सक्षम प्राधिकारी के मत में किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़ा हुआ है, अथव बैंक के किसी कार्य से संबंध रखता है अथवा बैंक में अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा की गई अपनी ड्यूटी से जुड़ा हुआ है, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का मत अंतिम एवं अधिकारी अथवा कर्मचारी पर बाध्य होगा।

(ख) ऐसा निलम्बन अथवा अन्य शास्ति उसके जेल जाने की अथवा दोषी पाए जाने की तारीख से अधिरोपित की जाएगी तथा ऐसे अधिरोपण पर विनियम 38 का कोई अंश लागू नहीं होगा।

(4) जहां कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी का निलम्बन उप-विनियम (3) के अनुसरण में किया जाता है तथा उच्च न्यायालय द्वारा सापेक्ष दोषारोपण अपास्त कर दिया जाता है तथा अधिकारी अथवा कर्मचारी को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया जाता है, तब उसे सेवा में बहाल किया जाएगा।

(5) जहां किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की अनुपस्थिति छुटटी लिए बिना है अथवा उसका स्वीकृत छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने का कारण कर्ज के लिए अथवा दंडनीय आरोप के कारण हिरासत में होना अथवा कानूनी किसी प्रक्रिया के अनुसरण में नजरबंद किया जाना है, विनियम 22 के उपबंध भी लागू होंगे, यथा लागू विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी अथवा कर्मचारी को छुट्टी के बिना अनुपस्थित होना माना जाएगा अथवा जैसा मामला हो, उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों में अन्यथा छुट्टी से अधिक रूका हुआ माना जाएगा।

30. राजनिति में भाग लेने तथा चुनाव लडने पर प्रतिबंध

कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी राजनीति में अथवा राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रीय रूप में भाग नहीं लेगा अथवा नगर परिषद, जिला परिषद, जिला मंडल/ बोर्ड अथवा अन्य किसी स्थानीय अथवा विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नही लडेगा।

31. कुछ संघो का सदस्य बनने, हड़ताल आदि में भाग लेने पर प्रतिबंध

(1) कोई अधिकारी, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दिए गए अर्थ के अनुसार "कर्मकार" नही है,

(क) बैंक के कर्मचारियों जो उस अधिनियम के अर्थ में कर्मकार है, के किसी मजदूर संघ अथवा ऐसे मजदूर संघो के किसी महासंघ का सदस्य नही बनेगा अथवा सदस्य बना रहेगा अथवा पदधारी अथवा अन्यथा स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रुप से उससे कोई सम्बध होगा।

(ख) बैंक के किसी कर्मचारी की सेवा शर्तो अथवा आपनी सेवा शर्तो से संबंधित किसी मामले के संबंध में किसी प्रदर्शन का आश्रय अथवा किसी रुप में उकसाना, किसी रुप में हडताल अथवा किसी हिंसात्मक,अनुचित अथवा अशोभनिय कृत्य नही करेगा

(2) कोई कर्मचारी, जो उस ग्रेड अथवा पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता है जो उपर्युक्त उल्लिखित "कर्मकार" या ग्रेड अथवा पद नहीं है के सबंध में ये विनियम तब तक लागू रहेंगे जब तक कर्मचारी ऐसे उच्च ग्रेड अथवा पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहेगा।

(3) कोई कर्मचारी किसी ऐसी संस्था का सदस्य नहीं बनेगा अथवा बना रहेंगा जिसकें उद्देश्य और गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता के हितों के, राज्य की सुरक्षा के, बाह्य राज्यों के साथ मित्रता के संबंधो के, सार्वजनिक व्यवस्था, निन्दा अथवा अपराध प्रेरणा के प्रतिकूल हों।

32. साक्ष्य देना

(i) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्ति, समिती या प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी जांच के सिलसिले में साक्ष्य नहीं देगा।

(ii) जहां उप-विनियम (i) के अंतर्गत अनुमति दी गई हो वहां कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी ऐसा साक्ष्य देते हुए केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकार या बैंक की नीति या उसके किसी कार्य की आलोचना नहीं करेंगा।

33. बैंक अधिकारी अथवा कर्मचारी के सम्मान में कार्यक्रम

(1) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई सम्मानार्थ या विदाई अभिनंदन स्वीकार नहीं करेगा या कोई प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं करेगा या अपने सम्मान में या बैंक के किसी अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सत्कार आयोजन में भाग नहीं लेगा:

परन्तु यह उप-विनियम किसी भी रूप में निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा -

(क) अधिकारी अथवा कर्मचारी या बैंक के अन्य किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को सेवा निवृत्ति या बदली होने के अवसर पर या जिस व्यक्ति ने हाल ही में बैंक की नौकरी छोड़ दी हो उसके सम्मान में आयोजित पर्याप्त रूप से निजी और अनौपचारिक प्रकृति का विदाई आयोजन; और

(ख) बैंक अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के संघ द्वारा आयोजित साधारण तथा कम खर्च वाला सत्कार स्वीकार करना।

(2) (क) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर प्रभाव के द्वारा उसे विदाई आयोजन में चन्दा देने के लिए राजी या बाध्य नही करेगा।

(ख) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी उच्च ग्रेड वाले अधिकारी अथवा कर्मचारी के सत्कार के लिए किसी मध्यम या निम्न ग्रेड वाले अधिकारी अथवा कर्मचारी से विदाई आयोजन के लिए चन्दा एकत्र नही करेगा।

34. अनुयाचन

कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी बैंक के अधीन अपने सेवा से संबंधित मामलों के बारे में अपने हितों को बढ़ाने के लिए किसी उच्च अधिकारी पर कोई राजनैतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं डलवाएगा और न ही डलवाने का प्रयास करेगा।

35. चन्दा

कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्राहकों से कोई निधि बनाने या नकद या वस्तु के रूप में कोई अन्य संग्रहण करने के काम में स्वयं को शामिल नहीं करेगा या उसके लिए चन्दा स्वीकार नहीं करेगा या चन्दा नहीं मांगेगा।

36. मादक द्रव्यों का सेवन

अधिकारी अथवा कर्मचारी -

(क) जिस किसी क्षेत्र में जिस समय भी मौजूद हो, वहां वह उस क्षेत्र में मादक पेय, औषध द्रव्यों (ड्रग) या अन्य पदार्थों से संबंधित लागू किसी भी कानून का ठीक पालन करेगा;

(ख) अपनी डयूटी के दौरान किसी मादक पेय, औषध अथवा अन्य पदार्थ के असर में नहीं रहेगा और यह सावधानी बरतेगा कि उसके कर्तव्यों के पालन किए जाने में ऐसे पेय, औषध अथवा अन्य पदार्थ का किसी तरह से कोई दुष्प्रभाव न हो;

(ग) सार्वजनिक स्थल पर मादक पेय, औषध अथवा अन्य पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा;

(घ) नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थल पर उपवस्थित नही होगा।

स्पष्टीकरण :

इस नियम के प्रयोजन के लिए "सार्वजनिक स्थान" से ऐसा कोई भी स्थान या परिसर (जिसके अंतर्गत क्लब, चाहे वे ऐसे सदस्यों के लिए अनन्य रूप से हों जहां उन्हें गैर सदस्यों को मेहमानों के रूप में आमंत्रित करने की अनुमति प्राप्त है, बार और रेस्तरां, भी हैं) अभिप्रेत है जहां साधारण जन भुगतान करके अथवा अन्यथा प्रवेश कर सकता है या उसे प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है।

37. यौन उत्पीड़न

कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी कार्य स्थल पर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न का कोई कृत्य नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए "यौन उत्पीड़न" में प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: ऐसे अवांछनीय कामुक व्यवहार शामिल हैं, जैसे:-

(क) शारीरिक स्पर्श और पहल

(ख) यौन चाह की मांग अथवा अनुरोध

(ग) यौन रंजित अभ्युक्तियां

(घ) कोई अश्लील साहित्य दिखाना, अथवा

(ङ) कोई अवांछनीय शारीरिक, मौखिक अथवा गैर-मौखिक यौन प्रकृति का आचरण।

38. शास्तियां

इस अध्याय के पूर्ववर्ती विनियमों के पूर्वाग्रह के बिना, अगर कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी इन विनियमों का उल्लंघन करता है अथवा उपेक्षा, अकुशलता अथवा निष्क्रियता दर्शाता है अथवा बैंक के हितों के लिए हानिकर अथवा इसके अनुदेशों के प्रतिकूल कार्य करता है अथवा अनुशासन भंग का कार्य करता है अथवा कदाचार के किसी कार्य के लिए दोषी है, नीचे दी गई शास्तियों में से किसी एक अथवा अधिक का दोषी होगा।

I. अधिकारी

(क) छोटे दण्ड :

(i) निन्दा करना;

(ii) संचयी प्रभाव सहित या रहित वेतन वृद्धियां रोक रखना;

(iii) पदोन्नति रोक रखना;

(ख) बड़े दण्ड :

(i) लापरवाही या आदेश भंग के कारण बैंक को हुई आर्थिक हानि का पूरा अथवा अंशत: उसके वेतन से अथवा उसे देय अन्य रकम में से वसूली ;

(ii) निचले प्रक्रम या पद में कमी अथवा समय - मान में निचले वेतनमान :

(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ती ;

(iv) सेवा से बर्खास्तगी, जो भावी नियोजन हेतु अयोग्यता नहीं होगी ;

(v) पदच्युति।

स्पष्टीकरण :

निम्नलिखित को उस विनियम के अर्थ में शास्ति की कोटि में नहीं माना जाएगा:

(i) किसी अधिकारी को उस पद पर नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, जिस पर वह कार्यरत हो, निर्धारित विभागीय टेस्ट या परीक्षा पास न कर पाने के कारण एक या अधिक वेतनवृद्धियों को रोक लेना;

(ii) दक्षतारोध पार करने में अयोग्य होने के आधार पर किसी अधिकारी के वेतन को समय - मान में दक्षतारोध पर रोका जाना;

(iii) किसी अधिकारी को उच्चतर ग्रेड अथवा पद जिसके लिए वह विचार करने के लिए पात्र हो सकता है, स्थानापन्न कार्यभार अथवा प्रोन्नति न देना, परन्तु उसके संबंध में विचार किए जाने के बाद जिसके लिए उसे अयोग्य पाया जाए;

(iv) पदोन्नति के लिए कतिपय अपेक्षा अथवा अनुशासनिक प्रक्रियाओं के विचाराधीनता के पूरा करने जैसे कारणों के लिए किसी अधिकारी की पदोन्नति को रोकना अथवा स्थगित करना;

(v) उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे किसी अधिकारी का इस कारण से निचले ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तन कि परीक्षण के बाद, उसे उस उच्चतर ग्रेड या पद के अयोग्य समझा जाए या उन प्रशासनिक कारणों से जो उसके आचरण से असंबंधित हो;

(vi) किसी अधिकारी का, जो किसी दूसरे ग्रेड या पद पर परिवीक्षाधीन के दौरान या अंत में उसकी नियुक्ति की शर्तो या ऐसी परिवीक्षावधि के नियामक नियमों या आदेशों के अनुसार उसके पिछले ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तन;

(vii) कोई अधिकारी यदि प्रतिनियुक्ति पर आया हुआ है तो उसके मूल संगठन में प्रत्यावर्तन;

(viii) अधिकारी की सेवा की समाप्ति :

(क) किसी संविदा या करार के अंतर्गत के अलावा अस्थाई रूप से नियुक्त किसी अधिकारी की उस अवधि के समाप्त हो जाने पर, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था या उसकी नियुक्ति की शर्तो के अनुसार उससे पहले।

(ख) किसी संविदा या करार के अंतर्गत नियुक्त किसी अधिकारी की, उस संविदा या करार की शर्तो के अनुसार, और

(ग) छटनी के भाग के रूप में :

परन्तु यदि इस विनियम के खण्ड 1 के उप-खण्ड (i) से (iii) में विनिर्दिष्ट किसी छोटे दण्ड को लगाने का प्रस्ताव है, संबंधित अधिकारी को उसके विरुदध चूकों के ब्यौरे लिखित में सूचित किए जाएंगे और उसे 15 दिनों की विनिर्दिष्ट अनधिक अवधि अथवा ऐसी बढ़ी हुई अवधि जो सक्षम प्राधिकारी मंजूर करे, के अन्दर बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा और अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए बचाव बयान पर यदि कोई हो, को आदेश पारित करने से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा:

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट कोई बड़ा दण्ड लगाने का कोई आदेश उस सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ लिखित में दिया जाएगा और लिखित रूप से आरोप पत्र अधिकारी को दिए जाने के बाद ऐसा कोई आदेश पारित किया जाएगा और जांच ऐसे की जाएगी जिससे कि उसके पास आरोप अथवा आरोपों का खण्डन करने और अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर रहे:

परन्तु यह भी कि कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है यदि :

(i) ऐसे मामलों में यदि कदाचार सिद्ध भी हो जाता है, बैंक निष्कासन अथवा बर्खास्तगी का दण्ड लगाने का इरादा नहीं रखता है; और

(ii) बैंक ने अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें उसे कदाचार और ऐसे कदाचार के लिए मिलनेवाले दण्ड के बारे में कहा गया है, और

(iii) अधिकारी ने उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के अपने उत्तर में अपने दोष को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है।

II. कर्मचारी

(क) छोटे कदाचार के लिए दण्ड

(i) निन्दा करना,

(ii) उसके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी रिकार्ड करना,

(iii) 6 महीनो की अनधिक अवधि के लिए वेतन वृध्दि रोके रखना।

(ख) बडे कदाचार के लिए दण्ड

i) जुर्माना;

ii) वेतनवृध्दि (वृध्दियों) को रोके रखना;

iii) विशेष भत्तों को वापस ले लेना;

iv) उस मामले में यदि स्टाफ वेतनमान अधिकतम तक पहुंच गया है तो 2 वर्ष की अधिकतम अवधि तक अगले निम्न स्तर तक वेतन में कमी;

v) सेवा से बर्खास्तगी परन्तू वह भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी;

vi) बर्खास्तगी :

परन्तू यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट कोई बडा दण्ड लगाने का कोई आदेश सक्षम प्रधिकारी के हस्ताक्षर के साथ लिखित में दिया जाएगा और ऐसा कोई आदेश लिखित आरोप पत्र कर्मचारी को दिए जाने के बिना पारित नहीं किया जाएगा और जांच ऐसे की जाएगी जिससे कि उसके पास आरोप अथवा आरोपों का खण्डन करने और अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर रहे।

परन्तू यह भी कि कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है, यदि

i) ऐसे मामलों में यदि कदाचार सिध्द भी हो जाता है, बैंक निष्कासन अथवा बर्खास्तगी का दण्ड लगाने का इरादा नहीं रखता है:

ii) बैंक ने कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें उसे कदाचार और ऐसे कदाचार के लिए मिलने वाले दण्ड के बारे कहा गया है; और

iii) कर्मचारी ने उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के अपने उत्तर में अपने दोष को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया हो।

39. प्रकिया का अधित्याग

विनियम 38 की अपेक्षाओं को सक्षम प्राधिकारी व्दारा हटाया जा सकता है

(क) यदि वे तथ्य जिनके आधार पर अधिकारी अथवा कर्मचारी पर दण्ड लगाया जाता है, वह न्यायालय अथवा सेवा न्यायालय में सिध्द हो गए है; अथवा

(ख) जहां अधिकारी अथवा कर्मचारी को आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है; अथवा

(ग) जहां अधिकारी अथवा कर्मचारी फरार हो गया है; अथवा

(घ) जहां किसी अन्य कारण से उससे सम्पर्क करना अव्यावहारिक था ; अथवा

(ड) जहां विनियम 38 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रुप से व्यावहारिक नहीं था :

परंन्तू यह कि विनियम 38 की अपेक्षा का आधित्याग नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसा करने के कारणों को लिखित में और बोर्ड के समक्ष नहीं रखा जाता है।

40. जांच के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन

विनियम 38 के अंतर्गत जांच और प्रक्रिया की शक्ति अंतिम आदेश को छोड़कर, सक्षम अधिकारी द्वारा किसी अधिकारी को, जो उस अधिकारी से वरिष्ठ है जिसके विरुद्ध प्रक्रियाएं प्रारम्भ की गई हैं और कर्मचारी के मामले में किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती है:

परन्तु यह कि सक्षम अधिकारी, अपने विवेक से जांच आयोजित करने हेतु अन्य संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों सहित, बैंक में कार्यरत किसी अधिकारी को नामित कर सकते है।

41. सामान्य जांच

इन विनियमों में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, यदि विभिन्न ग्रेड के दो अधिकारी अथवा एक अधिकारी और एक कर्मचारी किसी घटना में सम्मिलित रूप से अंतर्ग्रस्त है और दोनों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जानी है और अध्यक्ष की राय है कि तथ्यों और मामले की परिस्थितीयों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी, अधिकारी और कर्मचारी दोनों के संबंध में, अध्यक्ष यह निदेश दे सकता है कि अंतर्ग्रस्त अधिकारी और कर्मचारी दोनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एक ही होगा और उन दोनों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर सामान्य जांच की जाएगी और विनियम 40 के अंतर्गत जांच करने की शक्ति और प्रक्रिया, अंतिम आदेश के अपवादस्वरूप, उसी जांच अधिकारी के पक्ष में होगी।

42. भ्रष्ट प्रक्रियाएं

इन विनियमों में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे जहां यह आरोप लगाया जाता है कि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी भ्रष्ट प्रक्रियाओं का दोषी पाया गया है, अर्थात् ;

(i) जहां यह आरोप लगाया जाता है कि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अनुपातहीन आस्तियां रखता है अथवा उसने आपराधिक कदाचार किया है अथवा जहां आरोप की जांच और प्रमाण में उन व्यक्तियों की गवाही की आवश्यकता होगी जो बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी नहीं है, अथवा जहां, अध्यक्ष की राय में, आरोपों की जांच बैंक द्वारा सुविधाजनक रूप से नहीं की जा सकती है, आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो अथवा केंद्रीय सतर्कता आयोग अथवा अन्य ऐसा प्राधिकरण जिसका अध्यक्ष अनुमोदन करे, को सौंपी जा सकती है;

(ii) यदि जांच की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, वह केंद्रीय सतर्कता आयोग अथवा ऐसे अन्य प्राधिकरण को जो अध्यक्ष इस सबंध में समय-समय पर निर्णय ले, को राय लेने के लिए जांच रिपोर्ट भेज सकता है कि क्या संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(iii) यदि केंद्रीय सतर्कता आयोग अथवा ऐसा अन्य प्राधिकरण, जैसा कि मामला हो, की राय पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी की राय है कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिए, तब, इस विनियम के अंतर्गत जांच विभागीय जांच आयुक्त अथवा इस प्रयोजन हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोगा द्वारा नामित किसी व्यक्ति को सौंपी जा सकती है।

(iv) जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और यह रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी उसकी राय के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजेगा कि क्या आरोप अथवा आरोप(ों) जैसाकि मामला हो, लगाने के लिए विचार किया जा सकता है और विनियम 38 के अंतर्गत दण्ड अथवा दण्ड(ों) लगाए जाएं। लगाए जाने वाले दण्ड अथवा दण्ड(ों) पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की राय पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेगा।

स्पष्टीकरण :

कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी भ्रष्ट कार्यों का दोषी माना जायेगा यदि उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13, 14, 15 और 16 में परिभाषित आपराधिक कदाचार का कार्य किया है अथवा उसने अनुचित प्रयोजन के लिए अथवा भ्रष्ट ढंग से कार्य किया है अथवा अनुचित अथवा भ्रष्ट उद्देश्य से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया अथवा शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है।

43. वकील के विनियोजन पर प्रतिबंध

जांच के प्रयोजन हेतु, अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वकील की व्यवस्था नहीं करेगा।

44. सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनिक कार्रवाई

(i) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी जो कदाचार के आरोप के निलंबनाधीन है जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है उसे अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् भी अनुशासनिक कार्रवाई जारी रखने तथा समाप्त करने तक तथा उसके संबंध में अंतिम आदेशों के पारित होने तक विशिष्ट प्रयोजन हेतु सेवा में माना जाएगा। ऐसा निलम्बित अधिकारी अथवा कर्मचारी अधिवर्षिता की तारीख से परे अवधि के लिए किसी गुजारा भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।

(ii) अधिकारी अथवा कर्मचारी जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है अधिवर्षिता की तारीख को सेवा में नहीं माना जाएगा परन्तु अनुशासनिक कार्रवाई चलती रहेगी जैसे कि वह सेवा में था जब तक कि कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है और उस पर अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता है। संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी अधिवर्षिता की तारीख के बाद वेतन और / अथवा भत्ते प्राप्त नहीं करेगा। कार्रवाई के पूरा होने और अंतिम आदेशों के पारित होने तक वह सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए भी हकदार नहीं होगा सिवाय अपने स्वयं के सी पी एफ अंशदान के।

स्पष्टीकरण :

विशेषाधिकार छुट्टी और उपदान के नकदीकरण जैसे सामान्य सेवा निवृत्ति लाभ, अनुशासनिक कार्रवाइयों के पूरा होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश के पारित होने तक रोक दिए जाने चाहिएं। लाभों का जारी करना उक्त प्राधिकारी के अंतिम आदेश के अनुसार होगा।

45. निलंबन

किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ऐसे निलंबनके दौरान, अधिकारी अथवा कर्मचारी नीचे दिए गए अनुसार गुजारा भत्ते का हकदार होगा।

1. अधिकारी के मामले में -

(क) मूल वेतन

(i) निलंबन से पहले तीन महीने उस मूल वेतन का 1/3 जो अधिकारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था चाहे जांच किसी भी प्रकार की हो।

(ii) बाद की अवधि के लिए :-

(क) यदि जांच बैंक द्वारा विभागीय रूप से की जाती है तो उस मूल वेतन का 1/2 जो वह अधिकारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था।

(ख) यदि जांच किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा की जाती है तो अगले तीन महीने के लिए मूल वेतन का 1/3 और निलंबन के शेष अवधि का 1/2।

(ख) भत्ते

निलंबन की संपूर्ण अवधि के लिए विशेष भत्ते को छोड़कर मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों का हिसाब घटे हुए वेतन पर जैसा कि खण्ड (क) के उपखण्ड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट है और चालू दरों पर अथवा इसी वर्ग के अधिकारियों पर लागू दरों पर लगाया जाएगा।

2. कर्मचारी के मामले में -

(क) मूल वेतन

(i) निलंबन से पहले तीन महीने उस मूल वेतन का 1/3 जो कर्मचारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था चाहे जांच किसी भी प्रकार की हो।

(ii) बाद की अवधि के लिए -

(क) यदि जांच बैंक द्वारा विभागीय रूप से की जाती है तो उस मूल वेतन का 1/2 जो वह कर्मचारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था।

(ख) एक वर्ष के पश्चात् पूर्ण वेतन यदि विभागीय जांच, संबंधित कर्मचारी अथवा उसके किसी प्रतिनिधी (यों) के कारण देरी नहीं हुई।

(ग) जहां जांच बाहरी एजेंसी द्वारा की जाती है और उक्त एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कर्मचारी पर मुकदमा न चलाया जाए, ऐसी एजेंसी की रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से छः महीनों अथवा निलंबन के बाद एक वर्ष के बाद जो भी बाद में हो, और उस हालत में, जब जांच में देरी कर्मचारी अथवा कर्मचारी के किसी प्रतिनिधी के कारण नहीं हुई, पूर्ण वेतन देय होगा।

(ख) भत्ते

निलंबन की संपूर्ण अवधि के लिए भत्तों को छोड़कर, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों का हिसाब, घटे हुए वेतन पर जैसा कि खण्ड (क) के उपखण्ड (i) और (ii) (क) में विनिर्दिष्ट है चालू दरों पर अथवा इसी वर्ग के कर्मचारियों पर लागू दरों पर लगाया जाएगा।

परन्तु यह कि कोई अधिकारी या कर्मचारी तब तक गुजारा भत्ते का भुगतान प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह इस आशय का घोषणा-पत्र नहीं उपलब्ध करा देता है कि वह किसी अन्य रोजगार, कारोबार या व्यवसाय में नहीं लगा है।

परन्तु यह और कि यदि निलंबन की अवधि के दौरान कोई कर्मचारी अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के कारण सेवानिवृत्त हो गया तो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से उसे कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

46. निलंबन की अवधि और सम्बद्ध मामलों का निरूपण

सक्षम प्राधिकारी, दंड लगाते समय इस आशय का निर्देश भी दे सकता है कि अधिकारी या कर्मचारी को गुजारा भत्ते और उस अवधि, जिसमें वह निलंबित था, के लिए परिलब्धियों, जो उसने ऐसे निलंबन के लिए प्राप्त किया होगा, के बीच के अंतर का भुगतान किया जाएगा या नहीं और कि यदि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निर्णय लेता है तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा जिसके प्रभाव से अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे गुजारा भत्ते को वापस करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उस अवधि जिसके दौरान कोई अधिकारी या कर्मचारी निलंबनाधीन है, को जैसा सक्षम प्राधिकारी निर्देश दे, ड्यूटी पर बिताई गई अवधि या अन्यथा के रूप में माना जाएगा यदि उसे सेवाओं से निष्कासित / बर्खास्त न कर दिया गया हो।

47. अपील करने का अधिकार

(i) किसी अधिकारी या कर्मचारी को उन विनियमों के अन्तर्गत जारी किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा जो उसके हितों को हानिकारक ढंग से प्रभावित करते है।

(ii) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जानी हो उसके प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के भीतर विनियम 48 में वर्णित अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील प्रस्तुत की जाएगी। अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करेगा और अधिमान्यत: 6 महीने की अवधि के भीतर उपयुक्त आदेश जारी करेगा।

48. अपीलीय प्राधिकारी

अपील :

(i) बोर्ड के पास की जाएगी जहां अध्यक्ष या निदेशकों की समिती सक्षम प्राधिकारी है।

(ii) अध्यक्ष के पास की जाएगी जहां कोई अन्य अधिकारी सक्षम प्राधिकारी है।

49. अपील की अपेक्षा

प्रत्येक अपील के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा:

(क) यह लिखित रूप में होगी और नम्र एवं आदरपूर्ण भाषा में व्यक्त की जाएगी और अनावश्यक विस्तार या अतिशय शब्दाडंबर से मुक्त होगी।

(ख) इसमें सभी महत्त्वपूर्ण विवरण और बहस राहत होंगी तथा स्वयं में पूर्ण होंगी।

(ग) इसमें अपेक्षित राहत विनिर्दिष्ट होंगी।

(घ) यह व्यक्तिगत रूप से निदेशकों को सम्बोधित नहीं की जाएगी।

अध्याय V

वेतन और भत्ते

50. कब प्रोद्भूत और देय होगा

इन विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन वेतन और भत्ते किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा के शुरूआत से प्रोद्भूत होंगे और प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस को उक्त महीने के दौरान दी गई सेवा के लिए देय होंगे।

51. समाप्ति का समय

(i) जैसे ही किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा समाप्त होती है वेतन और भत्ते का प्रोद्भूत होना समाप्त हो जाएगा।

(ii) बैंक की सेवा से किसी अधिकारी या कर्मचारी के बर्खास्त कर दिए जाने की स्थिति में बर्खास्तगी की तारीख से वेतन और भत्ते समाप्त हो जाएंगे।

(iii) वैसे अधिकारी या कर्मचारी के मामले में जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, वेतन और भत्ते मृत्यु के अगले दिन से समाप्त हो जाएंगे।

52. वेतन-वृद्धि

किसी वेतनमान में उस वेतनमान के प्रत्येक चरण में सेवा की प्रत्येक विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर वेतनवृद्धि प्रोद्भूत होगी: परन्तु यह कि अधिकारी या कर्मचारी इसके प्रोद्भूत होने की वास्तविक तारीख के स्थान पर उस महीने की पहली तारीख को वेतनवृद्धि आहरित करेगा जिस महीने में यह देय हैं।

अध्याय VI

छुट्टी और कार्य ग्रहण का समय

53. छुट्टी के प्रकार

इन विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित प्रकार की छुट्टी के लिए पात्र होगा :

(क) आकस्मिक छुट्टी

(ख) विशेषाधिकार छुट्टी

(ग) बीमारी छुट्टी / अतिरिक्त बीमारी छुट्टी

(घ) असाधारण छुट्टी

(ङ) विशेष आकस्मिक छुट्टी और विशेष छुट्टी

(च) प्रसुति छुट्टी / पॅटर्निटी छुट्टी

54. छुट्टी मंजूर करने की शक्ति प्राप्त प्राधिकारी

छुट्टी देने की शक्तियां सक्षम प्राधिकारी को होंगी।

55. छुट्टी देने से मना करने तथा छुट्टी पर गए अधिकारी या कर्मचारी को वापस बुलाने की शक्ति

(i) छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। जब सेवा की अनिवार्यता होगी तो किसी भी प्रकार की छुट्टी से मना करने या उसे रद्द करने का विवेकाधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है।

(ii) बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर छुट्टी पर गए अधिकारी या कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पर वापस बुलाया जा सकता है:

परन्तु यह कि यदि उस समय अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय से बाहर है तो वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा मुख्यालय लौटने के लिए किए गए वास्तविक खर्च को पाने का पात्र होगा।

56. छुट्टी से वापस आने पर रिपोर्ट करने का स्थान

छुट्टी पर गया अधिकारी या कर्मचारी, जब तक कि इसके विपरीत अन्यथा कोई अनुदेशन जारी किया गया हो, उसी स्थान पर ड्यूटी पर वापस आयगा जहां वह छुट्टी पर जाने से पूर्व तैनात था।

57. निलंबनाधीन अधिकारी या कर्मचारी के लिए छुट्टी स्वीकार्य नही

निलंबनाधीन अधिकारी या कर्मचारी को कोई छुट्टी मंजूर नही की जाएगी।

58. आकस्मिक छुट्टी

(1) अधिकारी या कर्मचारी एक कैलेन्डर वर्ष में पूरी परिलब्धियों पर 12 कार्य दिवस की आकस्मिक छुट्टी ले सकता है:

परन्तु यह कि एक बार में चार दिन से अधिक की आकस्मिक छुट्टी नहीं ली जा सकती है, और

परन्तु यह और कि ऐसी छुट्टी के साथ अवकाश वाले दिनों और रविवारों को इस ढंग से नहीं जोड़ा जाएगा कि एक बार में अनुपस्थिति बढ़कर छः दिन से अधिक हो जाए।

(2) किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रथम कैलेन्डर वर्ष के दौरान आकस्मिक अवकाश पूरे हुए प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए एक दिन की दर से समानुपातिक आधार स्वीकार्य होंगे।

(3) (क) अधिकारी के मामले में किसी कैलेन्डर वर्ष में उसके द्वारा नहीं ली गई आकस्मिक छुट्टी अगले वर्ष में बीमारी छुट्टी में आगे या पीछे जोड़ दी जाएगी।

(ख) कर्मचारी के मामले में किसी कैलेन्डर वर्ष में उसके द्वारा नहीं ली गई आकस्मिक छुट्टी को पर्याप्त वेतन पर बीमारी छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है। यह बीमारी छुट्टी विनियम 60 में निर्धारित पात्र बीमारी छुट्टी सीमाओं के अतिरिक्त होंगी।

(4) आकस्मिक छुटटी उपर्युक्त उप-विनियम (3) (क) में यथा निर्धारित छुट्टी विनियम 62 के अंतर्गत विशेष आकस्मिक छुट्टी और विनियम 63 के अंतर्गत प्रसुति छुट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं दी जा सकती है।

59. विशेषाधिकार छुट्टी

(क) स्केल जिस पर विशेषाधिकार छुट्टी अर्जित की जाती है

(1) अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी पर सेवा के 11 दिन के लिए एक दिन के हिसाब से विशेषाधिकार छुट्टी का पात्र होगा :

परन्तु यह कि सेवा के प्रारम्भ में ड्यूटी पर सेवा के ग्यारह महीने पूरे होने से पूर्व कोई विशेषाधिकार छुट्टी नहीं ली जा सकेगी।

(2) अधिकारी या कर्मचारी किसी भी समय अपने द्वारा अर्जित विशेषाधिकार छुटी में से ली गई छुट्टी को घटाकर शेष बची विशेषाधिकार छुट्टी का पात्र होगा।

(3) विशेषाधिकार छुट्टी पर चलने वाला अधिकारी छुट्टी की अवधि के लिए पूरी परिलब्धियां पाने का हकदार होगा।

(4) 31 दिसम्बर, 1989 तक कुल 180 दिनों तक की अवधि के लिए विशेषाधिकार छुट्टी और 1 जनवरी, 1990 से 240 दिन से अनधिक तक की विशेषाधिकार छुट्टी संचित की जा सकती है।

(ख) कब आवेदन दिया जाना चाहिए

(i) अधिकारी या कर्मचारी द्वारा विशेषाधिकार छुट्टी के लिए आवेदन उस तारीख से एक माह पूर्व दिया जाएगा जिस तारीख से छुट्टी अपेक्षित है।

(ii) उन आवेदनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार किया जा सकता है जो उप-विनियम (ख)(1) की उपर्युक्त अपेक्षा को पूरा नहीं करते हैं,

परन्तु यह कि यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा नोटिस संभव नहीं था तो वह अपने विवेक से इस अपेक्षा को समाप्त कर सकता है।

60. बीमारी छुट्टी तथा बीमारी की अतिरिक्त छुट्टी

(1) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी अग्रिम में मेडिकल छुट्टी पंधरह दिन की दो किस्तों, प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन में जमा की जाएगी।

(2) (क) इस छुट्टी को सेवा के प्रत्येक पूरे माह के लिए 5/2 दिन की दर से उक्त छुट्टी खाते में जमा की जाएगी जिसे वह उस कैलेन्डर वर्ष की बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी में देगा जिसमें वह नियुक्त किया गया है।

(ख) बीमारीछुट्टी/मेडिकल छुट्टी, जिसमें अधिकारी या कर्मचारी सेवा निवृत्त होने वाला है या सेवा से त्यागपत्र देने वाला है, के लिए सेवानिवृत्त और त्यागपत्र की तारीख तक प्रत्येक पूर्ण कैलेन्डर माह के लिए 5/2 दिन की दर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

(ग) जब किसी अधिकारी या कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है या सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तब उस कैलेन्डर माह जिसमें उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया है या उसकी मृत्यु हो गई है, के पहले वाले कैलेन्डर माह के अंत तक प्रत्येक पूर्ण कैलेन्डर माह में 5/2 दिन का दर से बीमारी छुट्टी / मेडिकल छुट्टी को जमा करने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) जहां अधिकारी या कर्मचारी की अनुपस्थितित या निलंबन की अवधि को बीमारी छुट्टी / मेडिकल छुट्टी में "छूट दिवस" के रूप में माना गया है, अगली बीमारी छुट्टी/मेडीकल छुट्टी के शुरू होने पर जमा की जानेवाली उसकी बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी को अधिकतम 10 दिन के अध्ययीन 'छूट दिवस' अवधि के एक के अठारहवें भाग से घटा दिया जाऐगा।

परन्तु यह कि बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन उसकी समस्त सेवा के दौरान संचित की जा सकती है।

(i) अधिकारी या कर्मचारी बीमारी छुट्टी / मेडिकल छुट्टी की अवधि के दौरान एक महीने की पूरी परिलब्धियाँ प्राप्त करने का पात्र होगा। परन्तु यदि अधिकारी या कर्मचारी चाहे तो बैंक उसे मंजूर की गई बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी के किसी भाग के संबंध में पूरी परिलब्धियां प्राप्त करने की अनुमति इस शर्त पर दे सकता है कि उसकी बीमारी/मेडिकल छुट्टी खाते में से दुगुनी अवधि की छुट्टियां घटा दी जाएगी।

(ii) प्रथम वर्ष के दौरान बीमारी/मेडिकल छुट्टी समानुपातिक आधार पर मंजूर की जाऐगी।

(iii) बैंक को स्वीकार्य किसी चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके ही बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी ली जा सकती है।

(iv) बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी की समाप्ति पर फिर से ड्युटी पर आने के इच्छुक अधिकारी या कर्मचारी से बैंक इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि अब वह ड्युटी पर आने योग्य है।

स्पष्टीकरण -

1. नियुक्ति की तारीख तक अधिकारी या कर्मचारी सेवा में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिन की बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी का पात्र होगा। ऐसी छुट्टी 180 दिन तक संचित की जाती है।

2. नियुक्ति की तारीख से अधिकारी या कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 30 दिन की बीमारी / मेडिकल छुट्टी बशंत पुरे सेवा कार्यकाल में 18 महिने तक ही यह छुट्टी दी जाएगी। यह छुट्टी 540 दिनों तक संचित की जा सकती है। बैंक को स्वीकार्य किसी चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके ही बीमारी छुट्टी / मेडिकल छुट्टी ली जा सकती है।

बीमारी की अतिरिक्त छुट्टी

- 19.10.2005 को और उसके बाद से जिस अधिकारी / कर्मचारी ने 24 वर्ष की सेवा पुरी करली हो वह 24 वर्ष से अधिक की प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए एक महिने के हिसाब से बीमारी की छुट्टी पाने का पात्र होगा, लेकिन बीमारी की यह अतिरिक्त छुट्टी अधिकसे अधिक तीन महीने की होगी।
- अन्य नियम तथा निबंधन जैसे बिमारी / चिकित्सा छुट्टी एवं प्रसूती छुट्टी आदि में कोई परिवर्तन नही है।

61. असाधारण छुट्टी

(1) अधिकारी या कर्मचारी को असाधारण छुट्टी उसी अवस्था में दी जाएगी जब उसके पास कोई साधारण छुट्टी शेष न हो और तब जब उसकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बीमारी छुट्टी को न्यायोचित नहीं माना जाता है। अधिकारी या कर्मचारी की मंजूर की जानेवाली असाधारण छुट्टी की अवधि किसी भी समय 90 दिन या उसकी सेवा की समस्त अवधि के दौरान 360 दिन से अधिक नहीं होगी ;

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों में अध्यक्ष बोर्ड के अनुमोदन से किसी अधिकारी या कर्मचारी को कुल 720 दिन की अवधि तक असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है;

परन्तु यह और कि अधिकारी या कर्मचारी को पुरानी बीमारी के मामले में बोर्ड के अनुमोदन से अध्यक्ष उसे 720 दिन के बाद असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है और बोर्ड, ऐसा अनुमोदन देते समय, लिखित रूप में उसके लिए विशेष कारण दर्ज करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों में अन्यथा दिए गए अनुसार ही अधिकारी या कर्मचारी को स्वीकार्य किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ या उसके आगे असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है।

(3) असाधारण छुट्टी की अवधि के दौरान वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे और इस प्रकार की छुट्टी की अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी बशर्ते कि यहां सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि असाधारण छुट्टी की मंजूरी बीमारी या किसी अन्य ऐसे कारण से आवश्यक हुई जो कि अधिकारी या कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर थी, वह निदेश दे सकता है कि असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए की जाए।

62. विशेष आकस्मिक छुट्टी तथा विशेष छुट्टी

किसी अधिकारी या कर्मचारी को खेलकूद, रक्तदान, परिवार नियोजन, जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी के बचाव या सिविल डिफेन्स ज्वाइन करने या किसी अन्य उददेश के लिए जैसा कि केंद्रीय सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, विशेष आकस्मिक छुट्टी तथा विशेष छुट्टी की मंजूरी दी जा सकती है।

63. प्रसूति छुट्टी और पॅटर्निटी छुट्टी

(i) प्रसूति छुट्टी के रूप में एक बार में छः महीने तक की अवधि की छुट्टी मंजूर की जा सकती है जिसके अंतर्गत प्रसूति के बाद की अवधि या गर्भस्त्राव अथवा गर्भपात के समय की छुट्टी भी शामिल है। किन्तु ऐसी छुट्टी महिला अधिकारी या कर्मचारी की संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान 12 महीने से अधिक नहीं होगी।

(ii) प्रसूति छुट्टी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है किन्तु प्रसूति छुट्टी के साथ आवेदित किसी अन्य प्रकार की छुट्टी को तभी मंजूरी प्रदान की जाएगी जबकि ऐसे अनुरोध के साथ बैंक को स्वीकार्य चिकित्सक का प्रमाणपत्र संलग्न किया गया हो।

(iii) अधिकारी या कर्मचारी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान 2 बार, 15 दिन पॅटर्निटी छुट्टी ले सकता है।

64. छुट्टी का व्यपगत होना

अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु पर या उसके बैंक की सेवा में न रहने पर उसकी सभी छुट्टिया व्यपगत हो जाएंगी। परन्तु यह कि यदि अधिकारी या कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होती है तो उसके कानूनी प्रतिनियुक्तियों को ऐसी राशियां देय होंगी जो उस अधिकारी या कर्मचारी को उसकी मृत्यु के समय विनियम 59 के उप-विनियम (क) (4) के अध्यधीन संचित विशेषाधिकार छुट्टी लेने की स्थिति में देय होगी :

परन्तु आगे यह कि जब कोई कर्मचारी बैंक की सेवा संबंध में जहां कि छंटनी के फलस्वरूप उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, उसे उसके खाते की विशेषाधिकार छुट्टी की अवधि के लिए वेतन और भत्ते देय होंगे।

65. बैंक को छुट्टी की अवधि के दौरान पता देना

जिस अधिकारी या कर्मचारी की छुट्टी मंजूर कर दी गई है और जो अपनी तैनाती के स्थान से बाहर जा रहा है वह बैंक को अपने उस पते की सूचना देगा जिस पते पर मुख्यालय से बाहर रहने के दौरान उससे संपर्क किया जा सके।

66. छुट्टी का प्रारंभ और समाप्त होना

(i) अधिकारी या कर्मचारी जिस दिन अपना कार्यभार सौंपेगा उसके ठीक बाद के पहले कार्यदिवस से उसकी छुट्टी आरंभ होगी।

(ii) अधिकारी या कर्मचारी जिस दिन वापस ड्युटी के लिए रिपोर्ट करेगा उसके पहले का कार्य दिवस उसकी छुट्टी का अंतिम दिन होगा।

67. कार्यग्रहण अवधि

(1) अधिकारी या कर्मचारी एक बार कार्यग्रहण अवधि के लिए पात्र होगा ताकि वह:

(क) ड्युटी के दौरान अपने पुराने पद से नियुक्ति के लिए नए पद पर कार्यग्रहण कर सके, या

(ख) छुट्टी से लौटकर नए पद पर कार्यग्रहण कर सके।

(2) कार्यग्रहण समय की अवधि निम्न प्रकार की होगी :

(क) अधिकारी के संबंध में यात्रा के दिवसों की संख्या को छोड़कर सात दिनों से अधिक की अवधि, और

(ख) कर्मचारी के संबंध में यात्रा के दिवसों की संख्या को छोड़कर छः दिनों से अधिक की अवधि।

(3) कार्यग्रहण समय की अवधि के दौरान अधिकारी या कर्मचारी नए या पुराने स्थान पर तैनाती के अनुसार, जो भी कम हो, परिलब्धियां लेने का पात्र होगा।

(4) अधिकारी या कर्मचारी को अनुमत कार्यग्रहण अवधि की गणना करते समय उसके पुराने प से कार्यमुक्ति के दिन को छोड़ दिया जाएगा:

परन्तु यह कि कार्यमुक्ति बाद के सार्वजनिक अवकाशों की गणना उनके कार्यग्रहण समय में नहीं की जायेगी।

(5) यदि स्थानांतरण में किसी भिन्न स्थान पर तैनाती अन्तर्निहित न हो तो अधिकारी या कर्मचारी को कार्यग्रहण अवधि नही दी जाएगी।

(6) यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को अस्थायी रूप से कहीं और तैनात किया जाता है तो चाहे उसकी तैनाती उसकी स्थाई तैनाती से भिन्न किसी स्थान या स्टेशन पर क्यों न की गई हो उसे कोई कार्यग्रहण अवधि नहीं दी जाएगी।

(7) किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उसके अनुरोध से स्थानांतरण होने पर कोई कार्यग्रहण समय नहीं दिया जाएगा।

अध्याय 7

विविध

68. भविष्य निधि तथा पेंशन

(1) कोई अधिकारी या कर्मचारी जिसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, (1952 का 19) में विनिर्दिष्ट रूप के अनुसार निम्नतम अनवरत सेवा पूरी कर ली है, कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य होगा । अधिकारी या कर्मचारी और बैंक द्वारा भविष्य निधि में किया जाने वाला अंशदान उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधो के अनुसार होगा।

(2) (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंधों के अंतर्गत आनेवाले अधिकारी या कर्मचारी, उक्त अधिनियम की धारा '6ए' द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के उपबंधो द्वारा शासित होंगे।

(ख) इस प्रकार तैयार की गई पेंशन योजना 16 नवम्बर, 1995 से प्रभावी होगी।

69. उपदान

(1) अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित उप-विनियमन 2 के अनुसार उपदान के भुगतान का पात्र होगा।

(2) किसी अधिकारी या कर्मचारी को देय उपदान की राशि या तो ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के उपबंधों या निम्नलिखित उप-विनियम (3) के अनुसार जो भी अधिक हो, देय होगी।

(3) (i) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित स्थितियों के उपदान के लिए पात्र होगा -

(क) सेवानिवृत्ति पर

(ख) मृत्यू

(ग) ऐसी निःशक्तता पर जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणपत्र के अनुसार वह आगे सेवा के लिए अक्षम है, या

(घ) दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद त्याग पत्र देने पर, या

(ङ) दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद, दण्डस्वरूप सेवा समाप्ति को छोड़कर, अन्य किसी कारण से सेवा समाप्ति पर।

परन्तु यह कि कदाचार के कारण हटाए गए कर्मचारी के संबंध में उपदान की राशि को जब्त नहीं किया जाएगा सिवाए ऐसे मामलों में केवल उस सीमा तक जहां कि ऐसे कदाचार के कारण बैंक को वित्तीय हानि हुई हो।

(ii) अधिकारी या कर्मचारी को देय उपदान की राशि, प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा अथवा 6 महीने से अधिक के भाग के लिए एक महीने का वेतन देय होगी, जो अधिकतम 15 महीने के वेतन के अध्यधीन होगी।

परन्तु यह कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है तो वह उपदान के रूप में 30 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आधे माह के वेतन की दर से अतिरिक्त राशि का पात्र होगा।

परन्तु यह कि किसी अधिकारी के संबंध में देय उपदान उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन पर आधारित होगा।

परन्तु यह भी कि किसी कर्मचारी के संबंध में उपदान की गणना किए जाने के उद्देश्य के लिए मृत्यु, अशक्तता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या सेवा समाप्ति, जैसा भी मामला हो, से पहले 12 महीनों के दौरान देय, मूल वेतन (100%) मंहगाई भत्ते तथा विशेष भत्ते और स्थानापन्न भत्तों का औसत होगा।

70. निवास स्थान

(1) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अपनी नियुक्ती के समय अनुसूची III में दिए गए फार्म की में लिखित रूप से बैंक को अपने निवास स्थान की घोषणा करेगा और यदि ऐसा निवास स्थान उसका जन्म स्थान नहीं है तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि तक सिद्ध करना चाहिए।

(2) कोई अधिकारी या कर्मचारी जो एक बार अपना निवास स्थान दर्शा चुका है उसे उसको बदलने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि सह बैंक को इस तथ्य के लिए संतुष्ट नहीं करता कि यह परिवर्तन वास्तविक है और किसी भी मामले में अधिकारी या कर्मचारी को अपने निवास स्थान में इस प्रकार से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे कि ऐसी किसी रियायत के लिए बैंक की लागत में वृद्धि हो।

71. स्थानांतरणीयता

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है।

72. विनियमों का कार्यान्वयन और व्याख्या

(1) अध्यक्ष समय-समय पर ऐसे अनुदेश या निदेश जारी कर सकते हैं जो उनकी राय में इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने या इन्हे क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

(2) भारत सरकार, जब कभी भी आवश्यकता समझे, राष्ट्रीय बैंक से परामर्श करने के बाद इन विनियमों की व्याख्या कर सकती है।

73. निरसन और व्यावृत्तियाँ

(1) विनियमावली के किसी या विनियम समरूप प्रत्येक नियम, विनियम, उपनियम या किसी करार अथवा संकलन का कोई उपबंध जो उस विनियमावली के आरंभ होने के फौरन पहले प्रवसन में हो और उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हो, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस निरसन के बावजूद उन निरस्त उपबंधों के अंतर्गत दिए गए आदेश या की गई कार्रवाई इस विनियमावली के समरूपी उपबंधों के अंतर्गत दिया गया या की गई मानी जाएगी।

अशोक अन्नासो मगदुम
अध्यक्ष

अनुसूची -I

(विनियम 18 देखें)

निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा

स्थान :

दिनांक :

मैं ..... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ..... बैंक के अधिकारी या कर्मचारी के रूप में और उक्त बैंक में मेरे द्वारा धारित कार्यालय से संबंधित या स्थिति से संबद्ध मुझसे अपेक्षित कर्तव्यों को वफादारी, सत्यनिष्ठता तथा सर्वोत्तम कुशलता से निष्पादित और पूरा करूंगा/करूंगी।

मैं आगे घोषणा करता/करती हूं कि मैं उक्त बैंक के कार्यों से संबंधित कोई सूचना या उक्त बैंक के साथ डील करने वाले किसी व्यक्ति से संबंधित किसी कार्य के बारे में कोई सूचना उसके लिए विधिक रूप से अपात्र व्यक्ति को न तो प्रकट करूंगा / करूंगी और न ही ऐसा किए जाने की अनुमति दूंगा/दूंगी और न तो उक्त बैंक के अधिकार में किसी बही या इलैक्ट्रानिक्स दस्तावेज और न ही उक्त बैंक के कारोबार से संबंधी या उक्त बैंक के साथ डील करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कारोबार का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर :

पूरा नाम :

पदनाम :

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित -

हस्ताक्षर :

पूरा नाम :

पदनाम :

सावधानी (भारत सरकार के नियमों के अनुरूप किया जाए)

अनुसूची - Ii

(विनियम 5 (4) देखें)

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी से प्रथम नियुक्ति के समय प्राप्त किया जानेवाला घोषणा पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती/कु..... पुत्र/पत्नी/पुत्री/ ..... निम्नलिखित घोषणा करता/ करती हूं;

(i) यह कि मैं अविवाहित / विधुर / विधवा हूं।

(ii) यह कि मैं विवाहित हूं और केवल एक पत्नी/पति जीवित है।

(iii) यह कि मैंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है। छूट की अनुमति का आवेदन संलग्न है।

(iv) रूपांतरित किया जाए।

2. मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता / करती हूँ कि उपर्युक्त घोषणा सत्य है और मेरी नियुक्ति के पश्चात् इस घोषणा के असत्य पाए जाने पर मैं सेवा से बर्खास्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हूंगा/हूंगी।

दिनांक :

हस्ताक्षर :

अनुसूची - III

फार्म ख

निवास स्थान की घोषणा

(विनियम 70 देखें)

स्थान :

दिनांक :

मैं, अधोहस्ताक्षरी, ... बैंक की सेवा में नियुक्ति के बाद एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं की ..... (स्थान) ..... (जिला) मेरा निवास स्थान है।

2. *उपर्युक्त स्थान मेरी जन्मभूमि है।

या

* उपर्युक्त स्थान मेरी जन्मभूमि नहीं है। मेरी जन्मभूमि .....(स्थान) .....(जिला) है परन्तु .....(स्थान) को निम्नलिखित कारणों से अपना निवास स्थान घोषित किया गया है।

.....

.....

पूरा नाम :

पदनाम और नियुक्ति की प्रकृति :

नियुक्ति की तारीख :

हस्ताक्षर :

*जो लागू न हो उसे काट दें।

अशोक अन्नासो मगदुम
अध्यक्ष

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 17 अगस्त 2009

नं0 13 – सी0ए0 (परीक्षा)/नवम्बर/2009:– II इंस्टीट्यूट कि अधिसूचना संख्या 13- सी0ए0 (परीक्षा)/नवम्बर/2009, दिनांक 09 जुलाई, 2009 और 13 – सी0ए0 (परीक्षा)/सी. पी.टी./दिसम्बर/2009 दिनांक 09 जुलाई, 2009 के आंशिक विस्तार के तहत सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स परीक्षा और सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी.) के लिए (i) नैल्लौर तथा (ii) राजामहेंद्रावरम को परीक्षा केन्द्र घोषित कर दिया गया हैं। परीक्षा का विवरण निम्न हैं।

सं0 नं0	परीक्षायें	दिनांक
I	पी.ई II, पी.सी.ई, आई.पी.सी.ई फाईनल/ फाईनल (नया पाठयक्रम), मैक, आई. टी. एल एंव डब्लयू. टी. ओ, आई.आर.एम (परीक्षा का समय : दोपहर 01.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक) भारतीय समयानुसार	5 से 19 नवम्बर, 2009
II	सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी.) प्रातः कालीन सत्र : प्रातः 10.30 बजे से सांय 12.30 बजे तक दोपहर का सत्र : सांय 02.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक	13 दिसम्बर, 2009

इसके अतिरिक्त सर्वसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि वयवसायिक शिक्षा परीक्षा-द्वितीय को दो बार के लिए बढा दिया गया है। अतः यह परीक्षा नवम्बर, 2009 तथा मई 2010 में भी आयोजित की जायेगी ।

जी0 सोमाशेखर
अपर सचिव (परीक्षा)

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Mumbai-400 051, the 10th August 2009

No. GSR —In pursuance of Section 48(5) of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Balance Sheet of the National Bank for Agriculture and Rural Development as at 31 March 2009, the Profit and Loss Account for the year ended 31 March 2009 (April 2008—March 2009) and the Report of the Auditors for the year are published herewith.

V. RAMAKRISHNA RAO
Chief General Manager & Secretary

KHIMJI KUNVERJI & CO.

Chartered Accountants

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of **NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT** (the 'Bank') as at March 31, 2009 and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto in which are incorporated the returns of **12** Regional Offices and **1** Training Centre audited by us. These offices and training Centre have been selected in consultation with the Bank in terms of notification no. 1/14/2004-BOA dated March 26, 2009 issued by Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division). Also incorporated in the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement are the returns from **16** Regional Offices, **1** Sub-Office and **2** Training Centers which have not been subjected to audit. These unaudited offices account for **15.56%** of advances, **0.13%** of deposits and term money borrowings, **15.19%** of interest income and **0.30%** of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Subject to the limitations of the audit mentioned in paragraph 1 above, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b. In our opinion, the transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank,

c. The returns received from Regional Offices and Training Centers of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;

d. The Balance Sheet and Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Schedule 'A' and Schedule 'B' of Chapter IV of the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984;

e. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given and as shown by the books of the Bank:

   i. the Balance Sheet, read with Significant Accounting Policies and notes on accounts contains all necessary particulars and is properly drawn up in conformity with the accounting principles generally accepted in India so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2009; and

   ii. the Profit and Loss Account, read with Significant Accounting Policies and notes on accounts, shows a true balance of the 'profit' for the year ended on that date, and is in conformity with accounting principles generally accepted in India; and

   iii. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows of the Bank for the year ended on that date.

Place: Mumbai
Dated: June 17, 2009

For and on behalf of
Khimji Kunverji & Co
Chartered Accountants

Hasmukh B. Dedhia
Partner (F 033494)

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2009

(Rupees)

Sr. No.	FUNDS AND LIABILITIES	SCHEDULE	As on 31.03.2009	As on 31.03.2008
1.	Capital (Under Section 4 of the NABARD Act, 1981)		2000,00,00,000	2000,00,00,000
2.	Reserve Fund and Other Reserves	1	9535,20,60,005	8602,84,75,385
3.	National Rural Credit Funds	2	15571,00,00,000	15159,00,00,000
4.	Funds out of grants received from International Agencies	3	154,81,78,661	170,38,44,460
5.	Gifts, Grants, Donations and Benefactions	4	5111,01,92,515	3967,49,29,810
6.	Other Funds	5	2101,80,68,588	1518,00,64,973
7.	Deposits	6	52127,12,34,628	30698,81,85,462
8.	Bonds and Debentures	7	23703,63,05,906	28700,12,30,600
9.	Borrowings	8	3592,94,14,312	4800,26,56,118
10.	Current Liabilities and Provisions	9	4278,56,76,956	3089,53,14,729
	Total		118176,11,31,571	98706,47,01,537
	Forward Foreign Exchange Contracts (Hedging) as per contra		634,56,79,356	605,58,18,093

(Rupees)

Sr. No.	PROPERTY AND ASSETS	SCHEDULE	As on 31.03.2009	As on 31.03.2008
1.	Cash and Bank Balances	10	13975,21,04,689	10314,24,14,644
2.	Investments	11	2994,68,29,886	2582,05,89,335
3.	Advances	12	98852,67,05,981	82872,42,54,280
4.	Fixed Assets	13	247,17,14,222	257,28,68,784
5.	Other Assets	14	2106,37,76,793	2680,45,54,494
	Total		118176,11,31,571	98706,47,01,537
	Forward Foreign Exchange Contracts (Hedging) as per contra		634,56,79,356	605,58,18,093
	Commitment and Contingent Liabilities	17		
	Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		

Schedules referred to above form an integral part of accounts.

As per our attached report of even date
Khimji Kunverji & Co.
Chartered Accountants

Hasmukh B. Dedhia
Partner
Mumbai
Date : June 17, 2009

S. Akbar
Chief General Manager
Accounts Department
Mumbai : June 17, 2009

Umesh Chandra Sarangi	Dr. K.G. Karmakar	T. Nandkumar	Usha Thorat
Chairman	Managing Director	Director	Director

V. RAMAKRISHNA RAO
CGM & Secretary

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2009

(Rupees)

Sr.No.	INCOME	SCHEDULE	2008-09	2007-08
1.	Interest received on Loans and Advances (Refer Note B-2 & 3 of Schedule 18)		5693,02,22,426	4518,08,36,863
2.	Income from Investment Operations/ Deposits		1214,81,25,586	903,34,71,377
3.	Discount and Commission		92,55,15,672	51,71,40,176
4.	Other Receipts (Refer Note B-5 of Schedule 18)		50,29,52,260	35,95,18,391
	Total "A"		7050,68,15,944	5509,09,66,807

Sr.No.	EXPENDITURE	SCHEDULE	2008-09	2007-08
1.	Interest and Financial Charges	15	4255,90,25,220	3137,48,84,464
2.	Establishment and Other Expenses	16 A	693,38,57,487	495,96,97,851
3.	Provisions	16 B	92,49,80,587	105,91,02,349
4.	Depreciation (Refer Note B-16 of Schedule 18)		21,36,41,786	21,63,06,861
	Total "B"		5063,15,05,080	3760,99,91,525
5.	**Profit before Tax (A - B)**		1987,53,10,864	1748,09,75,282
6.	a) Provision for Income Tax		674,00,00,000	560,00,00,000
	b) Deferred Tax - Asset (Adjustment) (Refer Note B-12 of Schedule 18)		(-) 80,20,00,000	(-) 41,45,00,000
	c) Provision for Fringe Benefit Tax		3,60,00,000	3,40,00,000
7.	**Profit after Tax**		1390,13,10,864	1226,14,75,282
	Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		

Schedules referred to above form an integral part of accounts.

PROFIT AND LOSS APPROPRIATION ACCOUNT

(Rupees)

Sr.No.	APPROPRIATIONS / WITHDRAWALS	2008-09	2007-08
1.	**Profit for the year brought down**		
	Add: Withdrawals from Funds against expenditure debited to Profit & Loss A/c	1390,13,10,864	1226,14,75,282
	a) Co-operative Development Fund (Refer Schedule 1)	3,81,14,043	3,06,99,557
	b) Research and Development Fund (Refer Schedule 1)	8,76,10,683	7,48,95,872
	c) Watershed Development Fund (Refer Schedule 5)	24,91,45,824	11,90,51,701
	d) Micro Finance Development and Equity Fund (Refer Schedule 5)	9,92,70,242	7,38,32,004
	e) Farm Innovation & Promotion Fund (Refer Schedule 1)	73,40,088	46,08,634
2.	**Profit available for Appropriation**	1438,27,91,744	1256,45,63,050
	Less: Transferred to:		
	a) Special Reserve u/s 36(1) (viii) of IT Act, 1961	340,00,00,000	320,00,00,000
	b) National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	400,00,00,000	400,00,00,000
	c) National Rural Credit (Stabilisation) Fund	10,00,00,000	10,00,00,000
	d) Co-operative Development Fund	3,81,14,043	53,06,99,557
	e) Research and Development Fund	8,76,10,683	7,48,95,872
	f) Investment Fluctuation Reserve	42,00,00,000	25,78,45,000
	g) Financial Inclusion Fund	18,50,00,000	5,00,00,000
	h) Financial Inclusion Technology Fund	32,50,00,000	5,00,00,000
	i) Farmers Technology Transfer Fund	31,61,42,310	25,00,00,000
	j) Farm Innovation & Promotion Fund	46,55,57,504	0
	k) Reserve Fund	504,53,67,204	405,11,22,621
	Total	1438,27,91,744	1256,45,63,050

Refer Schedule 18 for Significant Accounting Policies and Notes on Accounts.

As per our attached report of even date
Khimji Kunverji & Co.
Chartered Accountants

Hasmukh B. Dedhia
Partner
Mumbai
Date : June 17, 2009

S. Akbar
Chief General Manager
Accounts Department
Mumbai : June 17, 2009

Umesh Chandra Sarangi	Dr. K.G. Karmakar	T. Nandakumar	Usha Thorat
Chairman	Managing Director	Director	Director

V. RAMAKRISHNA RAO
CGM & Secretary

SCHEDULES TO BALANCE SHEET

Schedule 1 - Reserve Fund and Other Reserves

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2008	Transferred From P&L Appropriation	Transferred to P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2009
1.	Reserve Fund	4718,80,35,657	504,53,67,204	0	5223,34,02,861
2.	Research and Development Fund	50,00,00,000	8,76,10,683	8,76,10,683	50,00,00,000
3.	Capital Reserve	74,80,53,208	0	0	74,80,53,208
4.	Investment Fluctuation Reserve	73,00,00,000	42,00,00,000	0	115,00,00,000
5.	Co-operative Development Fund	125,00,00,000	3,81,14,043	3,81,14,043	125,00,00,000
6.	Soft Loan Assistance Fund for Margin Money	10,00,00,000	0	0	10,00,00,000
7.	Agriculture & Rural Enterprise Incubation Fund	5,00,00,000	0	0	5,00,00,000
6.	Foreign Currency Risk Fund	147,06,03,936	0	0	147,06,03,936
9.	Special Reserve Created & Maintained u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	3395,00,00,000	340,00,00,000	0	3735,00,00,000
10.	Farm Innovation & Promotion Fund	4,17,82,584	46,55,57,504	73,40,088	50,00,00,000
	Total	**8602,84,75,385**	**945,66,49,434**	**13,30,64,814**	**9535,20,60,005**
	Previous year	7802,41,16,398	811,45,63,050	11,02,04,063	8602,84,75,385

Schedule 2 - National Rural Credit Funds

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2008	Contribution by RBI	Transferred from P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2009
1.	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	13615,00,00,000	1,00,00,000	400,00,00,000	14016,00,00,000
2.	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1544,00,00,000	1,00,00,000	10,00,00,000	1555,00,00,000
	Total	**15159,00,00,000**	**2,00,00,000**	**410,00,00,000**	**15571,00,00,000**
	Previous year	14747,00,00,000	2,00,00,000	410,00,00,000	15159,00,00,000

Schedule 3 - Funds out of Grants received from International Agencies

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2008	Grants received/ adjusted during the year	Interest credited to the Fund	Exp./Disb./ adjust. during the year	Balance as on 31.03.2009
1.	National Bank - Swiss Development Coop. Project	54,71,00,174	90,77,000	0	0	55,61,77,174
2.	Rural Innovation Fund (Refer Note B-9 of Schedule 18)	109,73,98,549	0	5,05,40,943	25,50,49,494	89,28,89,998
3.	Rural Promotion Fund (Refer Note B-8 of Schedule 18)	5,49,05,183	1,76,25,141	0	0	7,25,30,324
4.	KfW - NABARD V Fund for Adivasi Programme	44,40,554	5,09,07,803	0	2,87,67,192	2,65,81,165
	Total	**170,38,44,460**	**7,76,09,944**	**5,05,40,943**	**28,38,16,686**	**154,81,78,661**
	Previous year	182,63,92,591	6,16,75,899	6,21,16,899	24,63,40,729	170,38,44,460

Schedule 4 - Gifts, Grants, Donations and Benefactions

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2008	Grant received during the year	Interest Credited to the Fund	Adjusted against the expenditure	Balance as on 31.03.2009
A.						
1.	KfW - NB - IX Adivasi Development Programme - Maharashtra (Refer Note B-9 of Schedule 18)	11,45,898	6,47,96,054	4,42,023	6,23,98,314	39,85,661
2.	KfW-NB-Indp German Watershed Development Programme - Phase III - Maharashtra (Refer Note B-9 of Schedule 18)	0	16,37,34,736	2,28,182	14,38,42,327	2,01,20,591
3.	Indo German Watershed Development Programme - Andhra Pradesh (Refer Note B-9 of Schedule 18)	52,84,458	3,42,22,285	1,76,130	3,59,98,229	36,84,644
4.	Indo German Watershed Development Programme - Gujarat (Refer Note B-9 of Schedule 18)	74,39,581	1,00,80,108	2,43,625	1,23,15,630	54,47,684
5.	Indo German Watershed Development Programme - Rajasthan (Refer Note B-9 of Schedule 18)	42,37,753	70,40,297	3,25,906	73,89,813	42,14,143
6.	KfW Umbrella Programme on Natural Resource Management (Refer Note B-9 of Schedule 18)	9,65,12,324	45,00,000	9,91,638	3,04,99,000	7,15,04,962
7.	NABARD Grant for Fixed Assets under NB-SDC HID Project	7,02,569	0	0	42,503	6,60,066
8.	GTZ-NABARD RFP - Financial Component	0	2,39,35,333	0	2,39,35,333	0
9.	NE Council Fund for Miscellaneous Training Programme	4,98,357	60,00,000	0	72,35,053	(-) 7,36,696
10.	KfW NB SEWA Bank Capitalisation of RFIs	0	2,96,39,708	0	2,96,39,708	0
B.						
1.	Capital Investment Subsidy for Cold Storage Projects - NHB	20,82,710	14,81,22,000	0	14,03,14,800	98,89,910
2.	Capital Subsidy for Cold Storage - NHM	4,26,890	21,09,52,600	0	20,85,95,400	27,84,090
3.	Capital Subsidy for Cold Storage - TM North East	0	3,64,42,626	0	2,10,00,000	1,54,42,626
4.	Credit Linked Capital Subsidy for Technology Upgradation of SSIs	7,08,39,480	1,31,36,000	0	7,75,85,128	63,90,352
5.	Capital Investment Subsidy for Rural Godowns	4,94,51,650	78,00,00,000	0	59,17,74,198	23,76,77,452
6	On-farm Water Management for Crop Production	89,62,638	0	0	87,70,820	1,91,818
7.	Million Shallow Tubewell Programme - Bihar	228,95,48,442	0	0	(-) 2,71,81,447	231,67,29,889
8.	Cattle Development Programme - Uttar Pradesh (Refer Note B-9 of Schedule 18)	3,74,98,385	0	17,28,923	1,69,54,000	2,22,73,308
9.	Cattle Development Programme - Bihar (Refer Note B-9 of Schedule 18)	4,01,40,212	0	19,82,468	1,49,45,000	2,71,77,680
10.	National Project on Organic Farming	3,52,31,798	3,68,33,000	0	2,57,52,960	4,63,11,838
11.	Integrated Watershed Development Programme - Rashtriya Sama Vikas Yojana	7,93,35,452	14,41,93,344	0	3,72,33,304	18,62,95,492
12	Capital Investment Subsidy Scheme - Horticulture Development - Bihar	14,41,93,344	0	0	14,41,93,344	0
13.	Rain Water Harvesting Scheme	57,93,313	0	0	(-) 24,88,031	82,81,344
14	Kutch Drought Proofing Project	68,90,555	0	0	4,43,336	64,47,219

Schedule 4 - Gifts, Grants, Donations and Benefactions

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2008	Grant received during the year	Interest Credited to the Fund	Adjusted against the expenditure	Balance as on 31.03.2009
15.	Dairy and Poultry Venture Capital Fund	24,06,52,774	35,00,00,000	0	34,96,79,705	24,09,73,069
16.	Capital Subsidy for Agriculture Marketing Infrastructure, Grading and Standardisation	53,21,990	77,05,69,000	0	61,43,30,770	16,15,90,220
17	Vidharbha Package	63,26,230	0	0	63,26,230	0
18.	Livelihood Advancement Business School - Sultanpur, Uttar Pradesh (Refer Note B-9 of Schedule 18)	70,68,766	0	4,57,349	0	75,26,115
19.	Livelihood Advancement Business School - Rae Bareli , Uttar Pradesh (Refer Note B-9 of Schedule 18)	1,01,03,957	0	6,53,726	0	1,07,57,683
20.	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - Sultanpur, Uttar Pradesh (Refer Note B-9 of Schedule 18)	86,44,952	0	4,70,663	82,00,000	9,15,615
21.	Multi Activity Approach for Puverty Alleviation - BAIF - Rae Bareli, Uttar Pradesh (Refer Note B-9 of Schedule 18)	2,24,91,402	0	12,22,446	2,15,25,000	21,88,848
22.	Capital Subsidy Scheme - Agri Clinics Agri Business Centres	2,31,46,360	0	0	1,60,54,665	70,91,695
23	Artificial Recharge of Groundwater in Hard Rock Area	1536,75,00,000	0	0	143,34,08,400	1393,40,91,600
24.	Subsidy Reserve - CSAMI under RIDF	0	69,47,300	0	0	69,47,300
25.	DWDR Scheme 2008	0	17500,00,00,000	0	16611,01,23,675	888,98,76,325
26.	Interest Subvention (Sugar TL)	0	138,53,76,000	0	116,18,47,080	22,35,28,920
C	**Revival Package of Short Term Cooperative Credit Structure**					
1.	Cost of Special Audit	26,09,93,479	(-) 3,50,00,000	0	6,78,13,854	15,81,79,625
2.	Recapitalisation Assistance to Credit Cooperative Societies	2048,32,12,766	3838,76,00,000	0	3567,41,93,693	2319,66,19,073
3.	Technical Assistance	14,96,75,184	40,00,00,000	0	13,33,71,772	41,63,03,412
4.	Human Resources Development	14,09,11,818	50,00,00,000	0	12,72,87,260	51,36,24,558
5.	Implementation Cost	6,26,64,323	35,00,00,000	0	26,73,69,939	14,52,94,384
D	**Long Term Co operative Credit Structure (LTCCS)**	0	20,00,00,000	0	0	20,00,00,000
	Total	**3967,49,29,810**	**21902,90,60,391**	**89,23,079**	**20760,27,20,765**	**5111,01,92,515**
	Previous year	**711,81,48,778**	**4923,66,29,181**	**81,57,993**	**1668,80,06,142**	**3967,49,29,810**

E		As on 31.03.2009	As on 31.03.2008
1.	Grants to RRBs/SCBs/SLDBs under ARDR Scheme, 1990	2695,37,95,937	2695,37,95,937
2.	Less : Grants Released to RRBs/SCBs/SLDBs under ARDR Scheme, 1990	2695,37,95,937	2695,37,95,937
	Total	0	0

Schedule 5 - Other Funds

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2009	Additions/ Adjustments during the year	Transferred from P & L Appropriation	Interest Credited	Expenditure/ Disb.during the year	Transferred to P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2009
1.	Watershed Development Fund (Refer Note B-9 of Schedule 18)	513,68,48,645	527,52,11,636	0	36,83,13,420	24,91,45,824	24,91,45,824	1125,20,82,693
2.	Micro Finance Development and Equity Fund (Refer Note B-9 of Schedule 18)	126,60,86,662	20,00,00,000	0	6,04,41,953	8,80,32,101	9,92,70,242	153,92,26,272
3.	Interest Differential Fund - (Forex Risk)	117,67,59,671	14,05,00,274	0	0	0	0	131,72,59,945
4.	Interest Differential Fund - (Tawa) (Refer Note B-1 of Schedule 18)	11,41,518	13,930	0	0	0	0	11,55,448
5.	Adivasi Development Fund	1,93,60,592	1,45,94,792	0	0	0	0	3,39,55,094
6.	Tribal Development Fund	602,98,67,885	5,00,000	0	0	28,05,33,698	0	574,98,34,187
7.	Financial Inclusion Fund (Refer Note B-9 of Schedule 18)	15,00,00,000	0	18,50,00,000	94,71,129	36,14,706	0	34,08,56,423
8.	Financial Inclusion Technology Fund (Refer Note B-9 of Schedule 18)	15,00,00,000	0	32,50,00,000	96,43,865	9,44,899	0	48,36,98,966
9.	Farmers Technology Transfer Fund	25,00,00,000	0	31,61,42,310	0	6,61,42,310	0	50,00,00,000
	Total	1518,00,64,973	563,08,20,542	82,61,42,310	41,78,70,367	68,84,13,538	34,84,16,066	2101,80,68,588
	Previous year	1112,28,92,249	385,67,09,519	35,00,00,000	42,67,77,994	38,34,31,085	19,28,83,704	1518,00,64,973

Schedule 6 – Deposits

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	as on 31.03.2009	as on 31.03.2008
1.	From Central Government	0	0
2.	From State Government	0	0
3.	From Others		
	a) Tea / Rubber / Coffee Deposits	60,45,95,645	106,08,44,199
	b) Term Deposits	421,63,62,000	0
	c) Commercial Banks (Deposits under RIDF)	47022,75,11,983	30592,73,41,263
	d) Short Term Cooperative Rural Credit Fund	4622,28,25,000	0
	Total	52127,12,34,628	30698,81,85,462

Schedule 7 – Bonds and Debentures

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	as on 31.03.2009	as on 31.03.2008
1.	SLR Bonds	277,98,11,000	394,21,11,000
2.	Tax Free Bonds	0	535,15,00,000
3.	Priority Sector Taxable Bonds	0	325,00,00,000
4.	Non Priority Sector Bonds	18156,50,00,000	20877,50,00,000
5.	Capital Gains Bonds	690,93,90,000	4777,45,10,000
6.	Bhavishya Nirman Bonds	4554,22,17,906	1787,45,72,600
7.	NABARD Rural Bonds	23,98,87,000	3,35,37,000
	Total	23703,63,05,906	28700,12,30,600

Schedule 8 – Borrowings

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	as on 31.03.2009	as on 31.03.2008
1.	From Central Government	353,80,83,226	370,20,89,182
2.	From Reserve Bank of India	0	0
3.	From Others :		
	(a) In India		
	(i) Certificate of Deposits	1816,15,33,900	1421,92,03,300
	(ii) Commercial Paper	180,61,86,000	0
	(iii) Term Money Borrowings	244,07,00,000	0
	(iv) From Commercial Banks	500,00,00,000	2500,00,00,000
	(b) Outside India		
	(i) From International Agencies	498,29,11,186	508,13,63,636
	Total	**3592,94,14,312**	**4800,26,56,118**

Schedule 9 - Current Liabilities and Provisions

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	as on 31.03.2009	as on 31.03.2008
1.	Interest / Discount Accrued	2012,53,59,327	1674,07,05,305
2.	Sundry Creditors	596,61,60,450	67,63,27,343
3.	Provision for Gratuity (Refer Note B-17 of Schedule 18)	261,52,90,025	232,66,17,081
4.	Provision for Pension (Refer Note B-10 and B-17 of Schedule 18)	637,35,36,151	466,91,98,168
5.	Provision for Encashment of Ordinary Leave (Refer Note B-17 of Schedule 18)	24,52,09,592	18,30,26,212
6.	Unclaimed Interest on Bonds with RBI	6,54,086	11,56,586
7.	Unclaimed Interest on Bonds	9,36,66,167	6,29,04,755
8.	Unclaimed Interest on Term Deposits	27,913	0
9.	Bonds matured but not claimed (Refer Note B-11 of Schedule 18)	69,11,50,000	81,87,70,000
10.	Provisions and Contingencies		
	(a) Depreciation in Value of Investment a/c - G. Sec. (Refer Note B-7 of Schedule 18)	0	35,73,98,880
	(b) Amortisation of G. Sec. - HTM	72,72,63,808	54,54,47,856
	(c) For Standard Assets	493,07,00,000	419,37,00,000
	(d) Depreciation in value of Investments	2,12,28,000	1,66,08,000
	(e) Sacrifice in Interest Element of Restructured Loans	4,54,00,000	13,16,00,000
	(f) Provision for Other Assets & Receivables	35,48,250	37,97,358
	(g) Provision for Income Tax [Net of Advance Tax]	94,64,83,187	15,80,57,185
	Total	**4278,56,76,956**	**3089,53,14,729**

Schedule 10 - Cash and Bank Balances

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	as on 31.03.2009	as on 31.03.2008
1.	Cash in hand	21,579	21,531
2.	Balances with :		
	a) Reserve Bank of India	169,67,65,931	3795,85,77,121
	b) Others		
	(I) In India		
	(i) Other banks in India		
	a) On Current Account	420,21,61,811	107,56,48,175
	b) Deposit with Banks	13067,10,00,000	5789,00,00,000
	(ii) Remittances in Transit	185,25,16,092	157,59,35,668
	(iii) Collateralised Borrowing and Lending Obligations	132,96,39,276	464,22,32,149
	(II) Outside India	0	0
	Total	**13975,21,04,689**	**10314,24,14,644**

Schedule 11 – Investments

(Rupees)

Sr. No.	Particulars		as on 31.03.2009	as on 31.03.2008
1.	Government Securities			
	a) Securities of Central Government (Refer Note B-6 of Schedule 18) [Face Value Rs. 1530,30,50,000 (Rs. 1380,30,50,000)] [Market Value Rs. 1602,95,63,114 (Rs. 1406,58,19,973)]		1555,21,24,186	1422,29,02,151
	b) Treasury Bills [Face Value Rs. 168,50,00,000 (Rs.278,77,75,000)]		156 51,75,000	260,41,87,184
2.	Other Approved Securities		0	0
3.	Equity Shares in :			
	a) Agri-Development Finance Companies :			
	i) NABARD Financial Services Ltd. [52,00,000 - Equity shares of Rs.10 each]	Rs. 5,20,00,000		
	ii) Agri-Business Finance [Andhra Pradesh] Ltd. [52,00,000 - Equity shares of Rs.10 each]	Rs. 5,20,00,000		
	iii) Agri Development Finance [Tamil Nadu] Ltd. [52,00,000 - Equity shares of Rs.10 each]	Rs. 5,20,00,000	15,60,00,000	15,60,00,000
	b) Agricultural Finance Corporation Ltd. [1,000 - Equity shares of Rs.10,000 each]		1,00,00,000	1,00,00,000
	c) Small Industries Development Bank of India [1,60,00,000 - Equity shares of Rs.10 each (face value)]		48,00,00,000	48,00,00,000
	d) Agriculture Insurance Company of India Ltd. [6,00,00,000 - Equity shares of Rs.10 each]		60,00,00,000	60,00,00,000
	e) NABARD Consultancy Services Pvt. Ltd. [50,00,000 - Equity shares of Rs.10 each]		5,00,00,000	5,00,00,000
	f) National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. [45,00,000 - Equity shares of Rs.10 each]		4,50,00,000	4,50,00,000
	g) Multi Commodity Exchange of India Ltd. [12,50,000 - Equity shares of Rs 10 each]		1,25,00,000	1,25,00,000
4.	Others			
	a) Units of Liquid Mutual Funds (Refer Note B-24 of Schedule 18)		1000,00,00,000	760,00,00,000
	b) APIDC-Venture Capital Pvt. Ltd. - BVF [50,000 (50,000) class A units of Rs 1000 (800) each]		5,00,00,000	4,00,00,000
	c) Commercial Paper [Face Value Rs.150,00,00,000 (Rs. Nil)]		142,60,30,700	0
	Total		2994,68,29,886	2582,05,89,335

Schedule 12 – Advances

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	as on 31.03.2009	as on 31.03.2008
1.	Refinance Loans		
	a) Production & Marketing Credit	16896,23,31,000	17381,49,72,000
	b) Conversion Loans for Production Credit	20,06,77,000	118,20,43,000
	c) Medium Term Investment Credit- Non-Project loans	4,80,000	9,60,000
	d) Liquidity Support	2590,91,89,000	1939,88,56,605
	e) Other Investment Credit :		
	i) Medium Term and Long Term Project Loans (Refer Note B-15 of Schedule 18)	33334,81,37,417	32401,00,02,486
	ii) Long Term Non-Project Loans	251,92,69,717	290,14,34,014
2.	Direct Loans		
	a) Loans under Rural Infrastructure Development Fund	45616,21,10,206	30648,59,05,279
	b) Other Loans:		
	i) Cooperative Development Fund	3,27,78,368	3,51,05,480
	ii) Micro Finance Development Equity Fund	29,74,13,365	16,41,99,746
	iii) Watershed Development Fund	14,72,11,100	6,64,64,900
	iv) Tribal Development Fund	23,52,000	3,68,000
	c) Co-Finance Loans (Net of Provision)	94,47,56,808	66,39,42,850
	Total	98852,67,05,981	82872,42,54,280

Schedule 13 - Fixed Assets

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	as on 31.03.2009	as on 31.03.2008
1.	LAND : Freehold & Leasehold		
	(Refer Note B-14 of Schedule 18)		
	Opening Balance	144,16,62,113	118,43,09,971
	Additions/adjustments during the year	34,73,754	25,73,52,142
	Closing Balance (at cost)	144,51,35,867	144,16,62,113
	Less: Amortisation of Lease Premia	32,37,09,461	30,07,14,152
	Book Value	**112,14,26,406**	**114,09,47,961**
2.	PREMISES		
	(Refer Note B-14 of Schedule 18)		
	Opening Balance	256,05,62,671	244,58,60,686
	Additions/adjustments during the year	1,96,46,744	11,47,01,985
	Closing Balance (at cost)	258,02,09,415	256,05,62,671
	Less: Depreciation to date	135,58,29,200	125,56,08,556
	Book Value	**122,43,80,215**	**130,49,54,115**
3.	FURNITURE & FIXTURES		
	Opening Balance	54,85,48,549	56,90,90,253
	Additions/adjustments during the year	1,57,37,977	1,24,47,228
	Sub Total	56,42,86,526	58,15,37,481
	Less: Cost of assets sold/written off	15,65,752	3,29,88,932
	Closing Balance (at cost)	56,27,20,774	54,85,48,549
	Less: Depreciation to date	52,71,25,392	50,01,79,543
	Book Value	**3,55,95,382**	**4,83,69,006**
4.	COMPUTER INSTALLATIONS & OFFICE EQUIPMENTS		
	Opening Balance	61,87,59,611	63,23,32,978
	Additions/adjustments during the year	6,26,97,833	3,62,81,283
	Sub-Total	68,14,57,444	66,86,14,261
	Less: Cost of assets sold/written off	2,00,55,046	4,98,54,650
	Closing Balance (at cost)	66,14,02,398	61,87,59,611
	Less: Depreciation to date	59,23,72,621	55,82,35,788
	Book Value	**6,90,29,777**	**6,05,23,823**
5.	VEHICLES		
	Opening Balance	4,19,68,259	3,92,01,244
	Additions/adjustments during the year	1,63,83,824	51,79,072
	Sub-Total	5,83,52,083	4,43,80,316
	Less: Cost of assets sold/written off	1,07,49,021	24,12,057
	Closing Balance (at cost)	4,76,03,062	4,19,68,259
	Less: Depreciation to date	2,63,20,620	2,38,74,380
	Book Value	**2,12,82,442**	**1,80,93,879**
	Total	**247,17,14,222**	**257,28,88,784**

Schedule 14- Other Assets

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	as on 31.03.2009	as on 31.03.2008
1.	Accrued Interest	1501,44,94,051	2173,58,69,541
2.	Deposits with Landlords	1,23,85,912	1,00,90,952
3.	Deposits with Government Departments and Other Institutions	2,28,58,811	2,16,00,208
4.	Housing loan to staff	103,55,76,565	98,42,58,611
5.	Other Advances to staff	64,33,12,331	56,24,05,783
6	Advances to Landlords	1,54,000	2,73,433
7.	Capital Work in Progress [Purchase of Staff Quarters & Office Premises]	9,84,29,348	4,96,86,759
8.	Sundry Advances	26,19,12,331	28,44,91,070
9.	Advance Tax (Net of Provision for Income Tax)	0	0
10.	Deferred Tax Assets [Refer Note B-12 of Schedule 18]	384,99,00,000	304,79,00,000
11.	Expenditure recoverable from Government of India/International Agencies	4,37,219	1,64,48,340
12	Discount Receivable	12,43,16,225	9,15,29,797
	Total	**2106,37,76,793**	**2680,45,54,494**

Schedule 15 – Interest & Financial Charges

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	2008-09	2007-08
1.	Interest Paid on		
a)	Loans from Central Government	25,76,35,682	27,02,49,958
b)	Borrowings from Reserve Bank of India	5,99,45,694	0
c)	Bonds (Refer Note B-4 of Schedule 18)	1581,54,51,596	1361,55,15,697
d)	Special Loan Deposits from State Governments	0	6,690
e)	Tea / Coffee / Rubber Deposits	3,24,31,169	4,76,68,588
f)	Term Money Borrowings	38,26,30,457	0
g)	Term Deposits	8,95,97,323	0
h)	Borrowings from International Agencies	27,70,71,578	24,32,59,546
i)	Commercial Paper (Refer Note B-4 of Schedule 18)	7,18,81,566	0
j)	Short Term Cooperative Rural Credit Fund (Refer Note B-4 of Schedule 18)	27,69,81,135	0
k)	Deposits under RIDF	2157.00,88,384	1400,62,85,028
l)	Cattle Development Programme (UP & Bihar)	37,11,391	14,90,600
m)	Watershed Development Fund	33,83,13,420	34,73,68,791
n)	Financial Inclusion Fund	94,71,129	0
o)	Financial Inclusion Technology Fund	96,43,865	0
p)	Micro Finance Development and Equity Fund	6,04,41,953	7,94,09,203
q)	Indo German Watershed Development Programme - Andhra Pradesh	1,76,130	2,17,699
r)	Indo German Watershed Development Programme - Rajasthan	3,25,906	1,67,216
s)	KfW - NB Indo German Watershed Development Programme - Phase III - Maharashtra	2,28,182	12,31,130
t)	KfW - NB - IX Adivasi Development Programme	4,42,023	2,11,824
u)	Indo German Watershed Development Programme - Gujarat	2,43,625	1,09,631
v)	Corporate Borrowings from Banks and FIs in India	130,08,45,106	187,90,01,244
w)	Rural Innovation Fund	5,05,40,943	6,21,16,899
x)	Livelihood Advancement Business School RF Project - Sultanpur, Uttar Pradesh	4,57,349	4,95,616
y)	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation BAIF Project - Sultanpur, Uttar Pradesh	4,70,663	17,64,718
z)	Livelihood Advancement Business School RF Project - Rae Bareli, Uttar Pradesh	6,53,726	8,81,983
aa)	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation BAIF Project - Rae Bareli, Uttar Pradesh	12,22,446	15,76,950
ab)	Other Deposits / Borrowings	12,83,178	0
ac)	Discount on Certificate of Deposits	175,19,07,902	61,49,39,574
ad)	Tribal Development Fund - Wadi [West Bengal]	0	29,824
2.	Discount on Collateralised Borrowing and Lending Obligations	3,17,86,414	3,91,67,660
3.	Swap Charges	3,14,00,171	3,28,30,183
4	Discount, Brokerage, Commission & Issue exp. on Bonds and Securities	13,17,45,114	12,64,14,035
5.	Repo Interest Expenditure	0	24,74,177
	Total	**4255,90,25,220**	**3137,48,84,464**

Schedule 16 A - Establishment and Other Expenses

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	2008-09	2007-08
1.	Salaries and Allowances	251,39,90,425	233,08,89,082
2.	Contribution to / Provision for Staff Superannuation Funds	266,79,98,747	123,39,40,370
3.	Travelling & Other allowances in connection with Directors' & Committee Members' Meetings	34,35,966	16,47,887
4.	Directors' & Committee Members' Fees	1,49,375	1,58,250
5.	Rent, Rates, Insurance, Lighting, etc.	19,14,09,388	19,11,04,599
6.	Travelling Expenses	23,59,04,413	19,68,77,252
7.	Printing & Stationery	2,52,26,434	2,76,11,644
8.	Postage, Telegrams & Telephones	6,58,96,399	6,42,32,097
9.	Repairs	5,85,61,031	3,89,31,822
10.	Auditors' Fees [includes Rs.Nil (Previous Year Rs 2,03,136) paid to erstwhile auditors]	7,11,496	7,11,466
11.	Legal Charges	11,55,909	15,81,688
12	Miscellaneous Expenses	50,27,83,251	41,63,64,138
13.	Expenditure on Miscellaneous Assets	55,30,410	67,10,776
14	Expenditure on Study & Training [Including Rs.5,52,86,037 (Rs. 4,77,77,782) pertaining to establishment expenses of Regional Training Colleges]	25,00,60,356	19,77,01,338
15.	Expenditure on Promotional Activities under		
	(i) Cooperative Development Fund	3,81,14,043	3,06,99,557
	(ii) Micro Finance Development and Equity Fund	9,92,70,242	7,36,32,004
	(iii) Watershed Development Fund	24,91,45,824	11,90,51,701
	(iv) Farm Innovation and Promotion Fund	73,40,088	46,08,634
16.	Wealth Tax	1,71,73,690	2,30,43,544
	Total	**693,38,57,487**	**495,96,97,851**

Schedule 16 B - Provisions

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	2008-09	2007-08
	Provisions for :		
1.	Amortisation of G. Sec	18,18,15,952	18,18,15,952
2.	Standard Assets	73,70,00,000	62,52,00,000
3.	Non Performing Assets	8,88,11,531	2,22,76,786
4.	Depreciation in Investments G.Sec [Refer Note B-7 of Schedule 18]	0	35,73,98,880
5.	Depreciation in Value of Investment Account - Equity	46,20,000	(-) 36,12,000
6.	Sacrifice in Interest Element of Restructured Accounts	(-) 8,62,00,000	(-) 12,35,00,000
7.	Other Assets / Receivables	(-) 10,66,896	(-) 4,77,269
	Total	**92,49,80,587**	**105,91,02,349**

Schedule 17 - Commitments and Contingent Liabilities

(Rupees)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2009	As on 31.03.2008
1.	Commitments on account of capital contracts remaining to be executed	16,80,39,000	4,51,19,000
	Sub Total "A"	**16,80,39,000**	**4,51,19,000**
2.	Contingent Liabilites		
	Disputed claims for additional payments towards construction of premises	3,36,60,000	9,11,29,000
	Sub Total "B"	**3,36,60,000**	**9,11,29,000**
	Total (A + B)	**20,16,99,000**	**13,62,48,000**

Schedule 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2009

A. Significant Accounting Policies

1. Basis of Preparation

1.1 The accounts are prepared on the historical cost convention and comply with all material aspects contained in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 and Regulations thereof, applicable Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). Except otherwise mentioned, the accounting policies have been consistently applied by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD / the Bank) and are consistent with those used in the previous year.

1.2 Preparation of financial statements as per Generally Accepted Accounting Policies (GAAP) requires the management to make several assumptions and estimates that affect reported results and the reported state of affairs of the Bank; the example of such cases include the estimated life of fixed assets, liability on account of employee retirement benefits, provision for anticipated losses, etc. Actual results could differ from such estimates. Such differences are recognized in the year of outcome of such results.

2. Income and expenditure

2.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis except the following, which are accounted on cash basis:

a. Interest on non-performing assets are identified as per RBI guidelines.

b. Income by way of penal interest charged due to delayed receipt of loan dues or non-compliance with terms of loan.

c. Service Charges on loans given out of Agriculture and Rural Enterprises Incubation Fund, Micro Finance Development and Equity Fund, Watershed Development Fund and Cooperative Development Fund.

d. Expenses not exceeding Rs.10,000 at each accounting unit under a single head of expenditure.

2.2 Issue expenses relating to floatation of bonds are recognised as expenditure in the year of issue of Bonds.

2.3 Dividend on investments is accounted for when the right to receive the dividend is established.

3. Fixed Assets and Depreciation

3.1 Fixed assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of assets includes taxes, duties, freight and other incidental expenses related to the acquisition and installation of the respective assets. Subsequent expenditure incurred on existing assets is capitalised only when it increases the future benefit from the existing assets beyond its previously assessed level of performance.

3.2 Expenditure incurred on assets purchased for the value not exceeding Rs.5,000 per unit is charged to Profit and Loss Account.

3.3 Land includes free hold and leasehold land.

3.4 Premises include value of land where segregated values are not readily available.

3.5 Depreciation on premises situated on free hold land is charged @ 10% p.a. on written down value basis.

3.6 Depreciation on leasehold land and premises situated thereon is computed and charged at higher of 5% on written down value basis or the amount derived by amortising the premium / cost over the remaining period of lease hold land on straight line basis.

3.7 Depreciation on other fixed assets is charged over the estimated useful life of the assets ascertained by the management at the following rates on Straight Line Method basis:

Type of Assets	Depreciation Rate
Furniture and Fixtures	20%
Computer installations	33%
Office Equipments	20%
Vehicles	20%

Depreciation is charged for the full year irrespective of the date of purchase of asset. No depreciation is charged on assets sold during the year.

4. Intangible Assets and Amortisation

Intangible assets are recognized / amortised as per the criteria specified in AS 26 "Intangible Assets".

5. Investments

5.1 In accordance with the RBI guidelines, Investments are classified into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories (hereinafter called "categories"). Under each of these categories, investments are further classified under (i) Government Securities (ii) Other Approved Securities (iii) Shares and (iv) Others.

5.2 Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "HFT". Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "HTM". Securities which are not to be classified in the above categories, are classified as "AFS".

5.3 Investments categorized under "HTM" are carried at cost and provision for depreciation / diminution / amortisation, if any, in value of investments is included under Current Liabilities and Provisions.

5.4 Provision for diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries under the category "HTM" is made, wherever necessary.

5.5 Profit on sale of investment categorized under "HTM" is recognized in Profit & Loss A/c and then transferred to Capital Reserve A/c. Loss on sale of investment categorized under "HTM" is recognized in Profit & Loss A/c.

5.6 Investments under "AFS" and "HFT" are marked to market scrip wise at the rate declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) at prescribed intervals. While only net depreciation, if any, is provided for investments in the category classified as "AFS", depreciation / appreciation is recognised in the category for investments classified as "HFT".

5.7 Treasury Bills are valued at carrying cost.

5.8 Unquoted Shares are valued at breakup value, if the latest Audited Accounts of the investee companies is available, or at Re.1/- per share as per RBI guideline.

5.9 Brokerage, commission, etc. paid at the time of acquisition, are charged to revenue.

5.10 Broken period interest on debt investment is treated as a revenue item.

5.11 Transfer of a security between the categories is accounted for at lower of the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

6. Advances and Provisions thereon

6.1 Advances are classified as per RBI guidelines. Provision for standard assets and non-performing assets is made in respect of identified advances based on a periodic review and in conformity with the provisioning norms prescribed by RBI.

6.2 In case of restructuring / rescheduling of advances, the difference between the present value of future interest as per the original agreement and the present value of future interest as per the revised agreement is provided for at the time of restructuring / rescheduling.

6.3 Advances are stated net of provisions towards Non-performing Advances.

7. Foreign Currency Transactions

7.1 Foreign currency borrowings, which are covered by hedging agreements, are marked to market at every reporting date, the resultant gain if any is ignored and loss if any, is provided for. The liability towards foreign currency borrowings at the prevailing exchange rate on the reporting date is mentioned under the Balance sheet as a contra entry.

7.2 Profit on cancellation of or renewal of currency SWAP agreement, if any, is accounted for on the final settlement of agreement; however, loss on such transactions is provided at the market rates as on the date of Balance Sheet.

8. Retirement Benefits

8.1 The Bank has a Provident Fund Scheme managed by RBI. Contribution to the Fund is made on actual basis.

8.2 Provision for gratuity is made based on actuarial valuation, in respect of all employees including employees transferred from RBI. The amount of gratuity due from RBI, in respect of employees transferred from RBI, is accounted on cash basis.

8.3 Provision for Pension is made based on actuarial valuation.

8.4 Employer's contribution to Provident Fund relating to the pension optees (part of Pension Fund) are maintained with RBI.

8.5 Provision for Encashment of Ordinary Leave is made on the basis of actuarial valuation.

9. Taxes on Income

9.1 Tax on income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961 and based on expected outcome of assessments / appeals.

9.2 Deferred tax is recognized, on timing difference, being the difference between taxable income and accounting income for the year and quantified using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as on Balance Sheet date.

9.3 Deferred tax assets relating to unabsorbed depreciation / business losses are recognised and carried forward to the extent that there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

9.4 Other deferred tax assets are recognised and carried forward to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

9.5 Fringe Benefit Tax and Wealth Tax is provided in accordance with the provisions of the relevant Acts.

10. Segment Reporting

10.1 Segment revenue includes interest and other income directly identifiable with / allocable to the segment.

10.2 Expenses that are directly identifiable with / allocable to segments are considered for determining the segment result. The expenses, which relate to the Bank as a whole and not allocable to segments, are included under "Other Unallocable Expenditure".

10.3 Income, which relates to Bank as a whole and not allocable to segments is included under "Other unallocable bank income".

10.4 Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Unallocable assets and liabilities include those that relate to the Bank as a whole and not allocable to any segment.

11. Impairment of Assets

11.1 As at each Balance Sheet date, the carrying amount of assets is tested for impairment so as to determine:

a) the provision for impairment loss, if any required; or

b) the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods.

11.2 Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

12. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

12.1 Provisions are recognised for liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation if:

a) the Bank has a present obligation as a result of a past event;

b) a probable outflow of resources is expected to settle the obligation; and

c) the amount of the obligation can be reliably estimated.

12.2 Reimbursement, expected in respect of expenditure, which require a provision, is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

12.3 Contingent liability is disclosed in the case of:

a) a present obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation,

b) a present obligation when no reliable estimate is possible, and

c) a possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is not remote.

12.4 Contingent assets are neither recognized, nor disclosed.

12.5 Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

B. Notes forming part of the Accounts

1. In terms of TAWA Command Area Development Project Agreement, interest chargeable by the Government of India (GoI) on loans to the Bank at 6.5% (6.5%) per annum has been accounted to the extent of 4.5% (4.5%) by credit to the "Interest Differential Fund" to be utilised for certain specified purposes and the balance 2% has been paid to GoI.

2. Interest Received on Loans and Advances includes Rs. Nil (Rs. 37.36 crore) representing Interest Subvention received from GoI for providing assistance under Liquidity Support to State Co-operative Banks (SCBs) / Regional Rural Banks (RRBs). The scheme is closed.

3. Interest Received on Loans and Advances includes Rs. 10.70 crore (Nil) representing Interest Subvention received from GoI for providing assistance under Liquidity Support to State Co-operative Banks (SCBs) / Regional Rural Banks (RRBs) for Rabi 2008-09.

4. Subvention received / receivable from GOI amounting to Rs. 874.44 crore (Rs. 879.74 crore) being the difference between the cost of borrowing by NABARD and the refinance rate, has been reduced from interest and financial charges.

5 Other receipts includes Rs.32.02 crore (Rs.28.87 crore) received / receivable from GoI towards administration charges on providing refinance under interest subvention scheme to SCBs and RRBs for financing Seasonal Agricultural Operations.

6. Investments in Government securities includes the following securities pledged with Clearing Corporation of India Limited as collateral security for Business segments:

(Rs. crore)

Particulars	Face Value	Book Value
Pledged for Business Segment (Securities)	10.00 (10.00)	9.25 (11.19)
Pledged for Business Segment (Collateralised Borrowing and Lending Obligation)	1,212.00 (1212.00)	1,220.97 (1256.67)

7. Investments under HTM category excluding investments in subsidiaries as on 31 March 2009 stood at 22.90% as against 43.43 % as at 31 March 2008. As per RBI directives, the bank has shifted investments amounting to Rs. Nil (Rs. 480.65 crore, book value Rs. 432.30 crore) from HTM to AFS category. The resultant diminution in the value of the shifted investments amounting to Rs. Nil (Rs. 35.74 crore) has been provided for, at the year end.

8. In accordance with the Memorandum of Understanding entered into with the Swiss Agency for Development Cooperation, repayments of loan, service charges and other receipts made out of Rural Innovation Fund (RIF) are being credited to the Rural Promotion Fund (RPF).

9. Interest at the rate of 6.00% per annum on unutilised balances of RIF, Watershed Development Fund, KfW NB IGWDP - (Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan), KfW NB IX Adivasi Development Programme and KfW Umbrella Programme on Natural Resource Management has been credited to respective fund based on respective agreements. Further, interest at the rate of 6.47% per annum on unutilised balances of Micro Finance Development and Equity Fund, Cattle Development Programme (Uttar Pradesh & Bihar), LAB's Revolving Fund (Sultanpur & Rae Bareli) and MAPA BAIF - (Sultanpur and Rae Bareli), Financial Inclusion Fund and Financial Inclusion Technology Fund has been credited to the respective funds.

10. Pending receipt of confirmation of balance of Provident Fund Account in respect of employer's contribution as on March 31, 2009 maintained with RBI, provision for pension is made after considering the balance of PF maintained with RBI as per the records available with the Bank.

11. Outstanding balance payable on account of 'bonds matured but not claimed' amounting to Rs.69.12 crore (Rs.81.88 crore) includes Rs.1.53 crore (Rs.1.53 crore) on account of SLR Bonds issued by the Bank which were earlier serviced / managed by RBI. From October 1, 2003, servicing of these bonds was taken over by the Bank.

12. The Bank has, during the year, in accordance with AS 22 "Accounting for taxes on Income", recognized in the Profit and Loss account the difference of Rs.80.20 crore between net deferred tax assets of Rs.384.99 crore and Rs.304.79 crore as at March 31, 2009 and March 31, 2008 respectively, as detailed below:

(Rs. crore)

Sr. No.	Deferred Tax Assets	31 March 2009	31 March 2008
1	Provision for Retirement Benefits made in the books but allowable for tax purposes on payment basis	344.80	267.84
2	Depreciation on Fixed Assets	23.71	24.59
3	Amortisation of G Sec	16.48	12.36
	Total	384.99	304.79

13. Provision for Income Tax on account of Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961, is not considered necessary, as the Bank has decided not to withdraw the said reserve.

14. 'Land' and 'Premises' include Rs. 34.77 crore (Rs.35.94 crore) paid towards Office Premises and Staff Quarters for which conveyance is yet to be completed.

15. The Bank has subscribed to debentures issued by various State Land Development Banks / State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks, which are included under "Advances - Other Investment Credit - Medium Term and Long Term Project Loans". The value of Allotment Letters / Debenture Scrips, yet to be received, as at the year end, aggregates to Rs.195.33 crore (Rs.14.42 crore).

16. Depreciation charged in Profit & Loss Account is net of Swiss Development Corporation share of depreciation amounting to Rs. 42,503 (Rs. 1,27,677) on assets purchased under SDC- HID project.

17. Disclosure required under AS 15 (Revised) on "Employee Benefits" is as under:

17.1 Defined Benefit Plans

Employees Retirement Benefit plans of the bank include Pension, Gratuity and Leave Encashment, which are defined benefit plans. The present value of obligation is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Cost Method, which recognises each period of services as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation.

a. Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligations:

(Rs. crore)

Particulars	Pension	Gratuity	Leave Encashment
Present value of defined benefit obligation at the beginning of year	705.11 (632.97)	232.66 (195.05)	92.18 (72.88)
Current Service Cost	20.90 (18.67)	17.26 (14.08)	9.10 (5.64)
Interest Cost	56.41 (50.64)	18.62 (15.60)	7.37 (5.53)
Actuarial (gain)/ loss	127.38 (17.34)	-9.84 (12.12)	10.64 (15.66)
Benefits paid	-17.79 (-14.51)	-8.17 (-4.19)	-3.78 (-7.83)
Present value of defined benefits obligations at the year end	892.01 (705.11)	250.53* (232.66)	115.51 (92.18)

* *Excludes incremental gratuity of Rs. 11 crore to be paid to employees who have retired on or after January 01, 2006*

b. Amount recognized in the balance sheet as on 31 March 2009:

(Rs. crore)

Particulars	Pension (Partly Funded)	Gratuity (Unfunded)	Leave Encashment (Funded)
Present value of defined benefits obligations as at the year end	892.01 (705.11)	250.53 (232.66)	115.51 (92.18)
Fair value of plan assets as at the year end	254.66 (238.19) @	0.00 (0.00)	90.99 (72.88) $
Liability recognized in the Balance sheet as at the year end	637.35 (466.92)	250.53 (232.66)	24.52 (19.30)

@ *Represents the Banks contribution towards PF for pensionoptees available with RBI.*

$ *Represents the amount invested with Insurance companies towards the liability for Leave Encashment.*

c. Expenses recognized in the Profit and Loss Account during the year:

(Rs. crore)

Particulars	Pension	Gratuity	Leave Encashment
Current Service Cost	20.90 (18.67)	17.26 (14.08)	9.10 (5.64)
Interest Cost	56.41 (50.64)	18.62 (15.60)	7.37 (5.83)
Actuarial (gain)/ loss	127.38 (17.34)	-9.84 (12.12)	11.21 (15.66)
Expected return on Plan Assets	- -	0.00 (0.00)	-2.69 (0.00)
Expense recognized in the statement of Profit & Loss	188.06 (68.10)	26.04 (41.80)	24.99^ (27.13)

^ net of income on plan assets Rs. 3.11 crore (Rs. Nil).

d. Actuarial assumptions:

Particulars	Pension	Gratuity	Leave Encashment
Mortality Table (LIC)	1994-96 (Ultimate)	1994-96 (Ultimate)	1994-96 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	7.5%	7.5%	7.5%
Salary growth (per annum)	4%	7%	7%
Withdrawal rate	1%	1%	1%

17.2 The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market.

17.3 The aforesaid liabilities include liability of employees deputed to subsidiaries.

17.4 The above information is certified by the actuary, except in respect of pension for fair value of plan assets, expected return on plan assets and expense recognized in profit and loss account.

17.5 Defined Contribution Plan:

The bank contributes a defined sum of 10% on the basic salary for both pension optees and non pension optees every month towards Provident Fund. The contribution made for the pension optees forms part of the plan assets of pension scheme. The total contribution charged to Profit and Loss account during the year is Rs.12.29 crore (Rs.12.74 crore)

18. In the opinion of the Bank's management, there is no impairment to assets to which AS 28 - "Impairment of Assets" applies requiring any provision.

19. The movement in Contingent Liability as required in AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" is as under:

(Rs. crore)

Particulars	2008-09	2007-08
Opening Balance	9.11	58.78
Provided during the year	0.01	0.00
Reversed during the year	5.75	49.67
Closing Balance	3.37	9.11

20. Prior period items included in the Profit and Loss account are as follows:

(Rs. crore)

Sr. No.	Particulars	2008-09	2007-08
1	Depreciation	0.032	0.000
2	Other Expenses	0.041	0.000
3	Dividend Income	0.000	0.625
	Total	**0.073**	**0.625**

21. Capital adequacy ratio of the Bank as on 31 March 2009 is 25.85% (26.61%) as against a minimum of 9% as stipulated by RBI.

22. During the year the bank has implemented an Optional Early Retirement Scheme (OERS) for its officers in Grade C who have completed 45 years of age and 22 years of service with the bank. A provision of Rs.15.03 crore has been made in current year and included under the head "Salaries and Allowances".

23. NPA on staff loans:

(Rs. crore)

Particulars	2008-09	2007-08
Opening Balance	0.10	0.11
Addition during the year	0.00	0.00
Written Back during the year	0.03	0.01
Closing Balance	0.07	0.10

24. Investments in Mutual Funds:

(Rs. crore)

S.No	Name of the Mutual Fund	FY 2008-09		FY 2007-08	
		Book Value	Market Value	Book Value	Market Value
1	Birla Sun life	100.00	100.04	60.00	60.02
2	Tata	50.00	50.02	60.00	60.01
3	Kotak Mahindra	50.00	50.02	60.00	60.02
4	UTI	75.00	75.03	60.00	60.02
5	ICICI Prudential	100.00	100.02	60.00	60.02
6	HDFC	75.00	75.02	60.00	60.01
7	Canara Robeco	50.00	50.00	40.00	40.01
8	SBI	50.00	50.01	60.00	60.02
9	Reliance	50.00	50.01	60.00	60.02
10	ING	50.00	50.11	60.00	60.01
11	Franklin Templeton	50.00	50.01	60.00	60.02
12	LIC	100.00	100.05	60.00	60.02
13	Religare	50.00	49.93	0.00	0.00
14	IDFC	50.00	50.01	0.00	0.00
15	Deutsche	50.00	50.02	0.00	0.00
16	Baroda Pioneer	50.00	50.01	0.00	0.00
17	PRINCIPAL	0.00	0.00	60.00	60.01
Total		**1000.00**	**1000.31**	**760.00**	**760.21**

25. As per the information available with the Bank, there are no dues payable under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006.

26. Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

27. Figures in brackets pertain to previous year.

28. The following additional information is disclosed in terms of RBI circular No.RBI/2008-2009/63 (DBOD.FID.FIC.2/01.02.00/2008-09) dated 01July 2008.

28.1 Capital

(a) Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR)

(Percent)

Particulars	31 March 2009	31 March 2008
CRAR	25.85	26.61
Core CRAR	24.45	25.34
Supplementary CRAR	1.40	1.27

(b) Subordinated Debt

(Rs. crore)

Particulars	31 March 2009	31 March 2008
Amount of subordinated debt raised and outstanding as Tier II Capital	Nil	Nil

(c) Risk weighted assets

(Rs. crore)

Particulars	31 March 2009	31 March 2008
On - Balance Sheet Items	43,436.86	38,880.81
Off - Balance Sheet Items	27.61	36.47

(d) Pattern of Capital contribution as on the date of the balance sheet

(Rs. crore)

Contributor	31 March 2009	31 March 2008
Reserve Bank of India	1,450	1,450
Government of India	550	550
Total	**2,000**	**2,000**

28.2 Asset Quality and Credit Concentration

(e) Net NPA position

Particulars	31 March 2009	31 March 2008
Percentage of Net NPAs to Net Loans & Advances	0.0306648	0.0232661

(f) Asset classification

(Rs. crore)

Classification	2008-09		2007-08	
	Amount	(%)	Amount	(%)
Standard	98822.36	99.969	82,853.14	99.977
Sub-standard	6.86	0.007	2.40	0.003
Doubtfull	23.45	0.024	16.88	0.020
Loss	0.00	0.000	0.00	0.000
Total	**98852.67**	**100.00**	**82872.42**	**100.00**

(g) Provisions made during the year

(Rs. crore)

Provisions against	2008-09	2007-08
Standard Assets	73.70	62.52
Non Performing Assets	8.88	2.23
Investments (Net)	(35.28)	35.38
Income Tax (including Fringe Benefit Tax)	677.60	563.40
Total	724.90	663.53

(h) Movement in Net NPAs

(Rs. crore)

Particulars	2008-09	2007-08
(A) Net NPAs as at beginning of the year	19.28	22.96
(B) Add: Additions during the year	11.03	7.16
(C) Sub-total (A+B)	30.31	30.12
(D) Less: Reductions during the year	0.00	10.84
(E) Net NPAs as at the end of the year (C-D)	30.31	19.28

(i) Credit exposure as percentage to Capital Funds and as percentage to Total Assets

(Rs crore)

Category	2008-09 Credit Exposure as % to		2007-08 Credit Exposure as % to	
	Capital Funds	Total Assets	Capital Funds	Total Assets
I Largest Single Borrower	106.32	10.15	43.25	4.56
II Largest Borrower Group	Not Applicable		Not Applicable	
III Ten Largest Single Borrowers for the year	333.06	31.81	270.19	28.48
IV Ten Largest Borrower Groups	Not Applicable		Not Applicable	

(j) Credit exposure to the five largest industrial sectors as percentage to total loan assets: Not Applicable

28.3 Liquidity

(k) Maturity pattern of Rupee Assets and Liabilities

(l) Maturity pattern of Foreign Currency Assets and Liabilities

(Rs. crore)

Sr. No.	Item	Less than or equal to 1 year	More than 1 year upto 3 years	More than 3 years upto 5 years	More than 5 years upto 7 years	More than 7 years	Total #
1.	Rupee Assets	48326.90 (43,339.36)	28354.64 (21,629.83)	23204.68 (17,758.77)	14243.36 (11,714.26)	3551.34 (3,843.23)	117680.92 (98,285.44)
2.	Foreign currency assets	0.00(0.00)	0.00(0.00)	0.00(0.00)	0.00(0.00)	0.00(0.00)	0.00(0.00)
	Total Assets	48326.90 (43,339.36)	28354.64 (21,629.83)	23204.68 (17,758.77)	14243.36 (11,714.26)	3551.34 (3,843.23)	117680.92 (98,285.44)
3.	Rupee Liabilities	16553.97 (19,155.78)	22015.52 (15,913.71)	24003.42 (17,067.14)	17404.61 (11,389.93)	37205.11 (34,250.74)	117182.63 (97,777.30)
4.	Foreign currency liabilities	9.94 (9.96)	64.33 (64.32)	108.68 (108.68)	108.69 (108.69)	206.64 (216.50)	498.29 (508.14)
	Total Liabilities	16563.91 (19,165.74)	22079.85 (15,978.03)	24112.10 (17,175.82)	17513.3 (11,498.62)	37411.75 (34,467.24)	117680.92 (98,285.44)

 # Net of provision made as per RBI directives on Standard Assets, NPA as well as for diminution in value of Investments aggregating to Rs.495.19 crore (Rs.421.03 crore).

28.4 Operating results

	Particulars	2008-09	2007-08
(m)	Interest income as a percentage to average working funds	6.47	6.13
(n)	Non interest income as a percentage to average working funds	0.13	0.08
(o)	Operating profit as a percentage to average working funds	1.86	1.97
(p)	Return on average Assets (%)	1.30	1.38
(q)	Net Profit per Employee (Rs. in crore)	0.28	0.25

28.5 Movement in the provisions

(a) Provision for Non Performing Assets (Loan Assets)

(Rs. crore)

Particulars	2008-09	2007-08
Opening balance as at the beginning of financial year	5.52	3.18
Add: Provision made during the year	8.88	2.34
Less: Write off, write back of excess provision	0.00	0.00
Closing balance at the close of financial year	14.40	5.52

(b) Provision for depreciation in investments

(Rs. crore)

	Particulars	2008-09	
A.	Opening balance as at the beginning of the financial year		37.40 (2.02)
B.	Add		
	(i) Provisions made during the year	0.63 (35.80)	
	(ii) Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year	0.00 (0.00)	
C.	Sub Total [A+B(i)+B(ii)]		38.03 (37.82)
D.	Less		
	(i) Write off, Write Backs of excess provision	35.91 (0.42)	
	(ii) Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve Account	0.00(0.00)	
			35.91 (0.42)
E.	Closing balance as at the close of financial year (C-D)		2.12 (37.40)

28.6 Restructured accounts

During the current financial year six loan accounts outstanding to the extent of Rs. 51.63 crore (Rs. 15.13 crore) have been rescheduled. Out of the above, two loan accounts outstanding of Rs. 26.47 crore (Rs. 9.44 crore) is classified as Standard asset and four loan accounts outstanding of Rs.25.16 crore (Rs. 5.69 crore) has been classified as Doubtful Asset. There is no Interest sacrifice on these reschedulements.

The interest sacrifice on loans restructured during FY 2005-06 amounted to Rs.31.08 crore. Interest sacrifice is reviewed at each balance sheet date and necessary provision is made or reversed. Accordingly, Rs.8.62 crore (Rs.12.35 crore) was written back during the current financial year.

28.7 Assets sold to securitisation company/ reconstruction company : NIL (NIL)

28.8 Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps : NIL (NIL)

28.9 Interest Rate Derivatives : NIL (NIL)

28.10 Investments in Non Government Debt Securities : NIL (NIL)

28.11 Corporate Debt Restructuring (CDR) : NIL (NIL)

28.12 Disclosure on risk exposure in Derivatives

The Bank does not trade in derivatives. However, it has hedged its liability towards borrowings from KfW Germany to the extent of 55.99 million Euro and interest thereon for a period of 10 years and 40 million Euros and interest thereon for the entire loan period. Consequent upon hedging of foreign currency borrowings the same is shown at contracted value as per the Swap agreement. The Bank does not have any open exposure in foreign currency.

The value of outstanding principal amount of hedge contract at the year-end exchange rate stood at Rs. 634.57 crore and the value of outstanding principal liability in the books of account stood at contracted value i.e. Rs. 498.29 crore. The quantitative disclosure in this regard is as under:

(Rs. crore)

Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1.	Derivatives (Notional Principal amount)		
	A) For Hedging	498.29 (508.14)	NA
	B) For Trading	NA	NA
2.	Marked to Market Positions [1]		
	a) Asset (+)	136.28 (97.44)	NA
	b) Liability (-)	NA	NA
3.	Credit Exposure [2]	NA	NA
4.	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	NA	NA
	a) on hedging derivatives	NA	NA
	b) on trading derivatives	NA	NA
5.	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	NA	NA
	a) on hedging	NA	NA
	b) on trading	NA	NA

28.13 Exposures where the FI had exceeded prudential exposure limits during the year : NIL (NIL)

28.14 Related Party Transactions

As the Bank is state controlled enterprise within the meaning of AS-18 "Related Party Transactions", the details of the transactions with other state controlled enterprises are not given

List of Related Parties:

Key Management Personnel

1. Shri Umesh Chandra Sarangi - Chairman
2. Dr. K G Karmakar - Managing Director

(Rs. crore)

Name of the Party	Nature of Relationship	Nature of Transaction	Amt. of transaction during the year	Outstanding
Dr. Y S.P. Thorat	Key Management Personnel - Ex-Chairman	Remuneration including perquisites	0.00 (0.07)	-
Shri U. C. Sarangi	Key Management Personnel - Chairman	Remuneration including perquisites	0.14 (0.02)	-
Dr K.G. Karmakar	Key Management Personnel - Managing Director	Remuneration including perquisites	0.22 (0.08)	-

No amounts, in respect of the related parties have been written off/back, or provided for during the year.
Related party relationships have been identified by the management and relied upon by the auditors.

28.15 Issuer categories in respect of investments made

(Rs. crore)

Sr. No.	Issuer	Amount	Investment made through private placement	'Below investment grade' Securities held	'Unrated' Securities held	'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PSUs	60.00 (60.00)	60.00 (60.00)	-	-	60.00 (60.00)
2.	FIs	48.00 (48.00)	48.00 (48.00)	-	-	48.00 (48.00)
3.	Banks	-	-	-	-	-
4.	Private Corporates	-	-	-	-	-
5.	Subsidiaries/Joint ventures	20.60 (20.60)	20.60 (20.60)	-	20.60 (20.60)	20.60 (20.60)
6.	Others (Net of Provision) including Mutual Funds	1152.23 (769.09)	11.75 (0.00)	0.00 (0.00)	11.75 (0.00)	1152.23 (769.09)
7.	Provision held towards depreciation	2.12 (1.66)	-	-	-	2.12 (1.66)
	Total	**1282.95 (899.35)**	**140.35 (128.60)**	**0.00 (0.00)**	**32.35 (20.60)**	**1282.95 (899.35)**

28.16 Non performing investments: NIL (NIL)

28.17 Disclosure on Repo transactions

(Rs. crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on 31 March 2009
Securities sold under repo	0.00 (206.42)	0.00 (206.42)	0.00 (0.56)	0.00 (0.00)
Securities purchased under reverse repo	275.00 (0.00)	275.00 (0.00)	0.75 (0.00)	0.00 (0.00)

28.18 Information on Business Segment

(a) Brief Background

The Bank has recognized Primary segments as under:

i) Direct Finance: Includes Loans given to state governments for rural infrastructure development, co-finance loans and loans given to voluntary agencies / non-governmental organisations for developmental activities.

ii) Refinance: Includes Loans and Advances given to State Governments, Commercial Banks, Land Development Banks, State Coop. Banks, Regional Rural Banks etc. as refinance against the loans disbursed by them to the ultimate borrowers.

iii) Treasury: Includes investment of funds in treasury bills, short-term deposits, government securities, etc.

iv) Unallocated: Includes income from staff loans and other miscellaneous receipts and expenditure incurred for the developmental role of the bank and common administrative expenses.

(b) Information on Primary Business Segment

(Rs. crore)

	Direct Finance	Refinance	Treasury	Unallocated	Total
Revenue	2037.37 (1536.94)	3389.92 (3007.63)	1307.36 (955.06)	16.03 (9.46)	7050.68 (5509.09)
Results	118.46 (79.68)	1191.87 (1224.76)	1283.21 (894.18)	-596.01 (-450.51)	1997.53 (1748.09)
Assets	45798.54 (30822.03)	54265.45 (54058.31)	16434.04 (5350.55)	1678.08 (4875.58)	118176.11 (98706.47)
Liabilities	47695.61 (31176.46)	51039.80 (50951.52)	192.86 (167.86)	19248.04 (16410.63)	118176.11 (98706.47)
Other Items : Amortization & Depreciation	0.00(0.00)	0.00(0.00)	18.18(18.18)	21.36(21.63)	39.54 (39.81)
Non Cash Expenses (other than above)	9.07(23.19)	64.65(29.09)	0.46(35.38)	47.76(64.23)	121.94 (151.89)

(c) Since the operations of the Bank are confined to India only there is no reportable secondary segment.

As per our attached report of even date
Khimji Kunverji & Co
Chartered Accountants

Hasmukh B. Dedhia
Partner
Mumbai
Mumbai: 17 June 2009

S. Akbar
Chief General Manager
Accounts Department
Date: 17 June 2009

Umesh Chandra Sarangi	Dr. K. G. Karmakar	T. Nandkumar	Usha Thorat
Chairman	Managing Director	Director	Director

V. RAMAKRISHNA RAO
CGM & Secretary

National Bank for Agriculture and Rural Development
Cash flow for the year ended 31 March 2009

(Rupees)

	Particulars		2008-09	2007-08
(a)	**Cash flow from Operating activities**			
	Net Profit as per Profit and Loss a/c before tax		1987,53,10,864	1748,09,75,282
	Adjustment for:			
	Depreciation		21,36,41,786	21,63,06,861
	Provisions and Amortisations		18,53,69,056	53,51,25,563
	Provision for Non performing Assets		8,88,11,531	2,22,76,786
	Provision for Standard Assets		73,70,00,000	62,52,00,000
	Provision for sacrifice in interest element of Restructured Loan		(-) 8,62,00,000	(-) 12,35,00,000
	Profit / Loss on sale of Fixed Assets		(-) 7,61,670	2,05,11,318
	Interest credited to various Funds (including addition/ adjustment made to Interest Differential Fund)		61,78,34,663	64,16,48,347
	Other Expenses		0	0
	Income from Investment (including Discount Income)		(-) 1307,36,41,258	(-) 955,06,11,552
	Expenditure from various Funds		(-)20857,49,50,969	(-)1731,84,53,498
	Operating profit before changes in operating assets		**(-) 20001,75,86,017**	**(-) 745,05,20,893**
	Adjustment for net change in:			
	Current Assets		(-) 6610,57,48,689	402,13,61,457
	Current Liabilities		1110,19,36,226	710,03,19,377
	Increase / Decrease of Bonds		(-) 4996,49,24,694	(-) 191,77,45,150
	Increase / Decrease in Borrowings		(-) 1207,32,41,806	1628,56,71,289
	Increase / Decrease in Deposits		21428,30,49,166	10461,96,05,956
	Increase in Loans and Advances (Including Housing Loan & Other Advances to Staff)		(-) 16067,34,69,946	(-) 13429,94,33,700
	Cash generated from operating activities		**(-) 26344,99,85,760**	**(-) 1164,07,41,664**
	Payment of Income Tax		(-) 598,75,73,999	(-) 459,78,97,070
	Net cash flow from operating activities	**(A)**	**(-) 26943,75,59,759**	**(-) 1623,86,38,734**
(b)	**Cash flow from Investing activities**			
	Income from Investment (including Discount Income)		1307,36,41,258	955,06,11,552
	Increase / Decrease in Fixed Asset		(-) 11,17,05,555	(-) 42,28,33,123
	Increase / Decrease in Investment		(-) 431,26,76,503	(-) 559,22,13,016
	Net cash used / generated from investing activities	**(B)**	**864,92,59,200**	**353,55,65,413**
(c)	**Cash flow from financing activities.**			
	Grants / contributions received		22461,69,90,603	5303,10,94,480
	Net cash raised from financing activities	**(C)**	**22461,69,90,603**	**5303,10,94,480**
	Net increase in cash and cash equivalent (A)+(B)+(C)		(-) 3617,13,09,956	4032,80,21,159
	Cash and Cash equivalent at the beginning of the period		4525,24,14,644	492,43,93,485
	Cash and cash equivalent at the end of the period		**908,11,04,689**	**4525,24,14,644**

National Bank for Agriculture and Rural Development
Cash flow for the year ended 31 March 2009

(Rupees)

1. Cash and cash equivalent at the end of the period includes :	2008-09	2007-08
Cash in hand	21,579	[illegible]
Balance with Reserve Bank of India	169,67,69,931	[illegible]
Balances with other Banks in India	420,21,61,811	[illegible]
Remittances in Transit	185,25,16,092	[illegible]
Collateralised Borrowing and Lending Obligations	132,96,35,276	464,2[illegible]
Total	908,11,04,689	4525,24,14,644

2. Previous year's figures have been regrouped/ rearranged to conform to the current year's presentation, wherever necessary

As per our attached report of even date
Khimji Kunverji & Co
Chartered Accountants

[illegible] B. [illegible]
Partner
Mumbai
Date : June 17, 2009

S. Akbar
Chief General Manager
Accounts Department
Mumbai : June 17, [illegible]

[illegible] Chandra Sarangi
Chairman

Dr. K.G. [illegible]
Managing Director

T. Nanda Kumar
Director

Usha [illegible]
Director

V. RAMAKRISHNA RAO
CGM & Secretary

Khimji Kunverji & Co.
Chartered Accountants

Auditors' Report on Consolidated Financial Statements

To the Board of Directors
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

1 We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of **NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT** ('The Bank') and its Subsidiaries as at March 31, 2009, the Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit

2 We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatement. An audit also includes examining, on test basis, evidence supporting amounts and disclosures in financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion

3 We did not carry out the audit of financial statements of subsidiaries of the Bank. The total Assets and total Revenues in respect of these subsidiaries are Rs 53.83 crore and Rs14.79 crore respectively. The financial statements of three subsidiaries, being not audited, any adjustments to their balances could have consequential effects on the attached Consolidated Financial Statements, the impact of which is not ascertained. These financial statements have been certified by the managements of the respective subsidiary companies and have been furnished to us. In our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of the Subsidiaries in Consolidated Financial Statements is based solely on such certified financial statements

4 We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and on the basis of the separate audited/ certified financial statements of the Bank and its Subsidiaries included in the consolidated financial statements

5 We report that on the basis of the information and explanations given and on the consideration of separate audited/ certified financial statements of the Bank and its Subsidiaries and subject to our comment in para 3 above, we are of the opinion that the said consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2009,

b) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account of the consolidated results of operations of the Bank for the year ended on that date; and

c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the consolidated cash flows of the Bank for the year ended on that date

Place Mumbai
Dated: June 17, 2009

For and on behalf of
Khimji Kunverji & Co.
Chartered Accountants

Hasmukh B. Dedhia
Partner (F-033494)

National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Balance Sheet as on 31 March 2009

(Rupees)

Particulars	As on 31.03.2009	As on 31.03.2008
FUNDS AND LIABILITIES		
Capital	2500,00,00,000	2000,00,00,000
Reserve Fund and Other Reserves	9151,33,61,533	8614,18,37,839
National Rural Credit Funds	15571,00,00,000	15159,00,00,000
Funds Out of Grants received from International Agencies	154,81,78,661	170,38,44,460
Gifts Grants, Donations and Benefactions	5111,01,92,515	3967,49,29,810
Other Funds	2131,80,68,588	1518,00,64,973
Minority Interest	12,73,59,475	11,96,69,848
Deposits	52127,12,34,628	30698,81,85,462
Bonds and Debentures	23702,62,34,987	30122,04,33,900
Borrowings	3592,94,14,312	3378,34,52,818
Current Liabilities and Provisions	4281,43,94,987	3092,22,07,877
TOTAL FUNDS AND LIABILITIES	118206,84,39,686	98732,46,26,987
PROPERTY AND ASSETS		
Cash and Bank Balances	14016,72,65,778	10352,51,52,981
Investments	2974,08,29,886	2561,45,69,335
Advances	96898,23,52,501	82878,81,34,744
Fixed Assets	247,31,45,985	257,42,30,724
Other Assets	2168,48,45,536	2682,25,19,203
TOTAL PROPERTY AND ASSETS	118206,84,39,686	98732,46,26,987

As per our attached report of even date
Khimji Kunverji & Co.
Chartered Accountants

Hasmukh B. Dedhia
Partner
Mumbai
Date : June 17, 2009

S. Akbar
Chief General Manager
Accounts Department
Mumbai : June 17, 2009

Umesh Chandra Sarangi Chairman	Dr. K.G. Karmakar Managing Director	T. Nandkumar Director	Usha Thorat Director

National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended 31 March 2009

(Rupees)

Particulars	2008-09	2007-08
Income:		
Interest Received on Loans and Advances	5694,13,82,207	4518,31,32,065
Income from Investment operations	1218,59,65,570	906,66,95,489
Discount Received	92,55,15,672	51,71,40,175
Other Receipts	60,18,62,544	44,91,27,953
TOTAL INCOME	**7065,47,25,993**	**5521,60,95,682**
Expenditure:		
Interest and Financial Charges	4255,90,43,429	3152,68,04,735
Establishment and other expenses	698,69,20,566	486,19,42,059
Depreciation	21,39,95,163	21,65,89,205
Provisions	93,04,17,887	105,68,36,154
Preliminary expenses written off	-	3,83,633
TOTAL EXPENDITURE	**5069,03,77,045**	**3766,25,55,786**
Profit before Income Tax	1996,43,48,948	**1755,35,39,896**
Provision for Income Tax	676,66,13,885	562,41,27,188
Provision for Fringe Benefit Tax	3,66,35,726	3,45,27,535
Deferred Tax Asset Adjustment	(-) 80,28,25,064	(-) 41,42,86,923
Short / (Excess) provision for Income Tax in earlier years	9,397	1,43,06,538
Profit after Tax	**1396,39,15,004**	**1229,48,65,558**
Share of Profit / Loss in Subsidiaries attributable to Minority Interest	80,65,434	(-)18,93,517
Profit available for Appropriation	**1395,58,49,570**	**1229,67,59,075**
Appropriations:		
Profit as above	1395,58,49,570	1229,67,59,075
Add: Withdrawals from various funds against expenditure debited to Profit & Loss Account	48,14,80,880	30,30,87,768
Total Profit Available for Appropriation	**1443,73,30,450**	**1259,98,46,843**
Transferred to:		
Special Reserve u/s 36(I)(viii) of the Income Tax Act, 1961	340,00,00,000	320,00,00,000
National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	400,00,00,000	400,00,00,000
National Rural Credit (Stabilisation) Fund	10,00,00,000	10,00,00,000
Co-operative Development Fund	3,81,14,043	53,06,99,557
Research & Development Fund	8,76,10,683	7,48,95,872
Investment Fluctuation Reserve	42,00,00,000	25,78,45,000
Financial Inclusion Fund	18,50,00,000	5,00,00,000
Financial Inclusion Technology Fund	32,50,00,000	5,00,00,000
Farm Innovation and Promotion Fund	46,55,57,504	0
Farmers Technology Transfer Fund	31,61,42,310	25,00,00,000
Reserve Fund	509,99,05,910	408,64,06,414
Total	**1443,73,30,450**	**1259,98,46,843**

Additional Notes to Consolidated Accounts

1. Consolidation has been done pursuant to the listing agreement with stock exchange

2. Financial statements of the subsidiaries ***except*** NABARD Consultancy Services (Private) Limited are unaudited.

3. Details of the subsidiaries:

Name of the Subsidiary	Country of incorporation	Proportion of ownership
Agri Development Finance (Tamilnadu) Ltd.	India	52.10
Agri Business Finance (AP) Ltd.	India	47.82*
NABARD Financial Services Limited	India	82.41
NABARD Consultancy Pvt. Ltd.	India	100.00

* NABARD controls the Board of Directors of Agri Business Finance (AP) Ltd.and hence considered as a subsidiary

4. The financial statements of the company and its subsidiary companies are combined on a line to line basis by adding together expenses after fully eliminating intra-group balances and intra-group transactions in accordance with Accounting Standard - (AS) - 21 -"Consolidated Financial Statement"

5. Depreciation on fixed asset is provided on Written Down Value Method (WDV), at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 by Agri Development Finance (Tamilnadu) Ltd and Agri Business Finance (AP) Ltd., whereas NABARD Financial Services Ltd and NABARD consultancy services (Private) Limited has provided depreciation on fixed assets by adopting Straight Line Method (SLM) at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 on prorata basis. Thus the Accounting Policy followed by subsidiaries for depreciation are different from the Accounting Policy for depreciation followed by NABARD in the preparation of Consolidated Financial Statements. Thus out of the total depreciation of Rs.21.40 crore (21.66 crore) included in the Consolidated Financial Statement, 0.17% (0.13%) of that amount is determined based on depreciation provided by following WDV / SLM at the rates as specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956.

6. Income on foreign assignments by NABCONS is accounted on "receipt" basis. The amount of such fees receivable is not material.

7. Disclosure as required under AS – 17 "Segment Reporting" in consolidated financial statement are as under:

(Rs. crore)

	Direct Finance	Refinance	Treasury	Unallocated	Total
Revenue	2340.89 (1539.27)	3389.92 (3007.63)	1307.36 (955.06)	27.30 (19.65)	7065.47 (5521.61)
Results	123.78 (81.02)	[illegible] (1234.78)	1283.21 (894.16)	-589.43 (-444.61)	1966.43 ([illegible])
Assets	45814.35 (30837.30)	54265.45 (54058.31)	16434.04 (8950.55)	1693.00 (4886.31)	118206.84 (98732.46)
Liabilities	47711.41 (31191.72)	51039.60 (50951.52)	192.86 (167.87)	19262.97 (16421.36)	118206.84 (98732.46)
Other Items :					
Amortisation & Depreciation	0.02(0.03)	0.00(0.00)	18.18(18.18)	21.37(21.63)	39.58(39.84)
Non Cash Expenses (other than above)	9.62(25.26)	64.66(29.09)	0.46(35.35)	47.75(64.27)	122.49(154.00)

Note: There are no reportable secondary segments for the bank and its subsidiaries

8. Previous Year figures have been regrouped / rearranged wherever necessary

As per our attached report of even date
Khimji Kunverji & Co.
Chartered Accountants

Hasmukh B. Dedhia
Partner
Mumbai
Date June 17, 2009

S. Akbar
Chief General Manager
Accounts Department
Mumbai : June 17, 2009

Umesh Chandra Sarangi
Chairman

Dr. K. G. Karmakar
Managing Director

T. Nandkumar
Director

Usha Thorat
Director

V. RAMAKRISHNA RAO
CGM & Secretary

National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31 March 2009

(Rupees)

Particulars		2008-09	2007-08
(a) Cash flow from Operating activities			
Net profit as per P & L a/c before tax		1996,43,48,948	1755,35,39,896
Depreciation		21,39,95,164	21,65,89,206
Provisions and Amortisations		18,53,69,056	53,51,25,563
Provision for Non performing Assets		9,42,07,091	2,22,76,786
Provision for Standard Assets		73,70,00,000	62,52,00,000
Provision for Sacrifice in interest element of restructured loan		(-) 8,62,00,000	(-) 12,35,00,000
Interest credited to various funds		61,78,34,663	64,16,48,347
Other expenses		0	3,83,633
Income from Investment		(-)1307,40,79,660	(-)903,34,71,377
Profit / Loss on sale of Fixed Asset		(-) 7,61,799	2,05,11,318
Expenditure from various funds		(-) 20857,49,50,989	(-) 1731,84,53,498
Operating profit before working capital changes		**(-)19992,32,37,526**	**(-) 686,01,50,126**
Adjustment for net change in:			
Current Assets		(-) 6610,56,33,642	398,47,17,891
Current liabilities		1109,81,36,716	708,28,46,611
Proceeds of Bonds		(-) 4996,49,24,694	(-)191,77,45,150
Increase / Decrease in Borrowings		(-)1207,32,41,806	1628,56,71,289
Increase / Decrease in Deposits		21424,95,42,087	10461,02,50,436
Increase/Decrease in Loans and Advances		(-)16067,23,06,900	(-)13425,10,46,317
Cash generated from operating activities		**(-) 26339,16,65,765**	**(-) 1106,54,55,366**
Payment towards Income tax		(-) 601,39,55,521	(-) 463,77,13,257
Net cash flow from operating activities	**(A)**	**(-) 26940,56,21,286**	**(-) 1570,31,68,623**
(b) Cash flow from Investing activities			
Dividend paid		(-) 29,24,875	(-) 32,93,101
Income from Investment		1307,40,79,660	903,34,71,377
Increase / Decrease of Fixed Assets		(-) 11,21,48,627	(-) 42,28,66,375
Increase / Decrease in Investments		(-) 432,27,47,422	(-) 559,22,13,016
Net cash used in investing activities	**(B)**	**863,62,58,736**	**301,50,98,885**
(c) Cash flow from financing activities			
Grants / contributions received		22461,69,90,603	5303,10,94,480
Net cash raised from financing activities	**(C)**	**22461,69,90,603**	**5303,10,94,480**
Net increase in cash and cash equivalent	**(A)+(B)+(C)**	**(-) 3615,23,71,947**	**4034,30,24,742**
Cash and cash equivalent at the beginning of the period		4527,11,51,488	492,81,26,746
Cash and cash equivalent at the end of the period		**911,87,79,541**	**4527,11,51,488**

Cash and cash equivalent at the end of the period includes :	2008-09	2007-08
Cash in hand	27,285	27,338
Balance with Reserve Bank of India	173,44,35,078	3797,73,08,158
Balances with other Banks in India	420,21,61,819	107,56,48,175
Remittances in Transit	185,25,16,092	157,59,35,665
Collateralised Borrowing and Lending Obligations	132,96,39,276	464,22,32,149
Total	**911,87,79,541**	**4527,11,51,488**

As per our attached report of even date
Khimji Kunverji & Co.
Chartered Accountants

Hasmukh B. Dedhia
Partner
Mumbai
Date : June 17, 2009

S. Akbar
Chief General Manager
Accounts Department
Mumbai : June 17, 2009

Umesh Chandra Sarangi
Chairman

Dr K.G. Karmakar
Managing Director

T. Nanda Kumar
Director

Usha Thorat
Director

V. RAMAKRISHNA RAO
CGM & Secretary

MAHARASHTRA GRAMIN BANK

NANDED (MS)

MAHARASHTRA GRAMIN BANK AND EMPLOYEES SERVICE REGULATION, 2009

In exercise of powers conferred by section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Board Directors of Maharashtra Gramin Bank after consultation with the Bank of Maharashtra being the sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with previous sanction of the Central Government here by makes the following regulations namely; MAHARASHTRA GRAMIN BANK (OFFICERS AND EMPLOYEES) SERVICE REGULATIONS, 2009.

ASHOK ANNASO MAGDUM
Chairman

CHAPTER - I : PRELIMINARY

1. **SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND APPLICATION**

   i. These regulations may be called **MAHARASHTRA GRAMIN BANK OFFICERS AND EMPLOYEES SERVICE REGULATIONS, 2009**

   ii. These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

   iii. They shall apply to every Officer and Employee of the Bank.
   Provided that they shall not apply, except as otherwise provided in these regulations or to such extent as may be specifically or generally specified by the Board to

   a) a person employed temporarily on daily wages or to such person engaged on contract.

b) a person on deputation from Sponsor Bank or the Central Government or the State Government or any other organization.

2. DEFINITIONS:

In these regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context-

a) 'Act' means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976)
b) 'Appointed date' means the first day of September 1987;
c) 'Appointing Authority' means the authority prescribed in Regulations 5 (1);
d) 'Regional Manager' means an Officer holding the charge of Regional Office for the time being;
e) 'Bank' means the Maharashtra Gramin Bank established under sub-section (1) of Section 3 of the Act.
f) 'Board' means the Board of Directors of the Bank.
g) 'Branch Manager' means an Officer holding charge of the branch for the time being
h) 'Calendar Year' means the period commencing from the 1st day of January of an year and ending with 31st day of December of such year.
i) 'Competent Authority' means the Chairman in the case of Officers and the Officer designated by the Chairman in the case of employees.
j) 'duty' includes
   i. service as a probationer
   ii. period during which an Officer or Employee is on joining time
   iii. period spent on casual leave, special leave duly authorised by the Competent Authority and
   iv. period spent on training while in service.
k) 'emoluments' means the aggregate of salary and allowances, if any.
l) 'Employee' means a person appointed to any of the posts specified in Regulation 3 (a) (2) and (3) and includes such employees whose services are temporarily lent to other organizations.
m) 'Family' means and includes the spouse of the Officer or Employee (if the spouse is also not the Officer or Employee of the Bank) and Children, parents, brothers and sisters of the officer or employee wholly dependent on the Officer or employee but shall not include a legally separated spouse.
n) 'Officer' means a person appointed to any of the posts specified in Regulations 3(a) (1)
o) 'Pay' means basic pay drawn per month by the officer or employee in a pay scale including stagnation increments and any part of the emoluments which may specifically be classified as pay under these Regulations;
p) "Salary" means the aggregate of pay and dearness allowance;
q) "Sponsor Bank" means the BANK OF MAHARASHTRA and;
r) "Senior Manager" means an Officer not below the rank of Officer in Scale II holding charge of a department in Head Office.

CHAPTER - II :
CLASSIFICATION OF OFFICERS AND EMPLOYEES, APPOINTMENT, PROBATION AND TERMINATION OF SERVICE

3. CLASSIFICATIONS OFFICERS AND EMPLOYEES

(a) The Officers and Employees of the Bank shall be classified as follows:

(1) Group A - Officer Cadre:

i. Scale I
ii. Scale II
iii. Scale III

with designation in relation to any of the scales.

i. Officer
ii. Branch Manager
iii. Regional Manager
iv. Senior Manager

and such other scales or designations as may be specified by the Board from time to time with the approval of the Central Government.

(2) Group B - Clerical Cadre:
Clerical staff, namely Clerk-cum-Cashier, Clerk-cum-Typist Stenographer and such other categories as may be specified by the Board from time to time with the prior approval of the Central Government.

(3) Group C - Subordinate Cadre:
Subordinate staff, namely Messenger, messenger cum sweeper, Driver, Driver-cum-Messenger, Part-time Messenger -cum-Sweeper, Security Guard and such other categories as may be specified by the Board from time to time with the prior approval of the Central Government.

(b) Nothing in this Regulation shall be construed as requiring the Bank to have at all times all the cadres or categories of the Officers or Employees serving the Bank.

4. **Temporary Employees:**
Notwithstanding anything to the contrary contained in these Regulations, the Chairman may subject to such general or specific instructions as may be issued by the Board from time to time, engage persons in Clerical Cadre and/or Subordinate Cadre on adhoc and/or temporary basis for a period not exceeding 60 days in a year to meet any exceptional need or circumstance.
Provided that such appointments on adhoc and/or temporary basis shall be made in consultation with the Sponsor Bank.

5. **Appointment in the Bank's Service:**
1. The Chairman shall be the Appointing Authority in respect of Officers. The General Manager shall be the Appointing Authority in respect of employees.
Provided that if there is no incumbent in the post of General Manager, the Chairman shall be the Appointing Authority in respect of employee also.
2. All appointments in the Bank shall be made in accordance with the rules framed by the Central Government in terms of Section 29 of the Act save as provided in Regulation 4.
3. Every Officer or Employee on his first appointment in the service of the Bank, shall be required to produce a certificate of fitness by the medical authority as may be prescribed or recognised by the Bank.
4. (i) Disqualification - No person,
   a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living.
   or
   b) who having a spouse living, have entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post.
   Provided that the Appointing Authority may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt from the operation of this Rule.

(ii) Declaration:
Every Officer or Employee on his first appointment in the service of the Bank shall furnish a declaration about his marital status as per Schedule II.

6. **Scales of Pay and Allowances:**
The scales of pay, allowances and increments of an Officer or Employees appointed to a post in any of the Groups referred to Regulation 3 , shall be such as may be determined by the Central Government, from time to time, under sub section (1) of Section 17, of the Act.

7. **Commencement of service :**
Service of a person appointed in the Bank shall commence on the working day on which he reports for duty on a post in accordance with the terms and conditions of the offer of appointment made to him.
Provided that in the event of his joining in the afternoon of such working day, he shall not be entitled to draw pay and allowances for that day.

8. **Probation :**
i. an Officer directly appointed in Scale I shall be on probation for a period of two years, which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding one year.

ii. An employee promoted to a post in Scale I of Officer Cadre shall be on probation for a period of one year which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding Six months.

iii. An Officer promoted in higher scale shall be on probation for a period of one year which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding six months.

iv. (a) An employee directly appointed in Clerical or Subordinate Cadre shall be on probation for a period of one year which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding six months.

(b) An employee in Subardinate Cadre promoted to a post in Clerical Cadre shall be on probation for a period of six months which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding three months.

v. Probation period in case of an Officer or Employee shall be liable to be extended within the permissible limits to the extent of extra ordinary leave availed of by him or if in the opinion of Appointing Authority his performance was dissatisfactory during such period.

9. Confirmation :

i. An Officer or Employee shall be confirmed in the Bank's service if in the opinion of the Appointing Authority, the Officer or Employee has satisfactorily completed his probation.

ii. Where during the period of probation, including the period of extension of probation, if any, the Appointing Authority is of the opinion that the Officer or Employee is not fit for confirmation in the said post:

(a) In the case of a directly appointed Officer or Employee his services may be terminated after giving one month's notice or pay in lieu thereof.

(b) In the case of an Officer or Employee promoted from the Bank's service he may be reverted to the post from which he was promoted.

10. Termination of Service by Notice :

1. (a) No Officer or Employee shall leave or discontinue his service in the Bank without first giving notice in writing to the Appointing Authority of his intention to leave or discontinue his service or resign.

(b) The period of notice required shall be:

i. Three months in the case of an Officer and

ii. One month in the case of an Employee

(c) In case of breach by an Officer or Employee of sub-regulation (1) (b) he shall be liable to pay to the Bank as compensation, a sum equal to his pay for the period of notice required of him.

2. Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-regulation (1) an Officer or Employee against whom disciplinary proceedings are pending, shall not leave, discontinue or resign from his service in the Bank without the priar approval in writing of the Appointing Authority and any notice of resignation given by such Officer or Employee before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority

Explanation:

Disciplinary Proceeding shall be deemed to be pending against an Officer or Employee for the purpose of this Regulation if he has been placed under suspension or any notice has been issued to him to show-cause why disciplinary proceedings should not be instituted against him until final orders are passed by the Competent Authority.

11. Superannuation and Retirement:

1. (i) An Officer or Employee shall retire on completion of 60 years of age:

Provided that the Chairman may at his discretion, on recommendation by the Special Review Committee as provided hereinafter in Sub-Regulation (2) retire an Officer or Employee at any time after completion of the 55 years of age or after the completion of 30 years of the total service in the Bank whichever is earlier.

Provided further that no Officer or Employee shall be retired under this Sub Regulation unless notice in writing has been served on him at least three months in case of an Officer and one month in case of an Employee in advance or an amount equivalent to three month's pay in case of an Officer and one month's pay in case of an Employee shall be given to such Officer or Employee in lieu thereof.

Provided also that an Officer or Employee aggrieved by the order of the Chairman, as provided in Sub Regulation (2), may within one month of the passing of the order give in writing a representation to the Board against the decision of the Chairman and on receipt of such representation the Board shall take a decision within a period of three months. Where the Board decides that the order passed by the Chairman is not justified, the concerned Officer or Employee shall be reinstated as if the Chairman had not passed the order.

2. The Chairman shall constitute a Special Review Committee consisting of not less than three members of the Board to review whether an Officer or Employee should be retired in accordance with the Sub-Regulation (1) Such Committee shall from time to time, review the case of each of such Officer or Employees and make recommendations to the Chairman.

Explanation:
For the purpose of this Regulation, the Officer or Employee whose date of birth is first day of month will retire on superannuation on the last day of the previous month on which he completes the age of superannuation. The Officer or Employee who attains the age of superannuation on a day other than the first day during a calendar month shall retire on the last day of that month.

CHAPTER - III :

RECORD OF SERVICE, SENIORITY, PROMOTION AND REVERSION

12. Record of Service:
A record of service shall be maintained by the Bank in respect of each Officer or Employee at such place or places and shall be kept in such form and shall contain such information as may be specified from time to time by the Bank.

13. Seniority:

i. The Bank shall maintain separate seniority lists for each cadre of Officer or Employee an category-wise seniority lists within a cadre, subject to the provisions of Sub-Regulations (3), (4),(5) & (6) and such instructions and guidelines as may be issued by the Board from time to time.

ii. The seniority lists shall be reviewed and updated at such intervals as may be decided by the Bank and circulated amongst the Officers or Employees as the case may be.

iii. (a) The seniority of promotee Officer or Employees in a cadre or scale shall be reckoned with reference to the date of his appointment in that cadre or scale.
(b) Where there are two or more promotee Officers or Employees of the same length of service in that cadre or scale, their inter-se-seniority shall be reckoned with reference to their seniority in the immediately preceding cadre or scale.
(c) Where there are two or more promotee Officers or Employees having the same length of service in such preceding cadre or scale, their seniority shall be determined with reference to their seniority in the immediately preceding cadre or scale as the case may be.

iv. The inter-se-seniority of the erstwhile Field Officers or Accountants vis-a-vis the Branch Managers who were in the service of the Bank on the date on which the revised pay scales circulated by the Ministry of Finance Department of Economic Affairs, Banking Division, New Delhi letter No. F. 2/17/79-RRB dated the 29 April 1980 are adopted by the Bank, may be so reckoned that all erstwhile Field Officers and / or Accountants rank junior to all the then existing Branch Managers.
Provided that the inter-se seniority of Officers or Employees amongst themselves within a cadre or scale as existing immediately prior to the government letter No. 11-3/90-RRB (I) dated 22 February 1991 shall remain the same.

v. The inter-se seniority of Officer or Employees directly recruited in a batch to any cadre or scale shall be reckoned with reference to the rank allotted to them at the time of their selection.
Provided that if Officers or Employees recruited under the general or reserved categories are allotted to Bank the inter-se-seniority amongst the candidates so allotted who joined on the same date shall be determined in accordance with the marks obtained by such candidates without adding notional marks for the reserved category.

14. Promotion:
All promotions shall be made at the discretion of the Bank and no Officer or Employee shall claim as a matter or right to be promoted to any post or cadre
Provided that promotions of officers or Employees in the Bank shall be made in accordance with the rules framed by the Central Government in terms of Section 29 of the Act.

15. Reversion:
An Officer or Employee who has been appointed to officiate in a higher cadre or scale or where confirmation in a higher cadre or scale is subject to the undergoing probation for any specific period or otherwise shall be liable to be reverted without notice at any time where he is so officiating or undergoing probation.

CHAPTER - IV :
CONDUCT, DISCIPLINE AND APPEALS

16. **Scope of an Officer's or Employee's service:**
Every Officer or Employee shall be a whole time Officer or Employee of the Bank and shall be at the disposal of the Bank; and he shall serve the Bank in its business in such capacity and at such place as he may, from time to time, be directed by any person or persons under whose jurisdiction, superintendence or control he may for the time being, be placed.

17. **Liability to abide by the regulations and orders:**
Every Officer or Employee of the Bank shall conform to and abide by these Regulations and shall also observe, comply with and obey all orders and directions which may from time to time, be given to him by any person or persons under whose jurisdiction, superintendence or control he may, for the time being, be placed.

18. **Obligation to maintain secrecy:**
Every Officer or Employee shall maintain the strict secrecy regarding the Banks affairs of its constituents and shall not divulge, directly or indirectly, any information of a confidential nature either to a member of the public or to the Bank's staff unless compelled to do so by judicial or other authority or unless instructed to do so by a superior Officer in the discharge of his duties. To signify this every staff shall subscribe to a declaration in Schedule No. I.

19. **Obligation to promote Bank's interest:**
Every Officer or Employee shall serve the Bank honestly and faithfully and shall use his utmost endeavor to promote the interests of the Bank and shall show courtesy and attention in all transactions and dealings with Officers of Government, the Bank's constituents and customers.

20. **Contribution to Press, Radio etc. :**
No Officer or Employee shall contribute to the press or radio or television etc., anything relating to the affairs of the Bank without the prior sanction of the Competent Authority or without such sanction make public or publish any document, paper or information which may come into his possession in his official capacity.

21. **Officer or Employee not to seek outside employment or business or to promote family business.**
No Officer or Employee shall accept, solicit or seek any outside activity, employment or office, whether stipendiary or honorary without the previous sanction of the competent authority.
Provided that an Officer or Employee may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic, scientific, professional, cultural, educational, religious or social character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer.
Provided further that he shall not undertake or shall discontinue such work if so directed by the Competent Authority :

Explanation:

i. Every Officer or Employee shall report to the Bank if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages insurance agency or commission agency.

ii. Canvassing by an Officer or Employee in support of the business of insurance agency or commission agency owned or managed by a member of his family shall be deemed to be a breach of this Sub-Regulation.

iii. No Officer or Employee shall, without the previous sanction of the Bank, except in the discharge of his official duties, take part in the registration, promotion or management of any Bank of other company which is required to be registered under the Companies Act 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force or ony cooperative society for commercial purposes.
Provided that an Officer or an Employee may take part in registration promotion or management of a cooperative society registered under the cooperative Societies Act 1912(2 of 1912) or any other law for the time being in force, or of a liferary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any corresponding law in farce.

iv. No Officer or Employee shall accept any fee for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the Competent Authority.

22. **Officer or employee not be absent from duty without permission or be late in attendance :**

i. An Officer or Employee shall not absent himself from his duties without having obtained the permission of the Competent Authority, nor shall be absent himself in case of sickness or accident without submitting a proper medical certificate.

ii. An Officer or Employee who absents himself from duty without leave or overstays his leave, shall not be entitled to draw any pay and allowances for the period of such absence or overstayal, and shall be liable to such disciplinary measure as the Competent Authority may impose.
Provided that the Competent Authority may condone such absence or overstayal if he is satisfied that the Officer or Employee has remain absent or overstayal his leave under circumstances beyond his contral and direct that such absence or overstayal be regularised by admissible leave.

23. Absence from station:
An Officer or Employee shall not absent himself from his headquarters overnight without obtaining previous sanction from the Chairman, if he holds the charge of a Branch or the Officer-in-charge or Branch Manager, in other cases.

24. Prohibition to accept gifts and dowry:
i. An Officer or Employee shall not solicit or accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift from a constituent of the Bank or from any subordinate officer or employee.
ii. No Officer or Employee shall
(a) give or take or abet the giving or taking of dowry
or
(b) demand directly or indirectly from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be any dowry.

Explanation:
For the purpose of this Regulation, dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961)

25. Speculation in stocks, shares etc.
An Officer or employee shall not speculate in stocks, shares, securities of any institution or commodities of any description
Provided that nothing in this Regulation shall be deemed to prohibit and Officer or Employee from making a *bonafide* investment of his own funds in such manner as he may wish.
Explanation:
Frequent purchase or sale of stocks, shares or securities of any institution or commodities of any description shall be deemed to be speculation for the purpose of this Regulation.

26. Restrictions on lending borrowings and investments:
No Officer or Employee shall, in his individual capacity;
i. borrow or permit any member of his family to borrow or otherwise place himself or a member of his family under a pecuniary obligation to a broker or a money lender or a subordinate officer or employee or any person, association of persons, firms, company or institution, whether incorporated or not having dealings with the Bank;
ii. buy or sell stocks, shares or securities of any description without funds to meet the full cost in the case of a purchase of scrip or delivery in the case of a sale;
iii. incur a debt at a race meeting.
iv. lend money in private capacity to a constituent of the Bank or have personal dealings with such constituent in the purchase or sale of bills of exchange, Government paper or any other securities and
v. guarantee in private capacity the pecuniary obligations of another person or agree to indemnify in such capacity another person from loss except with the previous permission of the Competent Authority;
Provided that an Officer of Employees may give to or accept from a relative or personal friend a purely temporary loan of a small amount free of interest or operate a credit account with a *bonafide* tradesman or make an advance of pay to his private employee:
Provided further that an Officer or Employee may obtain a loan from a cooperative credit society of which he is a member or stand as surety in respect of a loan taken by another member from a cooperative credit society of which he is a member.

(2) An Officer or Employee shall so manage his private affairs to avoid insolvency or habitual indebtedness. An Officer or Employee who in debt shall furnish to the Competent Authority a signed statement of his position half yearly on the 30th June and 31st December and shall indicate in the statement the steps he is taking to rectify his position. An Officer or Employee who makes a false statement under this Rule or who fails to submit the prescribed statement or appears unable to liquidate his debts within a reasonable time or applies for the protection of an insolvency court shall be liable to dismissal.
Explanation 1: For the purpose of this Rule an Officer or Employee shall be deemed to be in debt if his total liabilities, exclusive of those which are fully secured, exceed his substantive pay for twelve months.

'**Explanation 2:** An Officer or Employee shall be deemed to be unable to liquidate his debts within a reasonable time if it appears, having regard to his personal resources and unavoidable current expenses, that he will not cease to be in debt within a period of two years.

27. **Movable, Immovable and Valuable property.**

(1) Every Officer on his first appointment shall submit or return of his assets and liabilities giving full particulars regarding.

(a) the immovable property, inherited by him or owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage, either in his name or in the name of any member of his family;

(b) Shares, debentures and cash including Bank deposits inherited by him or similarly owned or acquired or held by him;

(c) other movable property inherited by him or similarly owned or acquired or held by him; and

(d) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly:

Provided that in case of an Officer who is already in service in the Bank on the date of these Regulations come into force, shall submit a return in term of these Regulation within three months of coming into force of these Regulations, the return being with reference to the assets and liabilities as enumerated above, of the Officer on the date on these Regulations come into force.

(2) Every Officer shall submit a return of the immovable/ movable property to the Bank as on 31st March of each year before 30th April of that year.

(3) No Officer shall except with the prior intimation to the competent Authority acquire of dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or other wise either in his own name or in the name of any member of his family.

Provided that the previous sanction of the competent Authority shall be obtained by the Officer if any such transaction is;

(a) with a person having official dealings with the officer;

(b) otherwise than through a regular or reputed dealer.

(4) Every Officer shall report to the Competent Authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in him name or in the name of a member of his family if the value of such property exceeds Rs.10,000/-.

Provided that the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained if any such transaction is';

1. with a person having official dealing with the officer,
   or
2. otherwise than through a regular of reputed dealer.

(5) Notwithstanding anything contained in the forgoing Sub Regulation the Competent Authority may at any time, by general or special order, require an Officer or Employee to furnish within a period to be specified in the order a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order and such statement, if so required by the Bank, include the details of the means by which or the sources from which such property was acquired.

28. **Restrictions regarding marriage:**

(1) (i) No Officer or Employee shall enter into, or contract, a marriage with a person having a spouse living.

(ii) No Officer or Employee, having a spouse living, shall enter into or contract, a marriage with any person.

Provided that the Competent Authority may permit an Officer or Employee to enter into or contract, any such marriage as referred to in clause (i) or clause (ii) if it is satisfied that:

(a) Such Marriage is permissible under the personal law applicable to such Officer or Employee and the other party to the marriage; and

(b) there are other grounds for so doing.

(2) An Officer or Employee who has married, or marries, a person other than of Indian nationality shall forthwith intimate the fact to the Bank.

29. **Officer or Employee arrested for debt or on a criminal charge.**

(1) An Officer or Employee who is arrested for debt or on a criminal charge or is detained in pursuance of any process of law, may , if so directed by the Competent Authority, be treated as being or having been under suspension from the date of his arrest., or as the case may be, of his detention, upto such date or during such period as the Competent Authority may direct:

Provided that in respect of the period in regard to which he is so treated he shall be paid subsistence allowances as specified in Regulation 45.

(2) Any payment made to an Officer or Employee under Sub Regulation (1) shall be subject to adjustment of his pay and allowances which shall be made according to the

circumstances of the case and in the light of the decision as to whether such period is to be accounted for as a period of duty or leave;

Provided that full pay and allowances shall be admissible only if the Officer or Employee,

(a) is treated as on duty during such period, and

(b) is acquitted of all charges or satisfies the Competent Authority, in case of his release from detention or his detention being set aside by the Competent Court, that he had not been guilty of improper conduct resulting in his detention.

(3).(a) An Officer or Employee shall be liable to dismissal or to any of the other penalties referred to in Regulation 38, if he is committed to prison for debt or is convicted of an offence which in the opinion of the competent authority, either involves moral turpitude, or has a bearing on any of the affairs of the Bank or on the discharge by the Officer or Employee of his duties in the Bank, the opinion in this respect of the Competent Authority shall be conclusive and binding on the Officer or Employee.

(b) Such dismissal or other penalty may be imposed as from the date of his committal to prison or conviction and nothing in Regulation 38 shall apply to such imposition.

(4).Where an Officer or Employee has been dismissed in pursuance of Sub-Regulation(3) and the relative conviction is set aside by a higher court and the officer or employee is honourably acquitted, he shall be reinstated in service.

(5).Where the absence of an Officer or Employee from duty is without leave or his overstayal is due to his having been arrested for debt or on criminal charge or to his having been detained in pursuance or any process of law, the provisions of Regulation 22 shall also apply, and for the purpose of that Regulation as so applied, the Officer or Employee shall be treated as having absented himself without leave or as the case may be, overstayed otherwise than under circumstances beyond his control.

30. **Prohibition against participation in politics and contesting elections**

No Officer or Employee shall take an active part in politics or in any political demonstration or contest election as member for a Municipal Council, Zilla Parishad, District Board or any other local or Legislative body.

31. **Prohibition against joining certain association, strikes etc.**

(1) No Officer who is not a 'workman' within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 shall,

(a) become or continue be a member or office bearer of, or be otherwise directly or indirectly associated with, any trade union of the employees of the Bank who are 'workman within the meaning of the Act, or a federation of such trade unions.

(b) resort to, or in any way abet, any form of strike or participate in any violent, unseemly or indecent demonstration in connection with any matter pertaining to his conditions of service or the conditions of the service of any other employees of the Bank.

(2) In relation to any employee who officiates in a grade or post which is not a grade or post of a 'workman' as aforesaid, this Regulation shall also apply so long as such employee officiates in such higher grade or post.

(3) No employee shall join or continue to be a member of an association, the objects or activities of which are prejudicial to the interest of sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign States, public order, defamation or incitement to offence.

32. **Giving evidence:**

(i) No Officer or Employee shall, except with the previous approval of the Competent Authority, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority.

(ii) Where any approval has been accorded under Sub-regulation (i) no Officer or Employee giving such evidence shall criticise the policy or any action of the Central government or of State Government or of the Bank.

33. **Function in honour of officer or employee:**

(i) No Officer or Employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honour or in the honour or in the honour of any other Officer & Employee.

Provided that nothing in this Sub-Regulation shall apply to:

(a) A farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honour of the Officer or Employee or an other Officer or Employees on the occasion of his retirement or transfer or any person who has recently quit the service of the Bank and

(b) The acceptance of simple and inexpensive entertainment arranged by association of Officer or Employees

(ii) (a) No officer or Employee shall either directly or indirectly exercise pressure or influence on any Officer or Employee to induce or compel him to subscribe towards any farewell entertainment.

(b) No Officer or Employee shall collect subscription for farewell entertainment from any intermediate or lower grade officer or Employee for the entertainment of any Officer or Employee belonging to any higher grade.

34. Canvassing:
No Officer or Employee shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service in the Bank.

35. Subscriptions:
No Officer or Employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, ask for or accept contributions or otherwise associate himself with the raising of any funds or other collections in cash or in kind from constituents or customers in pursuance of any objective whatsoever.

36. Consumption of intoxicating materials:
An Officer or Employee shall:
(a) Strictly abide by any law relating intoxicating drink, drugs or other materials in force in any area in which he may happen to be for the time being;
(b) not be under the influence of any intoxicating drinks, drugs or other materials during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drinks, drugs or materials.
(c) refrain from consuming any intoxicating drinks, drugs or other materials in a public place.
(d) not appear in a public place, in a state of intoxication.

Explanation:
For, the purpose of this Regulation "public place" means any place or premises (including clubs, even exclusively meant for members where it is permissible for the members to invite non-members as guests, bars and restaurants) to which the public have or are permitted to have access, whether on payment or otherwise.

37. Sexual harassment:
No Officer employee shall commit any act of sexual harassment of women at work place.
Explanation:
For the purpose of this Regulation 'sexual harassment' includes such unwelcome sexually determined behavior, whether directly or otherwise as;
(a) Physical contact and advances
(b) Demand or request for sexual favours
(c) Sexually coloured remarks
(d) showing any pornography or
(e) Any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.

38. Penalties:
Without prejudice to foregoing Regulations of this Chapter an Officer or Employee who commits a breach of these Regulations or who displays negligence, in efficiency or indolence or who commits acts detrimental to the interests of the Bank or in conflict with its instructions, or who commits a breach of discipline or is guilty of any other acts of misconduct, shall be liable for any one or more penalties as prescribed hereinafter.

I) **Officers:**

(a) Minor Penalties;
(i) Censure
(ii) Withholding or stoppage of increments of pay with or without cumulative effect.
(iii) Withholding of promotion

(b) Major Penalties;
(i) Recovery from emoluments of such other amounts as may be due to him, of the whole of part of any pecuniary loss caused to the Bank by negligence or breach of orders.
(ii) Reduction to a lower grade or post, or to a lower scale in a time scale.
(iii) Compulsory retirement
(iv) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment.
(v) Dismissal

Explanation:
The following shall not amount to a penalty within the meaning of this Regulations;

(i) With holding of one or more increments of an Officer on account of his failure to pass a prescribed departmental test or examination in accordance with the terms of appointment to the post which he holds.

(ii) Stoppage of increment(s) of an Officer at the efficiency bar in a time scale, on the grounds of his unfitness to cross the bar.

(iii) not giving an officiating assignment or non-promotion of an Officer to a higher grade or post for which he may be eligible for consideration, but for which he is found unsuitable after consideration of his case.

(iv) reserving or postponing the promotion of an Officer for reasons like completion of certain requirement for promotion or pendency of disciplinary proceedings.

(v) reversion to a lower grade or post of an Officer officiating in a higher grade or post, on the ground that he is considered, after trial, to be unsuitable for such higher grade or post, or on administrative grounds unconnected with his conduct.

(vi) reversian to the previous grade or post of an Officer appointed on probation to another grade or post during or at the end of the period of probation, in accordance with the terms of his appointment or rules, or orders governing such probation.

(vii) reversion of an Officer on deputation to his parent organization

(viii) termination of service of an Officer:

a) appointed in a temporary capacity otherwise than under a contract or agreement on the expiration of the period for which he was appointed, or earlier in accordance with the terms of his appointment.

b) appointed under a contract or agreement, in accordance with the terms of such contract or agreement, and

c) as part of retrenchment

Provided that where it is proposed to impose any of the minor penalties specified in sub-clauses (i) to (iii) of clause I of this Regulation, the Officer concerned shall be informed in writing of the imputations of lapses against him and given an opportunity to submit his written statement of defense within a specified period not exceeding 15 days or such extended period as may be granted by the Competent Authority and the defense statement, if any, submitted by the Officer shall be taken into consideration by the Competent Authority before passing orders:

Provided further that no order imposing any of the major penalties specified above shall be made except by an order in writing signed by the Competent Authority and no such order shall be passed without the charge or charges being formulated in writing and given to the officer and enquiry held so that he shall have reasonable opportunity to answer the charge or charges and defend himself;

Provided also that an enquiry need not be held if:

(i) the misconduct in such cases even if proved, the Bank does not intend to impose the punishment of removal or dismissal; and

(ii) the Bank has issued a show cause notice to the officer advising him of the misconduct and the punishment for which he may be liable for such misconduct; and

(iii) the officer makes a voluntary admission of his guilt in his reply to the aforesaid show cause notice.

II. Employees:

(a) Penalties for minor misconduct;

(i) Censure

(ii) recording of adverse remarks against him.

(iii) withholding of increments for a period not exceeding 6 months

(b) Penalties for major misconduct;

(i) fine

(ii) withholding of increment (s)

(iii) withdrawal of special allowance

(iv) reduction of pay to next lower stage upto a maximum period of 2 years in case the staff has reached the maximum in the scale of pay.

(v) removal from service which shall not be a disqualification for future employment.

(vi) Dismissal

Provided further that no order imposing any of the penalties specified above for major misconduct shall be made except by an order in writing signed by the Competent Authority and no such order shall be passed without the charge or charges being formulated in writing and given to the employee and enquiry held so that he shall have reasonable opportunity to answer the charge or charges and defend himself;

Provided further that an enquiry need not be held if:

(i) the misconduct is such that even if proved, the Bank does not intend to impose the punishment of removal or dismissal; and

(ii) the Bank has issued a show cause notice to the employee advising him of the misconduct and the punishment for which he may be liable for such misconduct; and

(iii) the employee makes a voluntary admission of his guilt in his reply to the aforesaid show cause notice.

39. Waiver of the procedure:

The requirement of Regulation 38 may be waived by the Competent Authority

(a) if the facts on the basis of which penalty is to be imposed on the Officer or employee have been established in the court of Law or Court Martial; or

(b) where the Officer or Employee has been convicted on a criminal charge; or

(c) where the Officer or Employee has been absconding; or

(d) where it is for any other reason impracticable to communicate with him; or

(e) where it is reasonably not practicable to observe the procedure prescribed under Regulation 38.

Provided that no requirements of Regulation 38 may be waived unless reasons for doing so are recorded in writing and placed before the board

40. Delegation of power to enquire:

The enquiry under Regulation 38 and the procedure with the exception of final order may be delegated by the Competent Authority to an Officer who is senior to the Officer against whom the proceedings are instituted and in the case of an Employee to any Officer.

Provided that the Competent Authority may, in his discretion, nominate any Officer working in the Bank, including those deputed from other institutions, to conducts the enquiry.

41. Common enquiry:

Notwithstanding anything contained in these Regulations, if two Officers in different grades or an Officer and an Employee are involved jointly in an incident and disciplinary proceedings are sought to be instituted against both of them and the Chairman is of the opinion that having regard to the facts and circumstances of the case, the Competent Authority in respect of both the Officer and Employee should be the same, the Chairman may direct that the competent Authority in respect of the Officer shall be the Competent Authority in respect of both the Officer and employee involved and a common enquiry shall be held into the charges against both of them and the delegation of power to enquire under Regulation 40 and the procedure, with the exception of the final order shall be in favour of the same enquiry officer.

42. Corrupt Practices:

Notwithstanding anything contained in these Regulations, the following provisions shall apply where it is alleged that an Officer or Employee has been guilty of corrupt practices, namely;

i. Where it is alleged that an Officer or Employee is possessed of disproportionate assets or that he has committed and act of criminal misconduct or where the investigation and proof of the allegation would require the evidence of persons who are not Officers or Employees of the Bank or where, in the opinion of the Chairman, the investigation into the allegations cannot be conveniently undertaken by the Bank, the investigation into the allegation may be entrusted to the Central Bureau of Investigation or the Central Vigilance Commission or such other Authority as may be approved by the Chairman.

ii. If after considering the report of the investigation, the Competent Authority is satisfied that there is a prima facie case of instituting disciplinary proceedings against the Officer or Employee, he may send the investigation report to the Central Vigilance Commission or such other Authority as may be decided by the Chairman from time to time in this behalf, for its advice whether disciplinary proceedings should be taken up against the Officer or Employee concerned.

iii. If after considering the advice of the Central Vigilance Commission or such other Authority as the case may be, the Competent Authority is of the opinion that disciplinary proceedings should be instituted against the employee concerned, then the enquiry under this Regulation may be entrusted to a Commissioner for Departmental Enquiries or any other person who may be nominated by the Central Vigilance Commission for this purpose.

iv. The Enquiry Officer shall submit his report to the Competent Authority and the report shall be forwarded by the Competent Authority to the Central Vigilance Commission for its advice as to whether the charge or charges, as the case may be, can be considered to have been established and the penalty or penalties to be imposed under Regulation 38. The penalty or penalties to be imposed shall be decided by the Competent Authority after considering the advice of the Central Vigilance Commission.

Explanation: An Officer or Employee shall be deemed to be guilty of corrupt practices if he has committed an act of criminal misconduct as defined in Sections 13,14,15 and 16 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or he has acted for an improper purpose or in a corrupt manner or had exercised or refrained from exercising his powers with an improper or corrupt motive.

43. Restriction on engagement of a Legal Practitioner:

For the purpose of enquiry, the Officer or Employee shall not engage a legal practitioner without prior permission of the Competent Authority.

44. Disciplinary proceedings after retirement:

An Officer or Employee under suspension of a charge of misconduct who attains the age of superannuation, shall be deemed to be in service even after the age of superannuation for the specific purpose of continuation and conclusion of the disciplinary proceedings and issue of final orders thereon. Such suspended Officer or Employee shall not be eligible for any subsistence allowance for the period beyond the date of superannuation.

The Officer of Employee against whom disciplinary proceedings have been initiated will cease to be in service on the date of superannuation but the disciplinary praceedings will continue as if he was in service until the proceedings are concluded and final order is passed in respect thereof. The concerned Officer or Employee will not receive any pay and / or allowances after the date of superannuation. He will also not be entitled for the payment of retirement benefits till the proceedings and completed and final order is passed thereon except his own contribution to CPF.

Explanation: The normal retirement benefit such as encashment of privilege leave and Gratuity should be withheld till the completion of the disciplinary proceedings and passing of final order by the Competent Authority. The release of benefits would be as per the final order of the said Authority.

45. Suspension:

An Officer or Employee may be placed under suspension by the Competent Authority. During such suspension the Officer or Employee shall be entitled for subsistence allowance as under:

1. **In Case of an Officer:**

(A) Basic Pay:

i. For the first three months of suspension 1/3rd of the basic pay which the Officer was drawing on the date prior to the date of suspension irrespective of the nature of enquiry.

ii. For the subsequent period,

(a) Where the enquiry is held departmentally by the Bank 1/2 of the basic pay the Officer was drawing on the date prior to the date of suspension.

(b) Where the enquiry is held by an outside agency 1/3rd of the basic pay for the next three months and one half of the remaining period of suspension.

B) Allowances:

For the entire period of suspension, dearness allowances and other allowances excepting special allowance, if any, will be calculated on the reduced pay as specified in terms of (i) and (ii) of clause (A) at the prevailing rates or at rates applicable to similar category of Officers.

2. **In Case of an Employee:**

(A) Basic Pay:

i. For the first three months of suspension 1/3rd of the basic pay which the employee was drawing on the date prior to the date of suspension irrespective of the nature of enquiry

ii. For the subsequent period,

(a) Where the enquiry is held departmentally by the Bank 1/2 of the basic pay the Employee was drawing on the date prior to the date of suspension.

(b) After one year, full pay if the departmental enquiry is not delayed for reasons attributable to the concerned employee or any of his representative(s).

(c) Where the enquiry is done by an outside agency and the said agency has come to the conclusion not to prosecute the employee, full pay will be payable after six months from the date of receipt of report of such agency or one year after suspension, whichever is later, and in the event the enquiry is not delayed for reasons attributable to the employee or any of his representative(s).

(B) Allowances

For the entire period of suspension dearness allowances and other allowances excepting special allowance, if any, will be calculated on the reduced pay as specified in terms of Sub-clauses (i) and (ii) (a) of Clause (A) at the prevailing rates or at rates applicable to similar category of employees.

Provided that no Officer or Employee shall be entitled to receive payment of subsistence allowance unless he furnishes a declaration that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation;

Provided further that if during the period of suspension an employee retired by reason of his attaining the age of superannuation, no subsistence allowance shall be paid to him from the date of his retirement.

46. Treatment of suspension period and allied matters:

The Competent Authority may, while imposing penalty also direct whether the Officer or Employee shall be paid the difference between the subsistence allowance and the emoluments which he would have received but for such, suspension, for the period he was under suspension and that, if the Competent Authority decides otherwise, no order shall be passed which shall have the effect of compelling the Officer or Employee to refund such subsistence allowance. The period during which an Officer or Employee is under suspension shall, if he is not removed/ dismissed from the services be treated as period spent on duty or otherwise as the Competent Authority may direct.

47. Right to Appeal:

(i) An Officer or Employee shall have right to appeal against any order passed under these Regulations which injuriously affects his interest.

(ii) The appeal shall be preferred to the Appellate Authority mentioned in Regulation 48 within 45 days of the date of receipt of the order appealed against. The Appellate Authority shall consider the appeal and pass suitable order preferably within a period of 6 months.

48. Appellate Authorities:

An Appeal shall lie;

i) to the Board where the Chairman or Committee of Directors is the Competent Authority.

ii) to the chairman where any other Officer is the Competent Authority.

49. Requirement of an Appeal:

Every appeal shall comply with the following requirements:

a) it shall be in writing and couched in polite and respectful language and shall be free from unnecessary padding or superfluous verbiage.

b) it shall contain all material statements and arguments relief on and shall be complete in itself.

c) it shall specify the relief desired.

d) it shall not be addressed to directors personally.

CHAPTER - V :
PAY AND ALLOWANCES

50. When accrue and payable:

Subject to the provisions of these Regulations pay and allowances shall accrue from the commencement of the service of an Officer or Employee and shall become payable on the last working day of the each month in respect of the service performed during the said month.

51. When Ceases:

i. Pay and allowances shall cease to accrue as soon as an Officer or Employee ceases to be in service.

ii. In case of an Officer or Employee dismissed from the Bank's service, the pay and allowances shall cease from the date of dismissal.

iii. In the case of an Officer or Employee who dies while in service, the pay and allowances shall cease from the day following that on which the death occurs.

52. Increments:

In a scale, the increment shall accrue on the completion of each specified period of service on each stage of that scale, whether such service be probationary, officiating or substantive

Provided that an Officer or Employee shall draw increment on the first day of the month in which it falls due irrespective of the actual date of its accrual.

CHAPTER - VI :
LEAVE AND JOINING TIME

53 Kinds of Leave:

Subject to the provisions of these Regulations an Officer or Employee may be eligible for the following kinds for leave;

i. Casual Leave

ii. Privilege Leave

iii. Sick Leave & additional sick leave
iv. Extraordinary Leave
v. Special Casual Leove and Special Leave
vi. Maternity & Paternity Leave

54. Authorities empowered to grant leave:

The power to grant leave shall vest in the Competent Authority.

55. Power to refuse leave or recall an Officer or Employee on leave:

i. Leave cannot be claimed as a right, When exigencies of the service so require, discretion to refuse or revoke leave of any descriptlan is reserved to the Competent Authority.

ii. An officer or Employee on leave may be recalled to duty by the Competent Authority whenever the Bank deems fit to do so;

Provided that if the Officer or Employee is at that time out af headquarters, he shall be eligible to be paid the actual expenses incurred by him and the members af his family for returning to the headquarters.

56. Place of reporting on return from leove:

An Officer or Employee an leave shall, unless otherwise instructed to the contrary, retum for duty to the place where he was posted before proceeding an leave.

57. Leave not admissible for an Officer or Employee placed under suspension:

No leave shall be granted to an officer or Employee under suspension.

58. Casual leave:

1. An Officer or employee shall be eligible for casual leave on full emoluments for 12 working days in a calendar year.

Provided that not more than four days casual leave may be availed of at any one time and

Provided further holidays & Sundays may not be combined with such leave in such a manner as to increase the absence at any one time beyond six days.

2. Casual leave to an Officer or Employee during the first calendar year of his service shall be admissible on a pro-rata basis at the rate of one day for each completed manth or part thereof.

3. (a) Casual leave not availed of in a calendar year may be suffixed or prefixed to sick leave in the following year in respect of an Officer.

(b) Casual leave not availed of in calendar year may be converted into Sick leave on full substantive pay in respect of employees. Such sick leave shall be in addition to the eligible sick leave limits prescribed in Regulation 60.

4. Casual leave may not be granted in combination with any other kind of leave, except as provided under sub-regulation (3) (a) above, special casual leave under Regulatian 62 and maternity leave under Regulation 63.

59. Privilege Leave:

(a) Scole on which privilege is earned :

1. An Officer ar Employee shall be eligible for privilege leave computed at one day for every 11 days of service on duty;
2. Provided that at the commencement of service no privilege leave may be availed of, before completion of 11 months of service on duty.
3. The period of privilege leave to which an Officer or Employee is entitled at any time shall be the period which he has earned less the period availed of.
4. An Officer or Employee on privilege leave shall be entitled to full emoluments for the period of leave.
5. Privilege leave may be accumulated upto 31st December 1989 far an aggregate period upto 180 days and from 1st January 1990, the privilege leave may be accumulated upto not more than 240 days.

(b) When application should be submitted :

i. Application for privilege leave shall be submitted by an Officer or Employee one month before the date from which leave is required.
ii. Application which does not satisfy the above requirement of sub-regulation (b) (i) may be refused without assigning any reason.

Provided that if the Competent Authority is satisfied that such notice was nat possible, he may waive this requirement at his discretion.

60. Sick Leave and odditional sick / Medical leave:

1. The sick leave/ medical leave account of every Officer or Employee shall be credited with medical leave in advance, in two installments of 15 days each on the first day of January and July every calendar year.
2. (a) The leave shall be credited to the said leave account at the rate of 5/2 days for each completed calendar month of service, which he is likely to render, in the sick leave/ medical leave of the calendar year in which he is appointed.

(b) The credit for the sick leave/ medical leave in which an Officer or Employee is due to retire or resign from the service shall be allowed at the rate of 5/2 days per completed calendar month upto the date of retirement or resignation.

(c) When an Officer or Employee is removed or dismissed from service or dies while in service credit of sick leave/ medical leave shall be allowed at the rate of 5/2 day per completed calendar month upto the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service or dies in services.

(d) Where a period of absence or suspension of an Officer or Employee has been treated as "dies non" in a sick leave/ medical leave, the credit to the afforded to his sick leave/ medical leave account at the commencement of next sick leave/ medical leave shall be reduced by 1/18th of the period of "dies non" subject to a maximum of 10 days.

Provided that Sick leave/ medical leave can be accumulated during his entire service subject to the following conditions;

i. An Officer or Employee shall be eligible to receive one month's full emoluments during the period of sick / medical leave;
Provided that if an Officer or Employee so desires, the Bank may permit him to draw full emoluments in respect of any portion of Sick leave granted to him twice the amount of such period on full emoluments being debited against his sick/ medical leave account.

ii. Sick / medical leave will be granted on pro rate basis during the first year of service.

iii. Sick/medial leave may be availed of only on production of medical certificate issued by medical practitioner acceptable to the Bank.

iv. Any Officer or Employee desirous of resuming duty on expiry of sick/medical leave shall produce medical certificate to the satisfaction of the Bank saying that he is fit for duty.

Explanation:

i. Till the appointed date, an Officer or Employee is eligible for 20 days Sick/ Medical leave for each completed year of service. Such leave can be accumulated upto 180 days.

ii. From the appointed date an Officer or Employee shall be eligible for 30 days of sick leave for each completed year of service subject to a maximum of 18 months during the entire service. Such leave can be accumulated upto 540 days during the entire service and may be availed of only on production of medical certificate by a medical practitioner acceptable to the Bank or at the Bank's discretion nominated by it at its cost.

Additional Sick /Medical Leave:

Where an Officer or Employee has put in a service of 24 years as on 19.10.2005 and after he shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of 24 years subject to a maximum of 3 months of additional sick leave.

The other terms and conditions for the grant of sick / medical leave & Maternity leave will remain the same.

61. Extra Ordinary Leave:

1. Extra Ordinary Leave may be granted to an officer or Employee when no ordinary leave is due to him and when having regard to his length of service Sick leave is not considered justified by the Competent Authority. The duration of extra ordinary leave to be granted to an Officer or Employee shall not exceed 90 days on any occasion and 360 days during the entire period of his service.

Provided that in exceptional circumstances the Chairman may with the approval of Board grant extra-ordinary leave upto a total period of 720 days to an Officer or Employee.

Provided further that in case of chronic sickness of an Officer or Employee, the Chairman may with the approval of the Board grant extra ordinary leave in excess of 720 days to him and the board, while according such approval, shall record the specific reasons there for in writing.

2. The Competent Authority may grant extra ordinary leave in combination with or in continuation of leave of any other kind admissible to the Officer or Employee save as otherwise provided in these Regulations.

3. No pay and allowances are admissible during the period of Extra Ordinary leave and the period spent on such leave shall not count for increment.

Provided that where the Competent Authority is satisfied that sanction of extra ordinary leave was necessitated on account of illness or any other reason beyond the control of Officer or Employee, he may direct that the period of extra ordinary leave would count for increment.

62. Special Casual leave and Special leave:

An Officer or Employee may be granted special casual leave and special leave for sports, donation of blood, family planning, defending another Officer or Employee in an enquiry, or for joining civil defence services or any other purpose as may be decided by the Board in accordance with the guidelines of the Central Government.

63. Maternity Leave & Paternity Leave:

i. Leave upto a period of Six months at a time by way of maternity leave including in respect of post natal period or at the time of miscarriage or abortion, or medical termination of pregnancy subject to 12 months of such leave during the entire period of service.

ii. Maternity leave may be combined with any other kind of leave but any leave applied for in continuation of the former may be granted only if the request supported by a certificate issued by a medical practitioner acceptable to the Bank.

iii. The Officers and Employees of the Bank will also be entitled to avail of 15 days Paternity leave, twice in entire service.

64. Lapse of Leave:

All leave shall lapse on the death of an Officer or Employee or if he ceases to be in the service of the Bank:

Provided that where an Officer or Employee dies in service, there shall be payable to his legal representatives, sums which would have been payable to the Officer or Employee as if he has availed of the privilege leave that he had accumulated at the time of his death subject to Sub-Regulation (a) (4) of Regulation 59;

Provided further that where a staff retires from the Bank's service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated subject to Sub-Regulation (a) (4) of Regulation 59;

Provided also that in respect of the employee where his service are terminated owing to retrenchment, he shall be paid pay and allowances for the period of privilege leave at his credit.

65. Furnishing of leave address to the Bank:

An Officer or Employee who has been sanctioned leave and leaves his place of duty shall furnish to the Bank, the address at which he can be contacted while out of headquarters.,

66. Commencement and Termination of Leave:

i. The first day of leave of an Officer or Employee is the working day succeeding that upon which he hands over charge.

ii. The last day of leave of an Officer or Employee is the working day preceding that upon which he reports his return to duty.

67. Joining Time:

1. An Officer or Employee shall be eligible for joining time on one occasion to enable him:
   a) to join a new post to which he is appointed while on duty in his old post, or
   b) to join a new post on return from leave.
2. The period of joining time shall be:
   a) in respect of an Officer, a period not exceeding seven days exclusive of the number of days spent on travel; and
   b) in respect of an employee a period not exceeding six days exclusive of the number of days spent on travel.
3. During the period spent on joining time, an Officer or Employee shall be eligible to draw the emoluments at the place of old or new posting, whichever is less.
4. In calculating the joining time admissible to an Officer or Employee, the day on which he is relieved from his post shall be excluded.

   Provided that public holidays following the day of his relief shall not be included in computing the joining time.
5. No joining time shall be admissible to an Officer or Employee when the transfer does not involve a posting to a different place.
6. No joining time shall be admissible to an Officer or Employee when his posting is of temporary nature, irrespective of the fact that the posting is to place or station other than the one at which he is permanently posted.

   No joining time shall be admissible to an Officer or Employee when the transfer is at his own request.

CHAPTER - VII
MISCELLANEOUS

68. Provident Fund and Pension :

1. An Officer or Employee who has completed continuous minimum service as specified in the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) shall be a member of the Employees Provident Fund. The contribution to the Provident Fund by the Officer or Employee and the Bank shall be in accordance with provisions of the aforesaid Act.
2. (a) An Officer or Employee covered under the provisions of Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) shall be governed by the provisions of Employees pension Scheme, 1995 framed by the government of India in exercise of the powers conferred by Section 64 of the said Act.
   (b) The Pension scheme so farmed shall come into force from the 16th day of November 1995.

69. Gratuity :

1. An Officer or Employee shall be eligible for payment of gratuity in accordance with the Sub-Regulation (2) hereunder;
2. The amount of gratuity payable to an Officer or Employee shall be either as per the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 or as per Sub-Regulation (3) hereunder whichever is higher.
3. (i) Every Officer or Employee shall be eligible for gratuity on
   a) Retirement
   b) Death
   c) Disablement rendering him unfit for further service as certified by a Medical Officer approved by the Bank, or
   d) Resignation after completing 10 years of continuous service, or
   e) Termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

   Provided that in respect of an employee there shall be no forfeiture of gratuity for dismissal on account of misconduct except in cases where such misconduct causes financial loss to the Bank and in that case to that extent only.
   (ii) The amount of gratuity payable to an Officer or Employee shall be one month's pay for every completed year of service or part thereof in excess of six months subject to a maximum of 15 month's pay.

Provided that where an Officer or Employee has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years.
Provided further than in respect of an Officer the gratuity is payable based on the last pay drawn:
Provided also that in respect of an employee pay for the purpose of calculation of the gratuity shall be the average of the basic pay (100%), dearness allowance and special allowance and officiating allowance payable during the 12 months, preceding death, disability, retirement, resignation or termination of service, as the case may be.

70. Domicile:

i. Every Officer or employee shall on his appointment declare his domicile in writing to the Bank in Form B in Schedule III and if such domicile is not his place of birth he must establish the same to the satisfaction of the Appointing Authority.
ii. No Officer or Employee who has once indicated his domicile, shall be allowed to alter the same unless he satisfies the Bank that the change is bonafide and in no case may an Officer or Employee be permitted to change his domicile in such a manner as to increase the cost to the Bank of any such concession.

71. Transferability

Every Officer or Employee is liable for transfer to any office or branch of the Bank.

72. Implementation and Interpretation of Regulation:

1. The Chairman may, from time to time, issue such instructions or directions as he may consider necessary for giving effect to, or carrying out the provisions of these Regulations.
2. The government of India may after consultation with the National Bank interpret these Regulations as and when considered necessary.

73. Repeal and Savings:

1. Every rule, regulation, bye-law, or any provision in any agreement or a resolution corresponding to any of the regulations herein contained and in force immediately before the commencement of these regulations and applicable to Officers and Employees is hereby repealed.
2. Notwithstanding such repeal, any order made or action taken under the provisions so repealed shall be deemed to have been made or taken under the provisions of these regulations.

ASHOK ANNASO MAGDUM
Chairman

SCHEDULE I
(See Regulation 18)
Declaration of Fidelity and Secrecy

Place:_____
Date:_____

I, _____ do hereby declare that I will faithfully truly and to the best of my skill and ability execute and perform the duties required of me as Officer or Employee of the MAHARASHTRA GRAMIN BANK and which properly relate the office or position held by me in the said Bank.

I further declare that I will not divulge or allow to be divulged to any person not legally entitled thereto any information relating to the affairs of the said Bank or to the affairs of any person having any dealing with the said Bank and nor will I allow any such person to inspect or have access to any books or documents or electronic records belonging to or in possession of the said Bank and relating to the business of the said Bank or the business of any person having any dealing with the said Bank.

Signed before me SIGNATURE

Name in full:_____
Designation:_____

Signature

Name in full:_____
Designation:_____

Care: (to be on lines of Government of India Rules)

SCHEDULE - II
(See Regulation 5 (4))
Declaration to obtained from every Officer or Employee on first appointment.

I, Shri/Smt./Kum._____ S/O/W/O/D/O _____declare as under:

i. That I am unmarried / a widower/ widow.
ii. That I am married and have only one spouse living.
iii. That I have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living. Application for grant of exemption is enclosed.
iv. To be modified.

2. I solemnly affirm that the above declaration is true and I understand that in the event of the declaration being found to be incorrect after my appointment, I shall be liable to be dismissed from service.

Date:

Signature
Name:_____

SCHEDULE - III
Form B
DECLARATION OF DOMICILE
(See Regulation 70)

Place:_____
Date:_____

I, the undersigned, having been appointed in service of MAHARASHTRA GRAMIN BANK, hereby declare _____ _____ ____(Place) _____ (District) as my place of domicile

2. * The above is my place of birth

Or

The above is not my place of birth. My place of birth is _____ (Place) In _____ (District) but _____(place) has been declared as my place of domicile for the reasons given below;

_____
_____
_____

Name in full: _____

Designation and
Nature of Appointment :_____
Date of Appointment :_____

Signature

* Strike out whichever is not applicable.

ASHOK ANNASO MAGDUM
Chairman

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, the 17th August 2009

No.13-CA (EXAM)/N/2009-II : - In partial modification of the Institute's Notification Nos: 13-CA(EXAM)/N/2009 dated 9th July,2009 and 13-CA(EXAM)/CPT/ December/2009 dated 9th July,2009 , it is notified for the general information that the **Professional Education Examination –II** has been extended by two attempts i.e, the last examination of the same will take place in May-2010.

Further to this , this is also to notify for the general information of the public that (i) NELLORE and (ii) RAJAMAHENDRAVARAM have been declared Examination Centres for the Chartered Accountants November-2009 Examinations and Common Proficiency Test December-2009. The schedule of Examinations/Test shall be as under:

S. No.	Examinations	Dates
1.	PE-II,PCE , IPCE, Final/ Final (New Course) MAC , ITL& WTO and IRM (Timings : 01.00 PM to 04.00 PM)	5th to 19th November-2009
2.	COMMON PROFICIENCY TEST First Session : 10.30 am to 12.30 pm Second Session: 02.00 pm to 04.00 pm	13th December-2009

G. SOMASEKHAR
ADDITIONAL SECRETARY (Exams.)

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय,, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली, द्वारा प्रकाशित 2009
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI, 2009